सं. डब्ल्यू-11037/1/2014/एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

12वां तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कांप्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003, 12 मार्च, 2014,
दूरभाष : 011-24364427
फैक्स : 24364869

सेवा में,

1. प्रधान सचिव/सचिव-ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी
सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र ।
2. एनबीए समन्वयक, सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

विषय : भारत में ग्रामीण स्वच्छता पर बेहतर पद्धतियों का सार-संग्रह 'सफलता की राह' को रिलीज करना।

महोदय/महोदया,

हाल ही में मंत्रालय ने 'सफलता की राह' नामक ग्रामीण स्वच्छता की बेहतर पद्धतियों का दूसरा सार-संग्रह जारी किया है। इस सार-संग्रह को दिनांक 5-7 फरवरी, 2015 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित ग्रामीण स्वच्छता पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रिलीज किया गया था। सार संग्रह की सॉफ्ट प्रति संलग्न है तथा इसे मंत्रालय की वैबसाइट पर भी डाला गया है। जल्द ही सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इस सार-संग्रह की हार्ड प्रति परिचालित की जाएगी। यह सलाह दी जाती है कि राज्य इस सार-संग्रह का पुन: प्रिंट लें और कम से कम जिला स्तर तक इसकी प्रति उपलब्ध कराएं ताकि बेहतर पद्धतियों की सूचना ज्यादा श्रोताओं तक पहुँच सके।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय

(सुजॉय मजुमदार)
निदेशक-एनबीए

सफलता की राह

भारत में ग्रामीण स्वच्छता की बेहतर पद्धतियों का सार-संग्रह

डब्ल्यूएसपी
जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम

सफलता की राह

भारत में ग्रामीण स्वच्छता की बेहतर पद्धतियों का सार-संग्रह

विषय सूची

मुख्य पारिभाषिक शब्द 5

संक्षिप्ताक्षर एवं संक्षिप्त नाम 6

प्राक्कथन 8

बंको बीकाणो 11

जन आंदोलन की अविश्वसनीय कहानी

हमीरपुर जिला 125

क्या करें की तलाश करने से लेकर 'हमने क्या किया है' की व्याख्या करने तक की यात्रा

पूर्वी गारो हिल्स, मेघालय 36

बंदूक के साये में बुनियादी स्वच्छता सुलभ कराना

कांगड़ा जिला 40

समुदायनीत अभियान ने मात्र तीन वर्षों में 760 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाया

चोखो चुरू 47

ओडीएफ जिला की स्थिति प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना

मण्डी जिला 59

अभियान जिसने बड़े पैमाने पर त्वरित प्रगति की

धनसुरा 77

साबरकंठा जिला के धनसुरा प्रखण्ड को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करना

पंजाब 82

तालाब के पुनरूद्धार के जरिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन

गुजरात 90

जोशीपुरा ग्राम का अभिनव पशु अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र

किशोरगढ में सुघड़ विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना

जल अपशिष्ट वरदान बन गया

आन्ध्र प्रदेश का पश्चिमी गोदावरी जिला 93
ओडीएफ की स्थिति प्राप्त करने की ओर अग्रसर
ग्रामीण कुरूक्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन 104
'कचरे से कमाई'
मध्य प्रदेश 111
निर्मल ग्राम आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र
केरल 119
स्कूली बच्चों के लिए 'तेलिमा' स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई शिक्षा संबंधी कार्य पुस्तिका
लखनऊ 125
'कचरा लाओ, बायो गैस ले जाओ'
सिक्किम 134
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
होशंगाबाद जिला, मध्यप्रदेश 140
शौचालयों एवं अन्य उपयोगों के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में हैण्डपंप में बल द्वारा चालित लिफ्टपंप को निर्धारित करना

मुख्य पारिभाषिक शब्द

ग्राम पंचायत (जीपी)	ग्राम स्तरीय स्थानीय सरकारें
कला जत्था	नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
महिला मण्डल	महिलाओं के समूह
निर्मल भारत अभियान (एनबीए)	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)
निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी)	खुले में शौच मुक्त एवं स्वच्छ गाँव की स्थिति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार
प्रभारी	ग्राम पंचायत में तैनात सरकारी स्टॉफ से चयनित नोडल अधिकारी
प्रधान	ब्लॉक पंचायत का अध्यक्ष
प्रशासन गांव का संघ	ग्रामीण योजनाओं का संवर्धन करने हेतु राज्य स्तरीय सरकारी अभियान
रात्रि चौपाल	विकास योजनाओं के संवर्धन हेतु रात्रि में आयोजित बैठकें
सफाई कर्मचारी	स्वच्छता कार्मिक
शिविर	चर्चा तथा सूचना की भागीदारी हेतु बैठक

संक्षिप्ताक्षर एवं संक्षिप्त नाम

एएसएचए	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)
बीसीसी	व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण
बीडीसी	खण्ड विकास समिति
बीडीओ	खण्ड विकास अधिकारी
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीएलटीएस	समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता
सीएससी	सामुदायिक स्वच्छता परिसर
सीएसएल	सामुदायिक स्वच्छता शौचालय
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी
डीआरएनए	जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी
डीडब्ल्यूएसएम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीयू	ग्राम पंचायत इकाई
जीपीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति
आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण
आईएचएचएल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
आईएसएल	स्वतंत्र स्वच्छता शौचालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसईजेवीएस	मण्डी साक्षरता एवं जन विकास समिति
एमवीएसएसपी	महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार
एनबीए	निर्मल भारत अभियान
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन

एनजीपी	निर्मल ग्राम पुरस्कार
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त स्थिति
ओएण्डएम	संचालन एवं अनुरक्षण
एसडीएम	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
टीएससी	संपूर्ण स्वच्छता अभियान
डब्ल्यूएसपी	जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम

प्राक्कथन

भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में से एक चुनौती अपनी विशाल विविध एवं बढ़ती आबादी को स्थायी स्वच्छता एवं साफ-सफाई उपलब्ध कराती है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक देश में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों एवं सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता घोषित की है लेकिन 32.7 प्रतिशत की मौजूदा ग्रामीण स्वच्छता कवरेज के साथ यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने नई कार्यनीतियों और दृष्टिकोणों के साथ पहले से ही कार्य आरंभ कर दिया है। मौजूदा संपूर्ण स्वच्छता अभियान को नवीकृत किया गया है और कार्य समापन के बाद प्रोत्साहन द्वारा समर्थित सेचुरेशन अप्रोच के साथ समुदायनीत एवं जनकेन्द्रित कार्यनीतियां अपनाकर अप्रैल, 2012 में इसका नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान (एनबीए) कर दिया गया है।

एनबीए के अंतर्गत दृष्टिकोण में प्रमुख बदलावों में से एक बदलाव स्वच्छता से संबंधित मामलों का समाधान करने में अधिक समग्र दृष्टिकोण को अपनाना है। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालय, और आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों में शौचालय के निर्माण के मामलों का समाधान करने के अतिरिक्त, परिवारों को अत्यावश्यक लोचनीयता देने पर बहुत अधिक जोर दिया है ताकि वे उन स्वच्छता प्रौद्योगिकी का चयन कर सकें जिसे वे सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं, जल भौगोलिक स्थितियों और आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न विकल्पों को पसंद करते हैं।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन केन्द्रों एवं ग्रामीण स्वच्छता बाजारों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर आम लोगों की पहुंच के भीतर स्वच्छता सामग्री तथा साधन उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए हैं। ये बाजार यह सुनिश्चित करते हैं

कि विभिन्न प्रकार के पैन, सोकेज, कंपोस्ट गड्ढा, वर्मीन कंपोस्ट प्रक्रिया और वाशिंग प्लेटफॉर्म आम लोगों को नाममात्र लागत पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अन्य क्षेत्र जिसे अधिक महत्व दिया गया है, ठोस एवं अपशिष्ट (एसएलडब्ल्यूएम) का प्रबंधन है, जो साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हैं। एसएलडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत सरकार ग्राम स्तर पर घरेलू अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण एवं निपटान के अतिरिक्त अभिनव एवं अपनाने योग्य पहलों यथा-कंपोस्ट गड्ढा, वर्मिन कंपोस्ट, सामान्य एवं वैयक्तिक बायो-गैस संयंत्र एवं किफायती नाला को बढ़ावा दे रही है।

यदि आम लोग सुरक्षित स्वच्छता पद्धतियों को सम्मिलित करने के लाभों के बारे में शिक्षित नहीं हैं और वे सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं प्रोत्साहन राशियों से अनभिज्ञ रहते हैं तो ये पहलें असफल होंगी। स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के बारे में आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए चरणबद्ध ढंग से अनेक संचार क्रियाकलापों को संचालित करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा व्यापक स्वच्छता एवं साफ-सफाई प्रचार एवं प्रसार कार्यनीति रूपरेखा (2012-2017) बनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक श्रव्य दृश्य एवं रेडियो अभियान शुरू किया गया है कि वे अन्तर्वैयक्तिक संचार एवं मीडिया के प्रत्यक्ष क्रियाकलापों को भी शामिल करें। ग्रामीण स्वच्छता एवं इनके विभिन्न पहलुओं के संबंध में संचार का विस्तार करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है और इसे सक्रियता के साथ आंरभ किया जा रहा है।

अत्यावश्यक व्यवहारगत बदलाव लाने में सक्षम बनाने के लिए इस सूचना संचार दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में यह आवश्यक है कि हम सफलता की कहानियों को साझा करें जो विगत दशक के दौरान विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से उभर कर सामने आई हैं। देश भर में अब तक एक राज्य और 28,002 ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में की गई उल्लेखनीय स्वचछता पहलों की स्वीकार्यता के रूप में

निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया है। उनमें से अनेक ग्राम पंचायतें उदाहरणों को साझा कर रही हैं कि उस स्थिति को हासिल करने के लिए असाधारण कठिनाइयों का सामना कैसे करें।

मंत्रालय ने जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएसपी) की सहायता से "सफलता के रास्ते" शीर्षक से ग्रामीण स्वच्छता संबंधी उत्तम पद्धतियों के संग्रह का द्वितीय खंड जारी किया है। यह वर्ष 2010 में जारी "स्वप्न से सच्चाई तक" शीर्षक के प्रथम खंड के अनुक्रम में है। सार में प्रलेखित सफलता की 16 कहानियॉ बड़ी प्रेरणा का पाठ हो सकती हैं तथा सामुदायिक भागीदारी, स्थायित्व, संसाधन जुटान, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कार्यक्रम कार्यान्वन, आई ई सी पद्धतियों एवं संस्थागत सुधार जैसे विविधतापूर्ण अनेक क्षेत्रों में कठिनाईयों एवं बाधाओं को दूर करने में भारत भर में विभिन्न ग्राम पंचायतों, जिलों एवं राज्यों में एक आदर्श के रूप में कार्य करती हैं।

मैं उन सभी समुदाय सदस्यों, बुनियादी स्तर के स्वच्छता कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं एवं सरकारी अधिकारियों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने आश्चर्यजनक कार्य के लिए प्रलेखित किया है तथा साफ एवं सुन्दर वातावरण पैदा करने के लिए अपना सक्रिय प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि वे एन बी ए कार्यक्रम के लिए आदर्श बने रहेंगे।

नई दिल्ली **पंकज जैन**

13.12.2013

बंको बीकाणो

जन आन्दोलन की अविश्वसनीय कहानी

यदि निर्मल भारत अभियान (एनबीए) बीकानेर में वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहा तो लोग असीमित वास्तविक बहाना कर सकते हैं। यह जिला कई भारतीय राज्यों के उपमेय क्षेत्र के साथ एक विशाल मरूस्थलीय क्षेत्र है। जिला मुख्यालय के अधिकारी को जिले के सुदूर गॉवों में कार से दौरा करने के लिए एक पूरे दिन की आवश्यता होगी। इन सुदूर गॉवों में लोग बालू के टीलों से घिरी ढाणियों में रहा करते हैं। बीकानेर में ग्राम पंचायतें अन्य जिलों में ब्लाकों के समतुल्य क्षेत्रफल वाले 40 कि.मी. के दायरे में पहुँच सकती हैं। स्थान की कमी नहीं है जहाँ वे निजी कार्यों को संपन्न करते हैं। दूसरी ओर शौचालयों में उपयोग करने के लिए घरेलू जल के अतिरिक्त पेयजल लाने के लिए मूलभूत कार्य के लिए महिलाओं कों कठिन प्रयास करने होते हैं। इस पर्यावरण में खुले में शौच करने की आदत को रोकने संबंधी अभियान असफल प्रतीत होंगे।

तथाति, बीकानेर के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने पीढ़ियों से इस प्रतिकूल मरूस्थलीय पर्यावरण में जीवनयापन किया है तथा पले-बढ़े है। मर्यादित एवं स्वच्छ भविष्य

के लिए खुले में शौच की युग पुरानी पद्धति का त्याग करने में उन्हें प्रेरित करने के लिए एक साधारण प्रयास किया गया। इसे आरती डोगरा द्वारा उपलब्ध कराया गया जिन्हें बूँदी में उसी हैसियत में सेवा करने के बाद अक्टूबर,2012 में बीकानेर का जिला कलक्टर बनाया गया जहॉ निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जिले में समुदाय नीत स्वछता अभियान चलाने के उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। अब बीकानेर जिले में खुले में शौच करने की आदत को पूर्णत: समाप्त करने के लिए "बंको बीकाणों" के नाम पर एक अप्रत्याशित अभियान चलाया गया है। बड़ी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस अभियान को इस दृश्य में यथा प्रदर्शित खुले में शौच करने की आदत से मुक्त (ओडीएफ) ग्राम पंचायतों की स्थिति हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ मिली हैं।

बीकानेर में ओडीएफ- ग्राम पंचायतों के उन्नयन का प्रगामी वक्र

ओडीएफ ग्राम पंचायतों की संख्या	
1 अप्रैल, 13	ओडीएफ ग्राम पंचायतों की संख्या
11 अप्रैल, 13	
21 अप्रैल, 13	नल बेरी 20 अप्रैल, 2013 को प्रथम ओडीएफ ग्राम पंचायत बनी
1 मई, 13	6 मई, 2013 को कुल 5 ग्राम पंचायतें ओडीएफ बनीं
11 मई, 13	13 मई, 1013 तक कुल 21 ग्राम पंचायत ओडीएफ बनी
21 मई, 13	
31 मई, 13	6 जून, 2013 को कुल 45 ग्राम पंचायत ओडीएफ बनी
10 जून, 13	
20 जून, 13	25 जून, 13 तक कुल 51 ग्राम पंचायत ओडीएफ बनी
30 जून, 13	
10 जुलाई, 13	
20 जुलाई, 13	
30 जुलाई, 13	31 जुलाई, 2013 को 69 ग्राम पंचायतें ओडीएफ बनी
9 अगस्त, 13	
19 अगस्त, 13	
29 अगस्त, 13	31 अगस्त, 2013 को 81 ग्राम पंचायतें ओडीएफ बनी।

शिलान्यास करना

अभियान शुरू करने में आरती का पहला काम बीकानेर में समुदायनीत स्वच्छता अभियान शुरू करने में विश्व बैंक के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत तकनीकी सहायता प्राप्त करना था। बूंदी में अभियान के दौरान कलक्टर के साथ संबद्ध होकर डब्ल्यूएसपी के भारतीय दल उनकी अगुवाई में प्रस्तावित बीकानेर अभियान को सहायता देने पर अपनी सहमति दी।

निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जिला-विशिष्ट अभियान शुरू करने से पहले आरती को दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने पड़े। पहला, जिला प्रमुख, प्रधानों एवं सरपंचों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों को ओडीएफ गांव की स्थिति हासिल करने की संकल्पना का साझा करना होगा। जैसा कि अपेक्षा की गई है, सरकारी कार्यक्रमों के साथ अपने पूर्व अनुभव के आधार पर यह सहायता प्राप्त करके जिला अग्रणियों ने विश्वास किया कि शौचालय निर्मित करना और उन्हें लोगों के लिए उपलब्ध कराना एक निरर्थक व्यय होगा। वस्तुत: अनेक शौचालय जिन्हें ठेकेदारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सीआरएसपी एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत बनाया गया था, का यदा-कदा उपयोग किया जाता था। लेकिन अब उन्होंने यह अनुभव किया कि नया कलक्टर केवल शौचालय बनाने की बजाय समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव पर ध्यान केन्द्रित करने के विभिन्न प्रकार के अभियान की योजना बना रही हैं तो सीईओ एवं एसीईओ सहित जिला परिषद के सभी नेताओं एवं अधिकारियों ने पूरी निष्ठा के साथ इस विचार का समर्थन किया।

दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती में समुदायनीत अभियान को सुविधागत बनाने के कार्य के साथ जिला सहायता इकाई के रूप में कार्य करने के लिए समर्पित एवं सक्षम दल बनाना शामिल था। जिले में न केवल निर्मल भारत अभियान की देख-रेख के लिए जिम्मेदार जिला समन्वयक

और प्रखंड समन्वयकों की कमी थी बल्कि जिले में कार्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा था। जिला पंचायत के जिला समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए सही व्यक्ति का चयन करने में कुछ महीने लगे। टीएससी में कार्यरत पूर्वानुभवी महेन्द्र सिंह शेखावत को मार्च, 2013 में जिला समन्वयक बनाया गया तथा उसके तत्काल बाद संसाधन व्यक्तियों और अभियान संबंधी सुविधा प्रदाताओं का समर्पित दल बनाया गया। **यदि लोग सरकार से वित्तीय सहायता के लिए प्रतीक्षा करते तो इस स्वरूप के व्यापक बदलाव का कार्य इतने कम समय में पूरा नहीं हो सकता था।**

शुरूआत

आरंभिक चरण पूरा होने के साथ ही, डब्ल्यूएसपी द्वारा कार्य में लगाई गई एक संसाधन एजेंसी, फीडबेक वेंचर्स, के माध्यम से प्रायोजित समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता संबंधी नवनियोजित जिला दल के पांच दिवसीय प्रशिक्षण के साथ 1 अप्रैल को इस अभियान की सरकारी तौर पर शुरूआत की गई। जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला कलक्टर, जिला पंचायत के सीईओ और एसीईओ के साथ-साथ अनेक अन्य नेताओं और अधिकारियों ने इस उद्घाटन समारोह में भाग किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, संसाधन कर्मियों ने समुदायों के बीच समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव करने के लिए प्रशिक्षणार्थी को विभिन्न विधियों की जानकारी दी। नल बेरी और रिडमालसर पुरोहितन ग्राम पंचायतों ने यहां उदाहरण दिया: समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) तकनीक ने उन तकनीकों की संकल्पना करने के लिए उनकी सहायता करके स्थानीय समुदाय को जागरूक बनाने का कार्य किया जिसमें खुले में शौच करने से उनके स्वास्थ्य, मर्यादा, सम्मान एवं भविष्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। वास्तविकता यह है कि सीएलटीएस साधन यह प्रदर्शित करता है कि मल उस जल एवं भोजन के संपर्क में कैसे आता है जिसे लोग अंततोगत्वा उपयोग करते हैं और खुले

में शौच करने से महिलाओं के सम्मान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, वे समुदाय में स्वाभाविक अग्रणियों को निर्धारित करने का साधन प्रस्तुत करते हैं जिनकी निगरानी समिति के रूप में कार्य करने के लिए सेवा ली जा सकती है ताकि खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए अभियान का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशिक्षण के अंतिम दिन नलबेरी और रिडमालसर पुरोहितन के समुदायों ने घोषणा की कि उनके गांवों के लोगों ने बड़ी संख्या में स्वयं शौचालय बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है और उनकी ग्राम पंचायतें अप्रैल में खुले में शौच करने की प्रथा से मुक्त होंगी। उन्होंने यह भी वादा किया था कि समुदाय शौचालय बनाने में गरीब परिवारों के प्रयासों में सहायता करेंगे क्योंकि यह महसूस किया गया कि समुदाय की भलाई अपने प्रत्येक सदस्य के सहयोग पर निर्भर है।

एक आश्चर्य: नलबेरी 10 दिनों के भीतर खुले में शौच से मुक्त प्रथम पंचायत बना

स्थानीय आबादी द्वारा 10 दिनों के भीतर 500 से अधिक बेहतर शौचालय बनाकर नलबारी खुले में शौच की प्रथा से मुक्त पहली ग्राम पंचायत बन गई है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रयास को सरकार से वित्तीय सहायता के बारे में संचार द्वारा प्रेरित नहीं किया गया। प्रत्येक परिवार ने शौचालय बनाया और सरपंच एवं निगरानी (देखरेख) समितियों द्वारा नियमित अनुपालन के कारण मर्यादा के प्रतीक के रूप में इसका उपयोग करने लगे। जिला सहायता एकक ने शीघ्र ही महत्वपूर्ण सबक सीखा: यदि लोगों ने सरकार से वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा की होती तो इतने कम समय में इस स्वरूप का व्यापक बदलाव नहीं हो सकता था। इसके बाद, जिला कलक्टर, जिला प्रमुख के साथ-साथ सीईओ एवं एसीईओ, जिला समन्वयक और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने ग्राम

पंचायत का दौरा किया। सरपंच एवं समुदाय की उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सराहना करते हुए उन्होंने एसएलडब्ल्यूएम के लिए 20 लाख रूपए सहित इन सामुदायिक प्रयासों के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा की। इन कार्यक्रमों की खबर व्यापक मीडिया कवरेज एवं जिला सहायता एकक के कार्यनीतिगत संचार की वजह से जंगल की आग की तरह फैली। ज्यादातर सरपंचों ने जिला समन्वयक से यह पूछना आरंभ किया कि उन्होंने इन गांवों में समान अभियान का संचालन कैसे किया।

कार्यनीति अपनाना: जन संचालित एवं मांग आधारित अभियान

नलबेरी की सफलता से सीख से ग्रामीण स्वच्छता कार्य संचालन के लिए सफल कार्यनीति अपनाने के लिए जिला स्वच्छता मिशन (डीएसएम) को मदद मिली। बुनियादी सिद्धांत सरल था: अभियान समुदायनीत एवं मांग आधारित था।

सफल कार्यनीति की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं:

- जब तक सरपंच अथवा समुदाय से मांग होती है, कोई ग्राम पंचायत इस अभियान में भाग ले सकती है। अभियान वास्तविक रूप में मांग आधारित होना चाहिए।
- इसी तरह, संपूर्ण जिले में खुले में शौच से मुक्त स्थिति हासिल करने के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे मांग आधारित दृष्टिकोण प्रभावित हो सकता है।
- प्रशिक्षित जिला संसाधन समूह स्वच्छता सुधार की मांग का उल्लेख करते हुए सभी ग्राम पंचायतों का दौरा करेगा तथा सीएलटीएस साधनों का उपयोग करते हुए समुदाय को प्रेरित करेगा।
- अभिप्रेरित करने के बाद संसाधन समूह विशेषकर एक माह के

भीतर संपूर्ण ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त, घोषित करने के लिए एक तारीख को अंतिम रूप देने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करेगा ताकि अविलम्ब सामुदायिक कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

- लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने संसाधनों का उपयोग कर शौचालय बनाएं और अपनी पसंद के अनुसार कार्य करें। शौचालयों के लिए कोई मानक आकार नहीं होगा अथवा निर्माण कार्य के लिए किसी गैर-सरकारी संगठनों को कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
- विशेषकर सुबह और शाम के समय जब लोग खुले में शौच करते हैं, नियमित अनुपालन के लिए प्रत्येक गांव में एक निगरानी समिति बनाई जाएगी।
- निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत घोषित प्रोत्साहन राशि की सुपुर्दगी संपूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा खुले में शौच करने की प्रथा से मुक्त होने के बाद ही की जाएगी तथा धनराशि का अंतरण सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाएगा (चूंकि ग्राम पंचायतों से अपेक्षा की गई है कि वे एक माह के भीतर खुले में शौच करने की प्रथा से मुक्त स्थिति हासिल करें इसलिए वे सस्ती सामग्रियों को खरीदने के लिए सरपंचों अथवा स्थानीय विक्रेताओं से ऋण प्राप्त कर पाएंगे।)
- पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों विशेषकर प्रधानों एवं सरपंचों को इस अभियान में मुख्य भूमिका दी जानी चाहिए।
- एसएलडब्ल्यूएम के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि की स्वीकृति केवल उन ग्राम पंचायतों के लिए की जाएगी जिन्होंने सामुदायिक पुरस्कार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए खुले में शौच करने की प्रथा से

शत प्रतिशत मुक्ति की स्थिति हासिल कर ली है।

- जिला सहायता एकक को खुले में शौच करने की प्रथा से मुक्त (ओडीएफ) ग्राम पंचायत घोषित करने के पहले ओडीएफ का सख्त सत्यापन करेंगे। मूल्यांकन से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय के अत्यंत गरीब लोग जो सामान्यत: इस अभियान में पीछे छूट जाते हैं, सहित सभी परिवारों के लिए शौचालय की सुविधा होगी।

निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत घोषित धनराशि की सुपुर्दगी संपूर्ण ग्राम पंचायत के ओडीएफ की स्थिति हासिल करने पर ही की जाएगी तथा धनराशि का अंतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।

- ओडीएफ ग्राम पंचायतों का निर्धारण मीडिया द्वारा किया जाएगा और अन्य के साथ-साथ जिला कलक्टर, सीईओ एवं एसडीएम सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इसका दौरा करेंगे।

फोटो

बंको बीकाणो

बंको बीकाणो अभियान का संचालन

जिला ने नाम एवं प्रतीक चिह्न के साथ अभियान के संचालन का निर्णय लिया जो स्थानीय आबादी के अनुकूल होगा।

परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 'बंको बीकाणो' नाम का चयन किया गया। 'बंको' शब्द अभिव्यक्ति 'रण बाँका' से लिया गया जिसका अर्थ बहादुर एवं सुंदर होता है। बीकानेर क्षेत्र को निरूपित करने के लिए 'बीकाणो' शब्द का व्यापक उपयोग स्थानीय भाषा में किया जाता है। बीकानेर के आत्म गौरव

को प्रतिचित्रित करने के लिए सुन्दर प्रतीक चिह्न का निर्माण क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार श्री शिवशंकर स्वामी द्वारा किया गया एवं दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को जिला कलक्टर द्वारा जारी किया गया।

प्रोत्साहक लक्ष्य : प्रथम माह में 21 ग्राम पंचायतों ने ओडीएफ की स्थिति हासिल की।

वह राज्य जहाँ जिला 10 से 15 ग्राम पंचायत के रूपांतरण को खुले में शौच करने को रोकने के प्रयास में उपयुक्त वार्षिक लक्ष्य मानते हैं, बंको बीकाणो ने इसके शुभारंभ के मात्र एक माह बाद 21 ग्राम पंचायतों के ओडीएफ की घोषणा की। यह वास्तव में समुदायनीत अभियान के लिए अप्रत्याशित सफलता थी जिसमें स्थानीय लोगों ने इस प्रथा को समाप्त करने की पहल की। अनुभव से यह साबित हुआ कि जब जिला प्रशासन और संसाधन समूह ने खुले में शौच करने के बुरे प्रभाव को प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करके समुदाय को प्रेरित किया तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हो सके। जब लोग इस प्रथा के परित्याग की तुलना उनकी मर्यादा, सम्मान एवं स्वास्थ्य के परिरक्षण से करते हैं तो उन्हें व्यापक एवं स्थायी बदलाव करने से कोई रोक नहीं सकता।

फोटो

फोटो

महिलाओं की सक्रिय भूमिका

महिलाओं का सशक्तीकरण आरती डोगरा के विचार में महत्वपूर्ण मामला है। जो प्राथमिकता उसने स्वच्छता अभियान को दी वह इस रूप में सराहनीय है कि यह महिलाओं की मर्यादा को सम्मान देता है तथा उस पर जोर देता है। बीकानेर की महिलाओं ने

ही बंको बीकाणो के लिए बड़ा समर्थन प्रदर्शित किया जिससे प्रत्येक बैठक के लिए बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने अपने-अपने परिवार में शौचालय के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई।

पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी

अभियान को सफलता राजनीतिक मतभेद के बावजूद विशेष रूप से जिला प्रमुख, विधान सभा सदस्यों, सरपंचों जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी दलों के नेताओं के समर्थन एवं मार्गदर्शन की वजह से मिली है। बीकानेर के गौरव को वापस लाने के उद्देश्य से अभियान के अंतर्गत राजनीतिज्ञों को लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का आश्चर्यजनक अवसर मिला है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में आगे आते हैं जब उनकी मर्यादा एवं सम्मान की अपील की जाती है।

समाचार माध्यमों के जरिए जन संचार

बंको बीकाणो अभियान के अंतर्गत दो सूत्री संचार कार्यनीति अपनाई गई। लक्षित समुदाय तक पहुँचने की उपयुक्त विधि जिला संसाधन समूहों, पंचायती राज संस्थाओं, अधिकारियों एवं प्रेरकों के माध्यम से अंतरवैयक्तिक संचार थी।

फोटो

जिले में प्रमुख समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों की सहायता से जन संचार माध्यमों के जरिए संदेश का प्रचार-प्रसार किया गया। गाँवों, सरपंचों और संपूर्ण रूप में बंको बीकाणो अभियान की सफलता की कहानियों का उल्लेख करते हुए सभी प्रमुख समाचार पत्रों में लगभग प्रतिदिन प्रमुख समाचार कवरेज प्रसारित किया गया। इससे जिले की हर जगहों से मांग सृजित करने में मदद मिली है।

नियमित समीक्षा एवं निगरानी

वृहत् स्तर पर अभियान चलाते समय नियमित समीक्षा एवं निगरानी के महत्व को अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है। जिला कलक्टर, जिला प्रमुख, सीईओ, एसीईओ, एसडीएम और बीडीओ स्वच्छता अभियान पर चर्चा करने के स्पष्ट प्रयोजन से अपने-अपने स्तर पर मुख्य अधिकारियों की नियमित बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये अधिकारी अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर गांवों का दौरा करते हैं।

फोटो

फोटो

चलती-फिरती निगरानी

बीकानेर जिला ग्राम पंचायतों की ओडीएफ स्थिति का सत्यापन करने के लिए एंड्रायड अनुप्रयोग का उपयोग करने में भी अग्रणी हो गया है। डब्ल्यूएसपी द्वारा निर्मित मोबाइल अनुप्रयोग "आउटकम ट्रेकर" का उपयोग ओडीएफ स्थिति का दावा करने वाली ग्राम पंचायतों में घरों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का सर्वेक्षण करने के लिए जिला स्तरीय सत्यापन दल द्वारा किया गया है। फोटो और जीपीएस निर्देशांक को प्रतिचित्रित करने वाले अनुप्रयोग विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आंकड़ो के यथासमय विश्लेषण के साथ आसानी से एवं प्रभावपूर्ण ढंग से ओडीएफ का सत्यापन करना आसान हो गया है। बीकानेर में उन सदस्यों से स्वतंत्र सत्यापन दल का गठन किया गया है जिनमें पत्रकार, विद्यार्थी एवं गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत पेशेवर शामिल हैं।

फोटो

फोटो

जिला संसाधन समूह

बंको बीकाणो की सफलता की कहानी जिला संसाधन समूह के कठिन परिश्रम एवं समर्पण का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होगी। पवन पंचरैया और अवधेश शर्मा की अध्यक्षता वाला 21 संसाधन व्यक्तियों के कर्मठ दल ने बीकानेर की मिट्टी से खुले में शौच की प्रथा को पूर्णत: समाप्त करने के उद्देश्य से लोगों को प्रेरित करने के लिए अपनी क्षमता के परे संकल्प के साथ कार्य किया है। ये परिणाम पुरानी आदतों को बदलने के लिए समुदाय को प्रेरित करने में इस समूह की प्रभावकारिता का उल्लेख करते हैं।

फोटो

फोटो

चार महीनों में कुल 81 ग्राम पंचायतें ओडीएफ बन गई एवं कार्य जारी है.....

अधिक से अधिक समुदाय के बदलाव को अपनाने के लिए आगे आने के साथ बंको बीकाणो अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। चार माह के भीतर 81 ग्राम पंचायतों ने ओडीएफ की स्थिति हासिल कर ली है और अधिक से अधिक लोग अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि बदलाव की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि बीकानेर समुदाय के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि ओडीएफ की स्थिति हासिल करने के बावजूद भी कुछ समुदाय घोषित प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए सरकार से संपर्क करने के अनिच्छुक हैं। जिला सहायता एकक को समुदाय को याद दिलाना पड़ा है कि वे पुरस्कार निधियाँ रिलीज करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करें। लोग शौचालय का उपयोग न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि वे

अपने आत्म सम्मान एवं मर्यादा के लिए भी कर रहे हैं।

फोटो

फोटो

बंको बीकाणो हम सभी को याद दिलाता है कि यदि हम बीकानेर की सफलता से सीख लें तो राजस्थान भर एवं भारत में भी खुले में शौच करने की प्रथा को रोकने का कार्य बिल्कुल संभव होगा। सीख लें अब कोई बहाना नहीं है।

अभियान के बारे में अतिरिक्त एवं नियमित अद्यतन ब्यौरे https://www.facebook.com/BankoBikano पर प्राप्त किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए जिला परिषद बीकानेर, दूरभाष 0151 2226004, 2206016 से संपर्क करें।

हमीरपुर जिला

क्या करें की तलाश करने से लेकर 'हमने क्या किया है' की व्याख्या करने तक की यात्रा

हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। 1,118 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल वाला यह क्षेत्र जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है जो पंजाब की सीमा से सटा हुआ है। जिले में चार प्रशासनिक अनुमंडल, छह विकास खंड, 229 ग्राम पंचायतें और 1694 राजस्व गाँव हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर की कुल आबादी 454,000 थी। आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण है जो कुल आबादी का 93 प्रतिशत है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए परियोजना प्रस्ताव वर्ष 2002 में अनुमोदित किया गया जिसमें 44

प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधा थी। वर्ष 2006-07 के आरंभ तक इस क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से कोई प्रगति नहीं हुई थी, 57000 घरेलू शौचालय के लक्ष्य का 1 प्रतिशत से कम शौचालय का निर्माण पांच वर्षों में हुआ था। हमीरपुर टीएससी की प्रगति के रूप में राज्य में अल्प निष्पादन करने वाले जिलों में से एक जिला था।

जिला स्तरीय नोडल एजेंसी (डीआरडीए) आश्चर्य व्यक्त किया करते थे कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान में प्रगति लाने के उद्देश्य से समुदाय को प्रेरित करने के लिए क्या किया जा सकता है; उन्होंने कई पारंपरिक दृष्टिकोणों की तलाश की थी लेकिन कोई विशेष रूप से सफल नहीं था। उस समय ऐसा था कि राज्य सरकार ने विश्व बैंक के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएसपी) की सहायता से समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया। हमीरपुर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले प्रथम जिलों में से एक जिला बन गया।

अल्प निष्पादक के रूप में माना जाने वाला जिला आधा निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त कर सका जो वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश आया। वर्ष 2011 में, हमीरपुर निर्मल ग्राम पुरस्कारों की संख्या के रूप में भारत में शीर्ष 10 जिलों में एक जिला बना।

सीएलटीएस प्रशिक्षण ने क्या करें संबंधी संशयों को दूर कर दिया क्योंकि इसने अभ्यस्त व्यवहार में बदलाव लाने और खुले में शौच से मुक्त समुदाय की स्थिति (ओडीएफ) हासिल करने के लिए समुदाय को प्रेरित करके प्रभावी कार्यनीति उपलब्ध कराई। उसी समय से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नोडल एजेंसी (डीआरडीए) ने समुदाय अनुग्रहित अभियान बनाया एवं संस्थागत रूप प्रदान किया जिससे अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त हुआ। यह जिला जिसे अल्प निष्पादक के रूप में माना जाता था, ने लगभग आधी संख्या में निर्मल ग्राम पुरस्कार हासिल किया जो वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। वर्ष 2012 में प्राप्त

निर्मल ग्राम पुरस्कारों की संख्या के रूप में भारत के शीर्ष 10 जिलों में से एक जिला के रूप में था। जिले में पहले से ही 157 ग्राम पंचायतों (लगभग 70 प्रतिशत) को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया।

दो संस्थागत पहलुओं ने महत्वपूर्ण अंतर स्थापित किया है: नोडल एजेंसी (डीआरडीए) में एक अच्छा कार्यक्रम प्रबंधक और एक अच्छी सहायक एजेंसी जिसने छ: ब्लॉकों में और जिला स्तर पर संसाधन सहायता उपलब्ध कराई है। तथापि, वे सभी नहीं थे; अनेक कारकों ने हमीरपुर में ग्रामीण स्वच्छता की सफलता की कहानी में योगदान किया।

संस्था

जिले ने जिला स्तरीय स्वच्छता समिति बनाई जिसमें उपायुक्त को अध्यक्ष और परियोजना अधिकारी, डीआरडीए को सदस्य सचिव बनाया गया जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के जिला नोडल अधिकारी भी थे। अनुमंडल अधिकारियों को संबंधित प्रखंडों के लिए टीएससी नोडल अधिकारी बनाया गया; उन्होंने विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके स्वच्छता अभियान को सर्वव्यापी बनाने में शीर्ष भूमिका निभाई। जिले ने पंचायत समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता और सदस्य सचिव के रूप में बीडीओ के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय स्वच्छता समिति को भी संस्थागत बनाया। समिति ने अभियान की प्रगति की प्रतिमाह समीक्षा एवं निगरानी करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी।

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान के नेतृत्व में संपूर्ण सामूहिक पंचायत ने अभियान में सुविधा प्रदान की। विद्यालय के शिक्षकों और महिला मंडल (महिला समूह) के सदस्यों ने विशेषकर उत्तम स्वच्छता पद्धतियों को अपनाने के लिए समुदाय को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हिमाचल प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को आईईसी क्रियाकलापों को सुविधागत बनाने के अतिरिक्त जिला एवं प्रखंड

स्तर पर समर्पित स्टॉफ उपलब्ध कराकर सहायक संगठन के रूप में कार्य में लगाया गया। सहायक संगठन द्वारा कार्य में लगाए गए स्टॉफ ने सीधे परियोजना अधिकारी को रिपोर्ट की। तथापि, अभियान का स्वामित्व समुदाय एवं सरकार के पास रहा, क्योंकि गैर-सरकारी संगठन की भूमिका केवल स्वच्छता के मामले के लिए संचार को सुविधागत बनाना और समुदाय को एकजुट करना था।

सामुदायिक संचालन

जिले ने सभी स्तरों पर स्वच्छता की मांग सृजित करने के लिए व्यापक अभियान दृष्टिकोण अपनाया जिसमें ओडीएफ की स्थिति हासिल करने के सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जिले में निम्नलिखित आईईसी क्रियाकलापों को सुविधागत बनाया गया:

- टीएससी प्रकोष्ठ ने सभी प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में कला जत्था (नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम) प्रदर्शित करने की व्यवस्था की और सीएलटीएस प्रशिक्षण से प्राप्त संदेशों का प्रचार-प्रसार किया।
- जिले भर में राजमार्ग के किनारे सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों आदि में स्वच्छता से संबंधित संदेशों एवं नारों को प्रतिचित्रित किया गया।
- सभी छः प्रखंडों में दरवाजा-दरवाजा अभियान एवं अंतर्वैयक्तिक संचार किया गया।
- वार्षिक आधार पर राज्य भर में स्वच्छता सप्ताह और 'स्वच्छता उत्सव' मनाया जा रहा है। इन बड़ी धूमधाम वाले कार्यक्रमों से निर्मल स्थिति हासिल करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता के संबंध में जागरूकता के स्तर में वृद्धि हुई है।
- विशेषकर स्वच्छता सप्ताह के दौरान पत्रिका, इश्तहार आदि के रूप में संचार सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है।

सामुदायिक संचलन की बहुसूत्रीय कार्यनीति से समुदाय में निर्वाचित नेताओं के बीच नाटकालिकता की भावना पैदा करने में मदद मिली। जिन्होंने बाद में व्यवहार में बदलाव लाने के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक अभियान किया है। मुख्य स्टेकहोल्डरों के सीएलटीएस प्रशिक्षण की वजह से 'शर्म' और अप्रसन्नता की बात जो अभियान विचार-विमर्श के दौरान अभिभावी रहा, परिवर्तन के कारक बन गए हैं।

अनेक ग्राम पंचायतों ने खुले में शौच करने के लिए अर्थदंड की शुरूआत करके ऋणात्मक सुदृढ़ीकरण कार्यनीति अपनाई जिसकी ग्राम बैठक में घोषणा की गई तथा सूचना पट्ट के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया गया। यह एक साहसिक कदम था जिसे सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक स्वीकार्यता द्वारा संभव बनाया गया। इस पर ध्यान दिए बिना कि क्या उल्लंघन के मामले में वास्तव में अर्थदंड लगाया गया। नए विनियम की सांकेतिक शक्ति थी तथा खुले में शौच की प्रथा को रोकने के लिए सामाजिक दबाव के साक्ष्य के रूप में कार्य किया। अभियान के परिणामस्वरूप जिन लोगों ने शौचालय निर्मित किया है, के साथ चर्चा से पता चलता है कि सामाजिक दबाव एक मुख्य प्रेरक कारक था।

प्रौद्योगिकी एवं आपूर्ति श्रृंखला

जिले ने अन्य की तुलना में किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित नहीं किया; लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वह उस शौचालय मॉडल का चयन करें जो उसकी आवश्यकताओं एवं बजट के सर्वाधिक अनुकूल हों। लोगों ने सामान्यत: बाजार में अपना शौचालय बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद करने का प्रबंध कर लिया है। जैसे-जैसे मांग बढ़ने लगी, प्रखंड स्तर पर स्वच्छता दुकानों में अधिक सामग्री का भंडारण होने लगा। पड़ोसियों और समुदाय के सदस्यों ने स्थानीय राजमिस्री को कार्य में लगाने के लिए सहयोग किया हालांकि उन्होंने

सामान्यत: एकल तकनीकी विकल्प: आरसीसी स्लेब के साथ पेन से एकल पिट ऑफसेट उपलब्ध कराया। स्थल के अनुसार इन शौचालयों के निर्माण पर 10,000 रू. से लेकर 30,000 रूपए तक खर्च हो सकता है। सामान्यत: उनके लिए स्थायी अधिसंरचना होती है और पिट कवर कम से कम तीन ईंच मोटा आरसीसी स्लेब होता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाई जाती है और कंपोस्ट गड्ढा और सोख्ता गड्ढा जैसे विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र को संवर्द्धित किया जाता है। अनपघट्य अपशिष्ट के लिए कबाड़ीवाला के माध्यम से पुन:चक्रण को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाते हैं।

वित्तपोषण

राज्य की नीतियों के अनुसार हमीरपुर जिले ने शौचालय को अपनाने के लिए लोगों की प्रारंभिक अभिप्रेरणा के रूप में बीपीएल के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन राशि का उपयोग नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रोत्साहन राशि तभी जारी किया जाएगा जब परिवार शौचालय का उपयोग कर रहे हों और संपूर्ण पंचायत को निर्मल (ओडीएफ) घोषित किया गया। जब पंचायत प्रखंड कार्यालय को यह सूचित करता है कि इसने ओडीएफ की स्थिति हासिल कर ली है और समकक्ष समीक्षा के माध्यम से इस दावे को सत्यापित कर दिया गया है जिसमें एक ग्राम पंचायत के सदस्य अन्य पंचायत की स्थिति को सत्यापित करते हैं ताकि सत्यापन के दुहराव से बचा जा सके।

प्रोत्साहन की धनराशि किसी विशेष शौचालय डिजाइन के मूल्य से संबद्ध नहीं है यद्यपि उन परिवारों एवं राजमिस्त्रियों के लाभ के लिए द्वि-प्रक्षालन पिट मॉडल को प्रशिक्षित किया गया जिन्हें इस ढंग से शौचालय बनाने में प्रशिक्षित किया गया। सब्सिडी की रिलीज में किसी मध्यवर्ती व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है।

सामुदायिक एकजुटता की बहुसूत्रीय कार्यनीति से समुदाय के जनप्रतिनिधियों में तात्कालिकता की भावना पैदा करने में मदद मिली जिसने बाद में व्यवहार में बदलाव लाने के लिए व्यापक रूप से अभियान चलाया।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, एनबीए (टीएससी) और मनरेगा जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई गई योजनओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा सके। लागत की पूर्ति के लिए अनेक पंचायतों ने राज्य एवं राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न पुरस्कार योजनाओं के तहत प्राप्त पुरस्कार राशि का भी उपयोग किया है ताकि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके।

क्षमता निर्माण

जिले के स्वच्छता अभियान में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ डीआरडीए स्टॉफ सदस्यों के लिए आयोजित सीएलटीएस कार्यशाला से आरंभिक गति आई। सहायक संगठन के सहयोग से जिला एवं प्रखंड स्तरों पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेषकर, विद्यालय शिक्षक एवं महिला मंडलों के पदाधिकारियों को स्वच्छता से संबंधित व्यवहार में बदलाव लाने के लिए समुदायों एवं बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से विधियों का प्रशिक्षण दिया गया। पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ तकनीकों के अनुकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले भर में पूर्ण ओडीएफ की स्थिति हासिल करने के बाद ध्यान का संकेन्द्रण ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की ओर किया गया। इसके प्रयोजनार्थ, डीआरडीए व पंचायती राज संस्था के सदस्यों और अधिकारियों के

लाभ के लिए हरियाणा के कुरूक्षेत्र में मई, 2012 में प्रदर्शनी का आयोजन किया जिससे जिले में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में प्रगति आई।

निगरानी

स्वच्छता समिति की मासिक बैठकों में जिला स्तर पर इस कार्यक्रम की गहन निगरानी की गई है। जिसमें प्रखंड विकास अधिकारी प्रगति संबंधी रिपोर्ट देते हैं। इस तरह प्रखंड स्तर पर, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत सचिवों की मासिक बैठकों में प्रगति की समीक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रखंड विकास समिति (बीडीसी) की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है जिसमें पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य और संबंधित कर्मी भाग लेते हैं। टीएससी की निगरानी करना इन बैठकों की कार्यसूची की अन्य प्राथमिकता है।

यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि यह निगरानी ओडीएफ स्थिति संबंधी उपलब्धि जैसे समुदाय स्तरीय परिणामों पर ज्यादा केन्द्रित रही। ओडीएफ ग्राम पंचायतों के दावों को सत्यापित करने के लिए जिले में परस्पर सत्यापन प्रक्रिया का भी संचालन किया गया।

पुरस्कार एवं सम्मान

निर्मल ग्राम पुरस्कार के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन अतिरिक्त पुरस्कार योजनाएं आरंभ की हैं:

- वर्ष 2007 में महर्षि बाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एमवीएसएसपी) शुरू किया गया। इस राज्य में स्वच्छता पुरस्कार योजना का कार्यान्वयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है तथा संपूर्ण स्वच्छता की स्थिति हासिल करने में ग्रामीण समुदायों (प्रखंड, जिला, प्रभाग एवं राज्य स्तरों पर विजेताओं) के प्रयासों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है।

- वर्ष 2009-10 में, हिमाचल प्रदेश ने प्रखंड एवं जिला स्तरों पर सबसे स्वच्छ विद्यालयों के लिए प्रतियोगिता आधारित पुरस्कार योजना शुरू की। इस पुरस्कार के माध्यम से उन विद्यालयों को सम्मानित किया जाता है जिनके प्रयासों एवं उपलब्धियों से निर्मल हिमाचल की स्थिति हासिल करने में मदद मिली है।
- महिला मंडल प्रोत्साहन योजना, जिसमें टीएससी के प्रोत्साहन में योगदान करने वाले विशेषकर ओडीएफ की स्थिति हासिल करने में ग्राम पंचायतों को मदद करने वाले पांच महिला मंडलों (महिला समूह) को पुरस्कृत करने का प्रावधान है।

हमीरपुर जिले में उपर्युक्त सभी पुरस्कार योजनाओं को लागू किया है और इस प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया है। ये कार्यक्रम निर्मल स्थिति हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम करने में बहुत कारगर रहे हैं। पुरस्कारों की मीडिया द्वारा कवरेज किए जाने की वजह से ये प्रभावी आईईसी साधन भी बने।

उन्नयन एवं स्थायित्व

हमीरपुर ने ग्रामीण स्वच्छता के उन्नयन के लिए मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया। सभी ग्राम पंचायतों में कला जत्था एवं स्वच्छता सप्ताह जैसी सामुदायिक एकजुटता संबंधी पहलें शुरू की गईं तथा इसके बाद उन ग्राम पंचायतों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया जिसने ग्रामीण स्वच्छता को उन्नयित करने में अभिरूचि प्रदर्शित की है। इस प्रकार, कुछ वर्षों में ही, सभी ग्राम पंचायतों को कवर कर लिया गया और वर्ष 2009-10 तक हमीरपुर राज्य का प्रथम ओडीएफ जिला बन गया। ओडीएफ स्थिति हासिल करते ही डीआरडीए ने अभियान की दिशा को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा साफ-सफाई पद्धतियों की ओर

परिवर्तित कर दिया। तृतीय पक्ष द्वारा जिले के त्वरित मूल्यांकन में दावा किया गया है कि बढ़ी हुई आबादी को छोड़कर शत प्रतिशत परिवारों में ओडीएफ स्थिति मौजूद है।

डीआरडीए के परियोजना अधिकारी, श्री अजित भारद्वाज का उल्लेख किए बिना हमीरपुर की सफलता की कहानी पूरी नहीं होगी। टीएससी इस तथ्य से बहुत लाभान्वित हुआ कि परियोजना अधिकारी वर्ष 2006 से लेकर लगभग छः वर्षों तक लगातार उस स्थिति में रह पाए जो राज्य में बहु असाधारण है। इस स्थिर नेतृत्व ने कार्यनीतियों को सुदृढ़ करने और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के अभियान में मदद की।

हाल में दिए गए साक्षात्कार में श्री अजित भारद्वाज ने अपने कार्यकाल को "क्या करें" पर विचार करने से लेकर हमने क्या किया है, बताने तक की यात्रा बताई। मीडिया और आबादी के बड़े हिस्से ने हमीरपुर की सफलता की कहानी में बड़ी अभिरूचि व्यक्त की है लेकिन परियोजना अधिकारी हमें यह याद दिलाने में सजग हैं कि हमीरपुर सफलता की एक कहानी नहीं होता यदि सरकार के कर्मचारी और सहायता संगठनों की कड़ी मेहनत के साथ-साथ पंचायती राज संस्था के सदस्यों और महिला मंडलों की स्वप्रेरित भागीदारी नहीं होती।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, हमीरपुर

दूरभाष संख्या : 01972 221407

वर्ष दर वर्ष, एक कदम आगे

डल छेचदा ग्राम पंचायत यह एक उदाहरण है कि एमवीएसएसपी पुरस्कार योजना ने वर्ष दर वर्ष प्रगति करने के लिए ग्राम पंचायतों को कैसे प्रेरित किया। वर्ष 2006 में जब ग्राम पंचायत में अभियान की पहली बार शुरूआत की गई, स्वच्छता कवरेज मात्र 30 प्रतिशत

थी। डलछेचदा के समुदाय ने प्रधान श्री सुरेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में अनेक पुरस्कार प्राप्त करते हुए वर्ष दर वर्ष स्वच्छता स्थिति को बेहतर बनाते रहे।

2008: ओडीएफ घोषित किया

2009: एमवीएसएसपी पुरस्कार दिया गया, प्रखंड स्तर पर

2010: एमवीएसएसपी पुरस्कार दिया गया, जिला स्तर पर एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार

2011: एमवीएसएसपी पुरस्कार दिया गया, प्रभाग स्तर पर

पूर्वी गारो हिल्स, मेघालय

बंदूक के साये में बुनियादी स्वच्छता सुलभ कराना

पूर्वी गारो हिल्स अशांत असम-मेघालय सीमा पर एक पिछड़ा जिला है जहाँ विविध उग्रवादी समूह हैं। वर्ष 2011 में संघर्षरत जिले में सीमा के आस-पास रहने वाले गारो एवं रावा दो दबंग जनजातीय लोगों के बीच हिंसा एवं जातीय संघर्ष हुआ। इस प्रकार की वैमनस्यता से स्थानीय विकास की गति एवं प्रगति बाधित होती है। तथापि, ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो पारिवारिक आकांक्षाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं, जिले में बहुत अच्छी तरह से संचालित किए जा रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, जिले ने वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2011 तक

विगत दो क्रमागत वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रत्येक परिवार के लिए 80 श्रम दिवस हासिल किए। अशांति का मूल केन्द्र-पूर्वी गारो हिल्स में सामदा ब्लॉक संपूर्ण राज्य में प्रति परिवार 100 श्रम दिवस हासिल करने वाला पहला और एकमात्र ब्लॉक है।

इसी प्रकार, संपूर्ण स्वच्छता अभियान (निर्मल भारत अभियान) जिसने लोगों को विकास के मध्य में प्रस्तुत किया है, ने जिले में अच्छा निष्पादन किया है। तथापि, हिंसा एवं अव्यवस्था के साये में सफलता की राह आसान नहीं रही है। संघर्षरत ब्लॉक में उग्रवादियों ने समय-समय पर कार्यक्रम संचालकों को अपने क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। इन विविध धमकियों के बावजूद संचालकों ने जन केन्द्रित बदलाव पर अपना ध्यान केन्द्रित रखना जारी रखा। जब उन्हें स्थायी रखने तथा समाधान करने के महत्व पर पूर्ण विश्वास न हो ऐसी चुनौतियों का सामना करना प्राय: असंभव होता है। इस विश्वास को टीएससी अभियान के सिद्धांतों से बल मिला जो समुदाय के भीतर स्वामित्व एवं जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। प्रत्यक्ष खतरे की स्थिति में भी स्थानीय लोग पश्चिमी गारो हिल्स के आस-पास के जिलों में टीएससी की सफलता का अनुसरण करते हुए गाँव के प्रत्येक परिवार के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने के विजन का आदान-प्रदान कर पाए जिसके द्वारा कार्यक्रम से संबद्ध आशा एवं स्वाभिमान की भावना पैदा की गई।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कदम

नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से मांग सृजित करना

टीएससी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई कारक कार्य कर रहे थे। जिले में समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस), बुनियादी स्तर पर सामुदायिक एकजुटता कायम कर एवं अभिप्रेरित करके प्रशिक्षकों के लिए दो चक्रों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

भागीदारीपूर्ण एवं निदर्शनात्मक विधियों से तत्काल कार्य के लिए सुविधाप्रदाताओं एवं समन्वयकों को प्रेरित किया गया। सीएलटीएस से सरकारी प्रतिनिधियों को अपनी जड़ता से सक्रिय बनाया गया तथा उनमें स्थायी बदलाव की संभावना में विश्वास दिलाया। वे सीएलटीएस को आंतरिक मामला बना पाए तथा समुदायों के बीच व्यवहारगत बदलाव को प्रोत्साहित करने पर अपना ध्यान पुन: केन्द्रित कर पाए।

संस्थागत स्वच्छता को संचालित करने के लिए साझेदारी कायम करना।

इस कार्यक्रम की सफलता में मुख्य कारकों में से एक कारक को कई दशकों से गारो हिल्स में सामुदायिक सेवा प्रदान करने वाले सर्वाधिक प्रामाणिक एवं व्यवस्थित मिशनरी, गैर-सरकारी संगठनों के साथ- की गई साझेदारी का श्रेय दिया जा सकता है। उन्हें सीएलटीएस दृष्टिकोण के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान में योगदान करने वाले साधनों के रूप में जिला जल एवं स्वच्छता समिति के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया गया। डीडब्ल्यूएससी ने तीन गैर-सरकारी संगठनों:बकदिल, मेंदीपाथर बहुउद्देशीय सहकारी समिति; और मेघालय ग्रामीण विकास सोसायटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इन गैर-सरकारी संगठनों के संरक्षक राज्य एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता होते हैं जो संगठन को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ध्यान का संकेन्द्रण स्वच्छता के लक्ष्यों को हासिल करने के संयुक्त प्रयासों में स्थानीय समुदाय की भागीदारीपूर्ण सहभागिता पर किया गया था।

अंतिम लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठेकेदार अथवा बिचौलिए मुक्त आपूर्ति

सामग्रियों की उपलब्धता एवं अभिगम्यता प्राय: मौजूद हार्डवेयर आपूर्तिकर्त्ता द्वारा निर्देशित होती है। इस तरह समुदाय ठेकेदारों एवं बिचौलिए पर काफी निर्भर है। इस प्रकार, बिचौलिए को हटाकर आपूर्ति श्रृंखला की आधारभूत प्रक्रियाविधि को बेहतर बनाने

से अभियान को बहुत सफलता मिली है। टीएससी के लिए सतत एवं विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए इन आपूर्तिकर्त्ताओं एवं ठेकेदारों की जगह उन स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों को लगाया गया जो परिवारों को सेवा उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। शौचालय बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को सस्ता तथा समयबद्ध ढंग से परिवारों तक अभिगम्य बनाया गया है। संलग्न गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया गया कि वे आपूर्ति की कीमतों को स्थिर करें तथा गरीबों को ऋण देने का प्रस्ताव करें। पसंद करने की स्वतंत्रता विकास की अन्य मुख्य विशेषता रही है। ग्रामीण परिवारों को पानी की बचत करने वाले प्लास्टिक पेन्स से लेकर मिट्टी से बने पेन, ईको-सेन पेन, में से किसी को चुनने के विभिन्न विकल्प उपलबध कराए गए। इसके बाद परिवार सोच-विचार कर निर्णय ले सकते हैं तथा अपने लिए सर्वाधिक उपयुक्त वस्तु का चयन कर सकते हैं।

परिणाम

संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जो जिले में जन नेतृत्व वाला जन संचालित कार्यक्रम है, वर्ष 2009-10 में शून्य की तुलना में वर्ष 2010-11 में 49 एनजीपी को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला। यह संख्या उस बड़ी उपलब्धि का परिचायक है जिसे राज्य ने विश्वास एवं परिणामदायक दोनों रूप में प्राप्त किया है। परिवार द्वारा की गई प्रगति का सम्मान एवं सराहना करने के उद्देश्य से डीडब्ल्यूएससी ने डीडब्ल्यूएससी के अध्यक्ष और सदस्य सचिव की उनके निष्पादन के लिए सराहना की तथा बधाई दी।

फोटो

फोटो

कांगड़ा जिला

समुदायनीत अभियान ने मात्र तीन वर्षों में 760 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाया

कांगड़ा 15 विकास प्रखंडों, 760 ग्राम पंचायतों और 3868 राजस्व गॉव वाला, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की कुल जनसंख्या 15 लाख है, जिसकी लगभग 95 प्रतिशत जनंसख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

मार्च,2015 में सपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के लिए जिला स्तरीय परियोजना स्वीकृत की गई। वर्ष 2015 में कराए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत आबादी

के पास शौचालय की सुविधा नहीं थी तथापि, वर्ष 2008 तक जिले में टीससी को प्राथमिकता के आधार पर संचालित नहीं किया गया जिससे इस मामले में बहुत कम प्रगति हो पाई। वास्तविक रूप से जिले में केवल 805 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, 15 सामुदायिक शौचालय, और 287 विद्यालय शौचालय बनाए गए।

अप्रैल, 2008 में एक नए परियोजना अधिकारी जो समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता में प्रशिक्षित हुआ करते थे, ने डीआरडीए का प्रभार ग्रहण किया। उसने टीएससी की कार्यनीति को परियोजना मोड से बदलकर अभियान मोड कर दिया। जिला स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 प्रखंडों में कार्यरत 13 सहायता संगठनों को कार्य में लगाया गया और समुदाय आधारित अभियानों एवं आईईसी क्रियाकलापों को सुविधागत बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया। साथ ही, जिला एवं प्रखंड प्रशासन ने टीएससी को प्राथमिकता देना प्रारंभ किया। सामुदायिक अभियान के परिणाम नाटकीय थे, तीन वर्षों के भीतर जिले की सभी 760 ग्राम पंचायतें खुले में शौच करने की आदत से मुक्त हो गईं। इस पैमाने पर अभियान को संचालित करना आसान नहीं था, इसके लिए न केवल सुदृढ़ संस्थागत समन्वय एवं प्रभावकारी आईईसी क्रियाकलापों की बल्कि गुणात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रामाणिक एवं समयबद्ध निगरानी पद्धतियों की आवश्यकता थी।

संस्थागत व्यवस्था

कांगड़ा जिले ने जिला स्तरीय स्वच्छता समिति बनाई जिसमें उपायुक्त को अध्यक्ष, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी को सदस्य सचिव, टीएससी के जिला नोडल अधिकारी को सदस्य बनाया गया। जहाँ संविदा पर रखे गए स्टॉफ को भर्ती करके टीएससी प्रकोष्ठ को जिला स्तर पर स्थापित किया गया वहीं प्रखंड स्तर पर सहायता संगठनों को कार्य पर लगाया गया और उसके बाद वे प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर

समन्वयकों एवं प्रेरकों को कार्य पर लगाया गया। अभियान की मासिक प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए जिले में प्रखंड स्तरीय स्वच्छता समितियों को भी संस्थापित किया गया जिसमें एसडीएम को अध्यक्ष और बीडीओ को सह-अध्यक्ष बनाया गया।

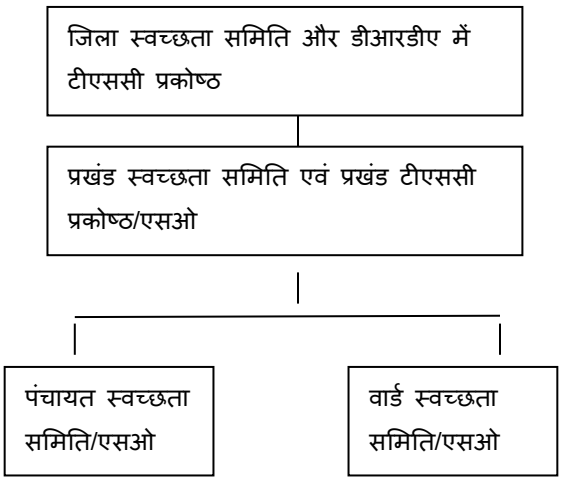

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तरों पर स्वच्छता समिति संस्थापित की गई

ओडीएफ उपलब्धि की प्रगति

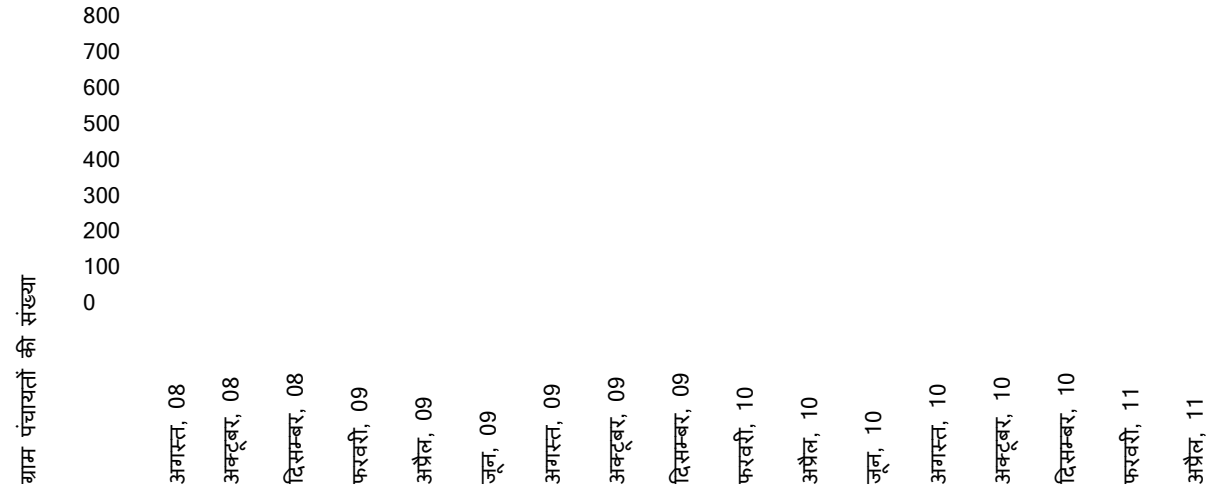

आईईसी और क्षमता निर्माण

डीआरडीए ने व्यवहारगत बदलाव पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए कार्यनीतिगत आईईसी योजना अपनाई। विचार यह था कि खुले में शौच करने की आदत के बारे में समुदायों में जागरूकता पैदा करने तथा शौचालय का निर्माण एवं उपयोग करके इस आदत को छोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करना था। वृहत पैमाने पर समुदायों को एकजुट करने के लिए सीएलटीएस के साधन प्रभावकारी पाए गए। उल्लेखनीय है कि टीएससी के अंतर्गत उपलब्ध हार्डवेयर निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि का उपयोग अभिप्रेरणा के लिए नहीं किया गया। इसके विपरीत, बीपीएल परिवारों के लिए प्रोत्साहन राशि ग्राम पंचायत द्वारा ओडीएफ की स्थिति हासिल करने के बाद ही उपलब्ध कराई गई जिससे व्यवहारगत वृहत बदलाव को प्रोत्साहित करने में सामुदायिक कार्यक्रम एवं समकक्ष दबाव का लाभ लेने में मदद मिली।

प्रेरकों के माध्यम से सीएलटीएस के संचालन एवं अनुपालन के अतिरिक्त कला जत्था (नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम), घर-घर जाकर अभियान एवं अंतर्वैयक्तिक संचार, ग्राम स्तरीय वीडियो प्रदर्शन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान, स्कूली बच्चों के बीच लेखन एवं निबंध लेखन एवं स्वच्छता सप्ताह समारोह जैसे अन्य आईईसी क्रियाकलाप भी नियमित आधार पर आयोजित किए गए।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना (महर्षि बाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एमवीएसएसपी) और विद्यालय पुरस्कार योजना तथा निर्मल ग्राम पुरस्कार से ग्राम पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके वांछित परिणाम हासिल करने के उद्देश्य से समुदायों को प्रेरित करने में मदद मिली।

निगरानी

ओडीएफ स्थिति की निगरानी करने की उल्लेखनीय कार्यनीति अंतर-खंड का

सत्यापन करना है जो किसी विशेष ग्राम पंचायत की ओडीएफ स्थिति का सत्यापन करने वाले आस-पास प्रखंड के अधिकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं सहित इस दल द्वारा समकक्ष सत्यापन का एक रूप है। इसे न केवल ओडीएफ के दावों का तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन के माध्यम से बल्कि प्रदर्शन दौरों के लिए अवसर भी उपलब्ध कराया जाता है जिसमें सफल कार्यनीतियां एवं पद्धतियां से ग्रामीण स्वच्छता का अधिक उन्नयन हो सकता है।

दूसरी ओर, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर जिला स्तर पर अभियान की प्रगति की निगरानी की जाती है। प्रखंड विकास अधिकारियों को निर्धारित फार्मेट में मासिक प्रगति की रिपोर्ट करनी होती है जिसमें प्रशिक्षित एवं नियोजित प्रेरकों की संख्या, ओडीएफ की स्थिति की घोषणा करने वाले संकल्पों को पारित करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या, घरेलू शौचालयों की कवरेज की चार श्रेणियों में ग्राम पंचायतों की संख्या (25 प्रतिशत से अधिक, 25-49 प्रतिशत, 50-74 प्रतिशत, 75 प्रतिशत से अधिक) स्वयं को ओडीएफ घोषित करने वाली उन पंचायतों की संख्या जिनमें संस्थागत स्वच्छता सुविधाएं निर्मित की गई हैं, उन ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें तीन प्रमुख निर्मल ग्राम पुरस्कार मानदंड पूरे कर लिए गए हैं (ओडीएफ स्थिति+संस्थागत स्वच्छता+ठोस एवं तरल अपशिष्ट का निपटान), राज्य पुरस्कार योजना (एमवीएसएसपी) की शुरूआत करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या; और निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए मूल्यांकित की गई अथवा निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या संबंधी जानकारी शामिल रहती है।

चूंकि निगरानी मुख्य रूप से परिणामों पर केन्द्रित थी इसलिए अभियान के कार्यान्वयन के दौरान उपलब्धियों की बजाय शौचालयों के निर्माण जैसे परिणामों को हासिल करने पर जोर दिया गया। निगरानी से यह सुनिश्चित

करने में भी मदद मिली कि जिला स्वच्छता मिशन के विजन को प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर सभी अधिकारियों द्वारा साझा किया गया। वृहत पैमाने पर परिणामों को हासिल करने में जिले की सफलता भी इस विशेष कार्यनीति के महत्व को रेखांकित करता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कांगड़ा
दूरभाष : 01892227612

चोखो चुरू

ओडीएफ जिला की स्थिति प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना

चित्र

आज तक, राजस्थान में 321 ग्राम पंचायतों (ग्राम पंचायत अथवा ग्राम स्तरीय स्थानीय सरकार) को निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) मिला है। यह पुरस्कार खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्वच्छ गांव की स्थिति प्राप्त करने वालों को भारत सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि है। प्रभावकारी के साथ-साथ, यह आँकड़ा राज्य में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के चार प्रतिशत से कम हिस्से को प्रदर्शित करता है। यह व्यापक रूप से विश्वास किया गया कि राजस्थान जैसे राज्य में लोगों के स्वच्छता संबंधी व्यवहार में बदलाव लाना जल की कमी और शौच के लिए उपलब्ध जमीन के बड़े खर्च के मद्देनजर चुनौतीपूर्ण है। जब किसी जिला कलक्टर ने चुरू के संपूर्ण जिले को ओडीएफ बनाने का अभियान शुरू किया तो इस लक्ष्य को अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया गया।

तथापि, कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है कि कुछ माह के भीतर अन्य 50 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त, 28 पंचायतों वाला संपूर्ण ब्लॉक (उप-जिला) कारगर ढंग से ओडीएफ बन गया।

यह जिला धीरे-धीरे स्वयं को संपूर्ण रूप से ओडीएफ घोषित करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। स्वच्छता को प्रोत्साहित

करने में गहन रूचि रखने वाले सक्रिय नेतृत्व इस बदलाव के केन्द्र में था। यह अभियान नवम्बर, 2013 में शुरू किया गया जिसमें रोहित गुप्ता ने सुविधा प्रदान की जिसे झालावाड़ में उसी हैसियत से काम करने के बाद अक्टूबर, 2012 में चुरू का जिला कलक्टर बनाया गया। राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर वरिष्ठ राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से प्रोत्साहन अभियान की निरंतरता को कायम रखने में उपयोगी था।

एक माह के भीतर, जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित चुरू जिले के सभी मुख्य स्टेकहोल्डरों ने इस सामान्य संकल्पना को अपनाया।

कई लोगों के लिए यह आश्चर्यजनक है कि कुछ माह के भीतर संपूर्ण ब्लॉक और 80 ग्राम पंचायतें ओडीएफ बन गईं। चुरू जिला संपूर्ण जिले को ओडीएफ घोषित करने की दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

वे आम समुदायनीत अभियान के उभार को देख पाए जिससे ज्यादा से जयादा गाँवों में खुले में शौच करने की आदत का परित्याग किया गया। जिला कलक्टर और जिला प्रमुख के स्वप्रेरित नेतृत्व के अतिरिक्त, इस पहल की सफलता मुख्य रूप से अभियान की रूपरेखा की वजह से हुई जिसने संस्थागत व्यवस्था, संचार, क्षमता निर्माण, चरणबद्धता, वित्तपोषण, निगरानी एवं पुरस्कार, जैसा कि यहाँ वर्णित किया गया है, जैसे सभी महत्वपूर्ण घटकों का समाधान हुआ।

संस्थागत व्यवस्था

विभिन्न स्तरों पर स्थापित सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था के बिना इस स्तर का अभियान संभव नहीं हुआ होगा।

जिला स्तर

जिला प्रमुख की अध्यक्षता एवं जिला कलक्टर की सह-अध्यक्षता वाला जिला स्वच्छता मिशन अभियान की देखरेख

करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सदस्य सचिव के रूप में अपनी हैसियत से इस संस्था में मुख्य भूमिका है। विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इस मिशन के सदस्य होते हैं। जिला समनवयक की अध्यक्षता वाली जिला सहायता इकाई और जिसमें दिन-प्रति-दिन के आधार पर अभियान को संचालित करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर स्टॉफ सदस्य होते हैं, के साथ-साथ लगभग 30 सूचीबद्ध सदस्यों वाले जिला संसाधन समूह द्वारा इस मिशन की सहायता की जाती है। संसाधन व्यक्तियों को गॉवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुविधा प्रदान करने अथवा समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता अभियान(सीएलटीएस) को संचालित करने के लिए यथा आवश्यकता आधार पर कार्य में लगाया जाता है।

<u>प्रखंड स्तर</u>

प्रखंड स्तर पर प्रधान (ब्लॉक पंचायत के अध्यक्ष) ,एसडीएम, बीडीओ और प्रखंड समन्वयक सहित एक समूह इस अभियान को सुविधा प्रदान करते हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर, समूह जिसमें सरपंच, ग्राम सचिव, और एक प्रभारी (ग्राम पंचायत में पदस्थापित सरकारी स्टाफ में से चुने गए नोडल अधिकारी) शामिल रहते हैं, इस अभियान को संचालित करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस अभियान को सहायता पहुँचाने के लिए चुनिंदा ग्राम पंचायतों में दो प्रेरकों को कार्य में लगाया जाता है।

ग्राम/बसावट स्तर

प्रत्येक बसावट के लिए, 10-20 प्राकृतिक कारकों (सीएलटीएस तकनीकों का उपयोग कर सामुदायिक संचलन की प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक कारकों को निर्धारित किया जाता है) सहित निगरानी समिति गठित की गई। निगरानी समिति को समन्वित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय प्रभारी को एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और

विद्यालय शिक्षकों में से ग्राम स्तरीय प्रभारी प्रतिनियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है।

संचार एवं अभिगम्यता

विश्व बैंक के जल और स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत सहायता से जिले में स्टेकहोल्डरों द्वारा एक जिला-विशिष्ट संचार कार्यनीति बनाई गई। संचार कार्यनीति के दो मुख्य घटक हैं:-

सम्मान एवं स्वाभिमान पर संकेन्द्रित अभियान का प्रचार -

अभियान की व्यवहारगत बदलाव संबंधी संचार कार्यनीति समुदाय के भीतर सम्मान एवं स्वाभिमान पर आधारित होती है। निम्नलिखित पहलों के माध्यम से अभियान का प्रचार किया जाता है:

- अभियान का नाम 'चोखो चुरू' (चोखो का तात्पर्य स्थानीय भाषा में स्वच्छ एवं सुन्दर है) दिया जाता है।
- डब्ल्यूएसपी से डिजाइन संबंधी सहायता लेकर 'चोखो चुरू' अभियान को निरूपित करने के लिए एक आकर्षक प्रतीक चिह्न का उपयोग किया जाता है।
- चोखो घर का स्टेंसिल (एक साफ एवं सुन्दर घर) खुले में शौच की आदत का परित्याग कर चुके घरों पर चित्रित किया जाता है।
- ओडीएफ ग्राम पंचायत को चोखो के रूप में चिह्नित करने वाले सरकारी कार्यालयों में मान्यता संबंधी बोर्ड लगाया जाता है।

फोटो

फोटो

सभी स्तरों पर संप्रेषित करना आवश्यक था कि सरकार की वित्तीय सहायता वास्तव में प्रोत्साहन राशि है, जिसे केवल उन परिवारों को उपलब्ध कराई

जाएगी जो स्वयं शौचालय का निर्माण करते हैं।

व्यक्तियों की बजाय समुदाय को लक्षित करना

जिले ने घरेलू शौचालय निर्माण जैसी व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने की बजाय संपूर्ण गांव, ग्राम पंचायत और प्रखंडों को ओडीएफ बनाने जैसी सामुदायिक उपलब्धियों को हासिल करने संबंधी अपनी सभी प्रचार कार्यनीति पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया। यह कार्यनीति इस अवधारणा पर आधारित थी कि व्यक्तिगत पसंदों की अपेक्षा सामुदायिक मानदंडों द्वारा वृहत व्यवहारगत बदलाव किया जाता है। संपूर्ण समुदाय को लक्षित करने से शौचालय का निर्माण एवं उपयोग करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करके अपने सदस्यों पर सामाजिक दबाव डालता है।

समुदायनीत दृष्टिकोण

पूर्व अनुभव से पता चला कि अभियान तभी सफल होगा जब वह समुदायनीत हो। जहाँ सीएलटीएस का संचालन अभियान की सफलता के लिए आवश्यक तत्काल एवं सामूहिक कार्य सम्पन्न करने में प्रभावकारी है, वहीं लक्षित आबादी की सब्सिडी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, सभी स्तरों पर यह संप्रेषित करना आवश्यक था कि निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सरकार की वित्तीय सहायता वास्तव में एक प्रोत्साहन राशि थी जिसे केवल उन परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने अपना शौचालय स्वयं बनाया। इससे निर्माण कार्य शुरू करने तथा व्यवहारगत बदलाव लाने में सरकारी सहायता के लिए प्रतीक्षा करने के बजाय जिला संसाधन समूह द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद तत्काल कार्य करने के लिए समुदाय को अभिप्रेरित किया गया।

अंतरवैयक्तिक संचार पर ध्यान केन्द्रित करना

ग्राम पंचायत के परिप्रेक्ष्य में अभियान दो दिन तक गहन अभिप्रेरण और जिला

संसाधन समूह द्वारा सुविधाप्रदत्त सामुदायिक अभिगम्यता कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। जिला समन्वयक, श्यामलाल के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्यान्वित यह कार्य क्रमबद्ध कार्यक्रम का अनुपालन करके सभी ग्राम पंचायतों में समुचित संचार कार्यनीति से अभियान के लिए समर्थनकारी वातावरण की उत्पत्ति सुनिश्चित करता है।

समेकित अभियान

चोखो चुरू सभी सरकारी अभिगम्यता कार्यक्रमों चाहे रात्रि चौपाल (विकासात्मक योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए रात्रि में आयोजित बैठकें) के परिप्रेक्ष्य में हो अथवा प्रशासन गाँवों का संघ (ग्रामीण योजनाओं को प्रोत्साहित करने वाला राज्य स्तरीय सरकारी अभियान) हो, में चर्चा की सूची में रहा है।

क्षमता निर्माण

इस पैमाने पर अभियान के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों को लक्षित करने वाले व्यापक क्षमता विकास कार्यक्रम की आवश्यकता है जिसकी विश्व बैंक के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत सहायता की गई है। डब्ल्यूएसपी के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुविधागत बनाने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों और संसाधन कर्मियों को कार्य में लगाया गया। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रेरकों और संसाधन समूह के सदस्यों के लिए समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सीएलटीएस) संबंधी पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसे फीडबेक वेंचर्स द्वारा सुविधागत बनाया गया। इसी तरह, प्रतिष्ठित विशेषज्ञ श्रीकांत नवरेकर द्वारा सभी प्रखंडों में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूएसपी के अंतर्गत झोरूखा चेरिटेबल ट्रस्ट की सहायता ली गई जिसके अंतर्गत नेमी बैठकों और क्षेत्र

दौरों के माध्यम से पंचायती राज संस्था के सदस्यों, प्रेरकों, और नोडल-अधिकारियों के नियमित क्षमता निर्माण के लिए दो पूर्णकालिक परामर्शदाता (संचार एवं क्षमता विकास के साथ निगरानी और मूल्यांकन में विशेषज्ञता के साथ) उपलब्ध कराए गए ।

स्वयं के लिए शौचालय का निर्माण करने वाले लोग व्यवहारगत वास्तविक बदलाव का सही संकेतक है

चरणबद्ध करना

नवम्बर, 2012 में तारानगर प्रखंड में जिला कलक्टर और जिला प्रमुख के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यशाला के साथ अभियान की शुरूआत की गई। उद्घाटन स्थल के रूप में तारानगर प्रखंड के चयन से 'चोखे चुरू' अभियान के लिए आवश्यक गति प्रदान करने में मदद मिली। एसडीएम, हरितीमा, प्रखंड विकास अधिकारीगण इमीलाल सरण, और गोपीराम मेहला के साथ-साथ प्रधान अंकोरी देवी कासवा के स्वप्रेरक नेतृत्व के फलस्वरूप प्रखंड में सभी ग्राम पंचायतें दो माह के भीतर ओडीएफ पंचायतें बन गईं। इसके पूरा होने पर अभियान को जनवरी, 2013 में सरदारशहर एवं चुरू प्रखंडों में लागू किया गया। मई, 2013 तक सभी छः प्रखंडों को कवर करते हुए इस अभियान को संपूर्ण जिले में चलाया गया। इस चरणबद्ध दृष्टिकोण और तारानगर प्रखंड की सफलता से न केवल विश्वास पैदा करने में स्टेकहोल्डरों को मदद मिली बल्कि परियोजना के आरंभिक चरणों से सफल कार्यनीतियों को वर्णित रख पुनरावृत करने में भी मदद मिली।

वित्तपोषण

सीआरएसपी के कार्यान्वयन के अनुभव से यह अच्छी तरह ज्ञात हुआ है कि केवल शौचालय उपलब्ध कराने से वांछित परिणाम सुनिश्चित नहीं होंगे। वास्तविक एवं स्थायी व्यवहारगत बदलाव का सही संकेतक स्वयं के लिए शौचालय बनाने वालों के लिए होगा।

तथापि, गरीब परिवारों की वित्तीय परिस्थितियां इस तथ्य को ध्यान में रखने की अनुमति नहीं देती हैं जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिला प्रशासन ने मनरेगा के माध्यम से श्रमिक उपलब्ध कराने और वांछित परिणाम प्राप्त होने के तत्काल बाद एनबीए के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि रिलीज करने के लिए हर संभव प्रयास किया।

फोटो फोटो

फोटो फोटो

उपलब्ध प्रोत्साहन राशि को ग्राम पंचायतों को अंतरित किया गया और उसके बाद ग्राम पंचायत ने सीधे शौचालय का निर्माण एवं उपयोग करने वाले सभी पात्र परिवारों के बैंक खातों में अंतरित कर दिया। इसे समर्थनकारी बनाने के लिए, ग्राम पंचायत स्तर पर दो दिवसीय अभिप्रेरण कार्य आरंभ करने से पहले सभी पात्र परिवारों के लिए मंजूरी कार्य पूरे किए गए। चूँकि सरकारी सहायता की गारंटी गरीबों के लिए है, इसलिए जनसंख्या के धनी वर्गों ने अपने समुदायों में गरीब परिवारों को कर्ज पर सामग्री उपलब्ध कराने में दुकानदारों के साथ सहयोग किया ताकि वे अपने गाँवों को ओडीएफ बना सकें और संपूर्ण समुदाय के लिए सम्मान एवं मर्यादा हासिल कर सकें।

चूंकि लोगों को स्वाभिमान, मर्यादा एवं स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में शौचालय का निर्माण एवं उपयोग करने के लिए, न कि सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है इसलिए चुरू के लोग अपनी पसंद विशेषकर सरकारी प्रोत्साहन राशि में कवर किए गए शौचालयों की अपेक्षा ज्यादा मूल्य के शौचालय का निर्माण करते हैं। चूँकि लोगों को अपनी पसंद के अनुसार शौचालय बनाने की अनुमति दी जाती है इसलिए गरीब परिवार भी दीर्घकालिक उपयोग पर विचार करते हुए अतिरिक्त

संसाधनों का निवेश करते हैं। अनेक मामलों में, वे शौचालय के बगल में अतिरिक्त स्नान कक्ष का निर्माण करते हैं। तथापि, जिला प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि शौचालय की विभिन्न डिजाइन को प्रदर्शित करके और राजमिस्री को प्रशिक्षित करके उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।

निगरानी एवं सत्यापन

पारंपरिक तौर पर, सरकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत शौचालयों की संख्या की निगरानी की जाती है। लेकिन वह अभियान जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करना है, के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त गाँवों की संख्या की निगरानी करनी होती है। उपलब्धि की बजाय परिणामों की निगरानी में यह बदलाव जिला एवं प्रखंड स्तरों पर नैमित्तिक समीक्षा में स्पष्ट हो गया है। इस प्रक्रिया ने तारानगर को न केवल राजस्थान में प्रथम ओडीएफ बनने में मदद की बल्कि इसने अन्य जिलों में ऐसी ही पहलों को अभिप्रेरित करके मुख्य स्टेकहोल्डरों के लिए प्रदर्शन दौरा के रूप में भी कार्य किया। इस बारे में सभी जिज्ञासु हैं कि प्रत्येक प्रखंड में कितनी ग्राम पंचायतें खुले में शौच करने की आदत से मुक्त हो गई। इसके अतिरिक्त, जिला कलक्टर के कार्यालय में निगरानी बोर्ड लगाया गया जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के नाम और उनमें कौन-कौन सी पंचायतें ओडीएफ बन गई, को हरे रंग से लिखा गया।

इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा ओडीएफ के दावों का बहुस्तरीय सत्यापन किया गया। अभियान के दौरान, अनेक ग्राम पंचायतों ने शौचालय के उपयोग की स्थिति के अनुसार, लाल अथवा हरे रंगों में चिह्नित सभी परिवारों के साथ सार्वजनिक भवनों में गाँव का मानचित्र प्रदर्शित किया गया। सभी परिवारों को हरे रंग से चिह्नित किए जाने के बाद ग्राम पंचायत ओडीएफ की स्थिति का दावा करते हुए बीडीओ के पास एक संकल्प भेजेगी। प्रखंड स्तर पर

सत्यापन के बाद, बीडीओ इस संकल्प को जिला सहायता इकाई के पास अग्रेषित करेगा। इसके बाद जिला ने वास्तविक सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कर्त्ताओं के दल को संबंधित ग्राम पंचायतों के पास भेजा। यह दल खुले में शौच करने की किसी घटना का अवलोकन करने के लिए दिन के प्रथम पहर में गाँव का दौरा करेगा। यदि किसी दल को यह विश्वास हो जाता है कि ग्राम पंचायत में खुले में शौच करने की आदत का पूर्णत: परित्याग कर दिया गया है तो वे इसे ओडीएफ घोषित करने की सिफारिश करेंगे। ओडीएफ घोषित किए जाने के बाद बोर्ड ग्राम पंचायत के कार्यालय के पास एक बोर्ड लगाएगा जिसका नाम चोखी ग्राम पंचायत अर्थात् साफ एवं सुन्दर ग्राम पंचायत होगा।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने तारानगर प्रखंड की ओडीएफ स्थिति का वास्तविक सत्यापन करने के लिए सातों जिला के जिला परिषदों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों को भेजकर अप्रैल, 2013 में अंतर-जिला सत्यापन करवाया। यह दल गुणात्मक परिणामों के लिए विभिन्न अभिकर्त्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगाढ़ता से प्रभावित हुआ। इस प्रक्रिया से तारानगर को न केवल राजस्थान में पहला ओडीएफ प्रखंड को वैधीकृत करने में मदद मिली बल्कि अन्य जिलों में ऐसा ही अभियान आरंभ करने के लिए उन्हें प्रेरित करके मुख्य स्टेकहोल्डरों के लिए एक प्रदर्शन दौरा के रूप में कार्य किया।

फोटो

पुरस्कार एवं सम्मान

पुरस्कार एवं सम्मान ने पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभाई। अनेक व्यक्तियों के लिए, ओडीएफ समुदाय बनने और संबद्ध सम्मान प्राप्त करने

की अवधारणा ही इस लक्ष्य के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए पर्याप्त अभिप्रेरणा थी। एनबीए के अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए 20 लाख रूपए तक की निधियों की मंजूरी जारी करने के लिए ओडीएफ की स्थिति को प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायतों के पहले जत्थे के लिए ओडीएफ की स्थिति प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक समारोह में पुरस्कार के रूप में 20 लाख रूपए का चेक दिया गया। यह ओडीएफ अभियान को आरंभ एवं अगुआई करने के उद्देश्य से सरपंच को प्रोत्साहित करने वाला प्रभावकारी प्रेरक कारक हो गया है। इसके अतिरिक्त, जिला कलक्टर उत्तम निष्पादन करने वाले सरपंचों एवं नोडल अधिकारियों को समय-समय पर मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2013 में स्वतंत्रता दिवस को अभियान के उल्लेखनीय परिणामों को सम्मानित करते हुए रोहित गुप्ता, जिला कलक्टर को पुरस्कृत किया।

मुख्य सीख

निम्नलिखित मुख्य कारक हैं जिसने 'चोखो चुरू' अभियान की सफलता में योगदान किया:

- वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, एनबीए को अभियान के रूप में कार्यान्वित किया गया।
- सफल अभियान चलाने के लिए प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्राथमिकता आवश्यक थी।
- अभियान को सुविधागत बनाने के लिए प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था की गई।
- अभियान की रूपरेखा इस तरह बनाई गई कि समुदाय सरकारी सहायता का इंतजार करने की बजाय पहल करे। समुदाय स्तरीय परिणाम के लिए प्रोत्साहन एवं पुरस्कार के रूप में सरकारी वित्तीय सहायता प्रभावपूर्ण ढंग से दी जाती है।

- समुदायनीत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने वाली प्रभावी संचार कार्यनीति अपनाई गई।
- प्रत्येक गाँव में समुदाय को मर्यादा एवं स्वाभिमान हेतु अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दो दिवसीय गहन सामुदायिक अभिगम्यता एवं अभिप्रेरणा के साथ इस अभियान की शुरूआत होती है।
- अभिप्रेरण कार्य के बाद नियमित अनुपालन कराने के लिए प्रत्येक गाँव में प्रभारी द्वारा निगरानी समितियों का समन्वयन किया जाता है।
- सीएलटीएस दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी विकल्प अपनाने के लिए क्षमता निर्माण किया गया।
- शौचालयों के निर्माण के लिए किसी ठेकेदार अथवा गैर-सरकारी संगठनों को कार्य में नहीं लगाया गया। स्वयं प्रयोक्ताओं द्वारा शौचालयों का निर्माण अपनी-अपनी व्यक्तिगत पसंदों के अनुसार और अपने प्रयासों तथा संसाधनों के निवेश के माध्यम से किया गया।
- एनबीए के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की गई।
- एनबीए के अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम के लिए उपलब्ध निधियों का उपयोग ओडीएफ स्थिति हासिल करने के लिए प्रभावी सामुदायिक पुरस्कार के रूप में किया गया है।

अभियान के बारे में अधिक ब्यौरे और नियमित अद्यतन जानकारीwww.facebook.com/chokhochuru पर प्राप्त की जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: जिला परिषद, चुरू

टेलीफोन नं. 0156-2250594, 2251593

मंडी जिला

अभियान जिसने बड़े पैमाने पर त्वरित प्रगति की

हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला का क्षेत्रफल 3953 वर्ग कि.मी. और उसकी आबादी 0.99 मिलियन (2011 की जनगणना के अनुसार) है जिसका 0.93 प्रतिशत हिस्सा 473 ग्राम पंचायतों में फैले ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस जिले में सात अनुमंडल और 10 सामुदायिक विकास प्रखंड हैं। मंडी जिले की साक्षरता दर 73.7 प्रतिशत है जो राज्य की औसत साक्षरता दर से थोड़ा कम है (2011 की जनगणना के अनुसार)।

जिले में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) वर्ष 2005 में शुरू किया गया। 188,000 ग्रामीण परिवारों में बेसलाइन सर्वेक्षण कराया गया जिसमें से 68 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा नहीं थी। यद्यपि 32 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधा थी, परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत कम उपयोग किए जाने की जानकारी दी गई थी (एमएसईजेवीएस द्वारा प्रतिदर्श सर्वेक्षण, मार्च 2005) साथ ही, लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को गरीब एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के रूप में श्रेणीकृत किया गया और इनमें से 78 प्रतिशत परिवारों के पास स्वच्छता सुविधाएं नहीं थीं।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के आरंभ होने से लेकर अब तक स्वच्छता के क्षेत्र में त्वरित प्रगति वर्ष 2010 के अंतर्गत स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने वाला मंडी जिले के 473 ग्राम पंचायतों में हुई। जिले ने अल्पावधि में 283 निर्मल ग्राम पुरस्कारों का दावा किया। सर्वाधिक रोचक तथ्य यह है कि अभियान ने स्वयं अपने से शौचालयों के निर्माण का समर्थन कभी नहीं किया लेकिन समुदायों को खुले में शौच करने की आदत का परित्याग करने के लिए प्रेरित किया गया जिससे गरीबी रेखा से उपर (एपीएल) एवं नीचे (बीपीएल) जीवन बसर करने वाले दोनों परिवार शौचालयों का स्वयं निर्माण करने लगे। इस अभियान ने शौचालयों के निर्माण का कभी समर्थन नहीं किया बल्कि समुदाय को खुले में शौच करने की आदत का परित्याग करने के लिए प्रेरित किया गया जिससे एपीएल एवं बीपीएल दोनों प्रकार के शौचालयों का निर्माण स्वयं करने लगे। समुदायों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था तथा पुरस्कारों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि अलग-अलग परिवारों को लक्षित करने की बजाय सभी ग्राम पंचायतों की ओडीएफ स्थिति हासिल करने के लिए सामाजिक मानदंड बनाए गए। ग्राम पंचायतों द्वारा ओडीएफ की स्थिति प्राप्त करने के बाद अभियान के अंतर्गत ध्यान का संकेद्रण पर्यावरणीय स्वच्छता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन की ओर किया गया।

शुरूआत

जिले ने मार्च, 2005 में टीएससी परियोजना कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत की और भारत सरकार द्वारा उसी जुलाई माह में स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति (एमएसईजेवीएस) जैसे सहायता संगठनों के साथ साझेदारी से टीएससी आरंभ

करने के लिए व्यापक कार्यनीति की संकल्पना की गई थी। स्वीकृति प्रदान करने के बाद अगस्त-सितम्बर, 2005 में विस्तृत पारिवारिक बेसलाइन सर्वेक्षण कराया गया।

मंडी जिले में टीएससी की शुरूआत के समय, 32 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में स्वच्छता सुविधाएं थीं, तथापि उनका उपयोग उससे कम किया जाता था। संस्थागत सुविधाओं के रूप में 65 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों, 33 प्रतिशत निजी विद्यालयों और 26 प्रतिशत बलवाड़ियों में शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा नहीं थी। मंडी जिले में अलग-अलग जनसंख्या घनत्व एवं स्वच्छता कवरेज वाली पंचायतों के वितरण से विभिन्न स्तर के प्रयास एवं स्थल-विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता का पता चला। तथापि, कवर करने में आसान पंचायतों का महज चयन करने की बजाय जिला ने जिले भर में प्रभावी संचालन को सुविधागत बनाने के लिए सभी प्रखंडों में इसे शुरू करने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन ने कुल 85 ग्राम पंचायतों का चयन किया जिनमें से मांग का सृजन संकेन्द्रित एवं सुनियोजित रूप में समुदायों को एकजुट करने के लिए सुनिश्चित किया गया। यह तय किया गया कि अभियान के अंतर्गत व्यवहारगत बदलाव लाने, सब्सिडी की आशा को अस्वीकार करने लेकिन स्वाभिमान, मर्यादा एवं स्वास्थ्य के मामले को उल्लेखित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

समर्थनकारी संस्था

मंडी जिले के सफल स्वच्छता अभियान की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता जिला स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक जिले में विकास संबंधी निर्णय लेने की प्रशासनिक सीमा को परिलक्षित करने वाला प्रभावकारी एवं समर्थकारी संस्थागत ढाँचा का मौजूद होना है।

जिला स्तर

जिला स्वच्छता मिशन अपनी कार्यकारी समिति और सामान्य निकाय के साथ

जिला स्तर पर समग्र निगरानी, आयोजना और कार्यनीतिगत निदेश उपलब्ध कराता है। इस संस्था का निर्माण विकास के सभी प्रमुख कारकों (जिला पंचायत सदस्य, विभाग प्रमुख, गैर-सरकारी स्टेकहोल्डर आदि) की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है तथा आवश्यक अंतर-क्षेत्रीय समन्वयन करने के लिए एक मंच के रूप में इसका उपयोग किया गया है।

इस मंच के भीतर प्रेरक बल एक मुख्य समूह रहा है जिसमें उपायुक्त (अध्यक्ष) अपर उपायुक्त और परियोजना अधिकारी, डीआरडीए (सदस्य सचिव) होते हैं तथा टीएससी के परियोजना समन्वयक और सहायक संगठन के सचिव उनकी सहायता करते हैं। यह मुख्य समूह टीएससी के कार्यान्वयन में आने वाली दैनिक समस्याओं का समाधान एवं निवारण करता है, आवश्यक कार्रवाई करता है, और अभियान के सुचारू संचालन के लिए निदेश देता है।

जिले में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रबंधन एवं निगरानी करने के लिए डीएसएम के सदस्य सचिव के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में डीआरडीए के भीतर एक अलग टीएससी प्रकोष्ठ भी बनाया गया है जिसमें सहायता संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए तीन सदस्य (परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक, आईईसी समन्वयक) और सीधे डीआरडीए द्वारा नियुक्त दो स्टॉफ सदस्य (डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं लेखा सहायक) शामिल रहते हैं।

प्रखंड स्तर

प्रखंड स्तर पर, स्वच्छता अभियान से संबंधित सभी क्रियाकलापों का समन्वयन करने के लिए स्वच्छता समिति गठित की गई है। एसडीओ इस समिति की अध्यक्षता करते हैं और इसमें प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), पंचायत समिति

के अध्यक्ष, विभिन्न विभागों एवं कार्यक्रमों के प्रखंड स्तरीय अधिकारी, गैर-सरकारी स्टेकहोल्डर, प्रखंड संसाधन व्यक्ति, टीएससी के प्रखंड समन्वयक, सामुदायिक नेतृत्व आदि जैसे विकास कारक शामिल रहते हैं। इससे विभिन्न विभागों में समन्वय को सुविधागत बनाने में मदद मिली है और स्वच्छता अभियान के लिए प्राथमिकता स्थिति सुनिश्चित की है। समिति में कार्यनीतिगत रूप से मीडिया के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं जिसने लोगों तक स्वच्छता संदेश पहुँचाने में मीडिया के लोगों का सहयोग प्राप्त किया है। अभियान को प्रखंड स्तर पर संचालित करने के लिए जिम्मेदार मुख्य समूह में अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) बीडीओ, एसईबीपीओ और प्रखंड समन्वयक-टीएससी शामिल रहते हैं।

सभी विभागों एवं विकास कारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को एक बहुत प्रभावकारी एवं सफल कार्यनीति के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

सहायता संगठनों को कार्य पर रखने के बावजूद सरकारी कर्मियों ने अभियान को सुविधागत बनाने में स्वप्रेरित नेतृत्व किया।

ग्राम पंचायत स्तर

ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नेतृत्व के साथ ग्राम पंचायत स्तरीय स्वच्छता समिति ने निचले स्तर पर अभियान का संचालन किया। सहायता एजेंसी ने ग्राम पंचायत स्तरीय अभियान को सहायता पहुँचाने के लिए एक ग्राम पंचायत समन्वयक जिसका हाल में नाम बदलकर स्वच्छता दूत कर दिया गया है, को कार्य पर रखा है। यह समिति पंचायत समिति के सदस्यों, वार्ड सदस्यों, विद्यालय शिक्षकों, पीटीए प्रतिनिधियों, महिला मंडलों (ग्राम स्तर पर महिला संघ एवं समूह) के प्रतिनिधियों, स्व सहायता समूह, पटवारी, आईसीडीएस, आईएंडपीएच,

स्वास्थ्य एवं वन विभागों के कामगारों, सामुदायिक अग्रणियों, विद्यार्थी प्रतिनिधियों आदि सहित ग्राम पंचायत स्तर पर अनेक मुख्य स्टेकहोल्डरों को भी सक्रिय रूप से कार्य में लगाया। सभी विभागों एवं विकास कारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को एक बहुत प्रभावकारी एवं सफल कार्यनीति के रूप में बताया गया है।

वार्ड स्तर

निचले स्तर पर संदेशों के प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए वार्ड सदस्यों के नेतृत्व और महिला मंडलों की स्वप्रेरित भागीदारी से वार्ड स्तरीय समितियां भी गठित की गई। वास्तव में, ग्राम स्तर पर अभियान की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से महिला मंडलों को दिया गया है। उन्होंने उपयुक्त स्वच्छता पद्धतियों को अपनाने के लिए न केवल समुदायों को प्रेरित किया बल्कि ग्राम स्तर पर व्यवहारगत बदलाव में प्रगति की निगरानी करने में भी मदद की।

सहायता संगठन (एसओ)

स्वच्छता अभियान को सुविधागत बनाने के लिए, जिला स्वच्छता मिशन ने संपूर्ण जिले के लिए एकल सहायता संगठन-मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति (एमएसईजेपीएस) नियुक्त किया जिसने पहले ही जिले में लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य किया था और साक्षरता अभियान के दौरान सरकार के साथ सहयोग करके अपनी विश्वसनीयता प्रदर्शित की थी। उपायुक्त के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, एमएसईजेवीएस ने भागीदारीपूर्ण तरीके से मंडी में अनेक सशक्तीकरण पहलें शुरू की हैं जिससे लघु वित्त एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में उपलब्धि दर्ज की है। संपूर्ण जिले में निचले स्तर पर इसकी मौजूदगी के साथ सरकार से संबद्ध सहायता संगठन के दीर्घकालिक संघ ने अभियान की सफलता में योगदान किया है।

सहायता संगठन ने सामाजिक एकजुटता, व्यवहारगत बदलाव संबंधी संचार एवं क्षमता विकास क्रियाकलापों को सुविधागत बनाने के लिए जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर कर्मचारी को कार्य पर रखा है। सहायता संगठन को कार्य पर रखने के बावजूद, सरकारी कर्मियों ने अभियान को सुविधागत बनाने में स्वप्रेरित नेतृत्व प्रदान करना जारी रखा। श्री तिलक राम चौहान, एमएसईजेवीएस का एक कर्मचारी, ने टिप्पणी की कि "हमने यह कभी महसूस नहीं किया है कि यह सरकार द्वारा हमें दी गई एक परियोजना थी। यह सरकारी कर्मचारियों के स्वप्रेरित नेतृत्व के साथ एक संयुक्त अभियान रहा है जिसने इसे सफल बनाया।"

जिला स्तर
जिला स्वच्छता मिशन
अध्यक्ष: उपायुक्त
सदस्य सचिव: परियोजना अधिकारी, डीआरडीए
सदस्य: विकास के सभी प्रमुख कारक
(जिला पंचायत सदस्य,

विभागीय प्रमुख
गैर-सरकारी स्टेकहोल्डर,
संसाधन व्यक्ति आदि)

अधिकारियों का मुख्य समूह
उपायुक्त, अपर उपायुक्त, परियोजना अधिकारी, डीआरडीए;
परियोजना समन्वयक-टीएससी, सचिव, सहायता संगठन

टीएससी जिला प्रकोष्ठ

परियोजना अधिकारी (डीआरडीए);
परियोजना समन्वयक-टीएससी (एसओ),
आईईसी समन्वयक (एसओ),
एमआईएस समन्वयक/डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीआरडीए)

प्रखंड स्तर

प्रखंड स्तरीय स्वच्छता समिति

अध्यक्ष: अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ)

सदस्य सचिव: एसईवीपीओ (बीडीओ कार्यालय) सदस्य: प्रखंड स्तरीय विकास कारक (बीडीओ), पंचायत समिति अध्यक्ष, विभिन्न विभागों एवं कार्यक्रमों के प्रखंड स्तरीय अधिकारी, गैर-सरकारी स्टेकहोल्डर, प्रखंड संसाधन व्यक्ति, प्रखंड समन्वयक, टीएससी, सामुदायिक नेतृत्व, मीडिया के प्रतिनिधि आदि अधिकारियों का मुख्य समूह अनुमंडल दंडाधिकारी (सी); प्रखंड विकास अधिकारी; एसईवीपीओ; प्रखंड समन्वयक-टीएससी; और अधिकारी समन्वयक-टीएससी

ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर
ग्राम पंचायत स्तरीय स्वच्छता समिति
अध्यक्ष: ग्राम पंचायत सभापति;
उपाध्यक्ष: ग्राम पंचायत उप सभापति,
सचिव: ग्राम पंचायत सचिव; संयुक्त सचिव: पंचायत समन्वयक (एसओ),
सदस्य: पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, विद्यालय शिक्षक, पीटीए प्रतिनिधि , महिला मंडलों/स्वसहायता समूह के प्रतिनिधि , पटवारी, आईसीडीएस, आईएंडपीएच, स्वास्थ्य एवं वन विभागों के कामगार, सामुदायिक नेतृत्व, विद्यार्थी प्रतिनिधि आदि

अधिकारियों का मुख्य समूह
पंचायत प्रधान, पंचायत उप-प्रधान, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत समन्वयक

वार्ड स्तरीय स्वच्छता समिति
अध्यक्ष: वार्ड सदस्य; सदस्य: विद्यालय शिक्षक, महिला मंडल/स्वसहायता समूह के प्रतिनिधि , आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, सामुदायिक सदस्य, स्वच्छता मित्र

सामुदायिक एकजुटता और मांग सृजन: एक चरणबद्ध दृष्टिकोण जिले ने प्रथम चरण में 85 ग्राम पंचायतों, द्वितीय चरण में 251 ग्राम पंचायतों, और अंतिम चरण में 137 ग्राम पंचायतों को लक्षित करके त्रिस्तरीय कार्यान्वयन दृष्टिकोण अपनाया। इसने संसाधनों के

प्रभावी प्रबंधन के साथ जिले भर में गति लाने के लिए न केवल अभियान की अनुमति दी है बल्कि अभियान में गति आने पर नए विचारों को सीखने, सुधारने एवं समेकित करने के लिए अवसर भी उपलब्ध कराया है।

प्रथम चरण

आरंभिक ध्यान का संकेन्द्रण आवश्यक संचार सामग्री तैयार करने, ग्राम पंचायत समन्वयकों का चयन करने एवं प्रशिक्षण देने, जिले के विभिन्न भागों में इन प्रतिमानों का प्रायोगिक प्रवर्तन, उनका अनुकूलन एवं अंतिम संचार संदेशों के साथ सुसज्जित प्रशिक्षित दल को कार्य में लगाने पर था। इसके अतिरिक्त, स्टॉफ एवं स्वयंसेवकों के लिए संदर्भ पुस्तिका तैयार की गई। दिसम्बर, 2005 में पंचायती राज संस्था के चुनावों में नए तरह के प्रतिनिधि चुनकर आए जिन्हें जनवरी, 2006 तक शपथ दिलाई गई। फरवरी, 2006 तक एसओ ने पंचायतों में विचार-विमर्श शुरू करने के लिए ग्राम पंचायतों का सहयोग करने लगा।

ग्राम प्रधान के नेतृत्व में और अन्य निर्वाचित सदस्यों, ग्रामीण नेताओं, विद्यालय शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की भागीदारी से पंचायत में हुए शिविर (जानकारी का साझा एवं चर्चा करने के लिए बैठक) में आरंभिक विचार-विमर्श हुआ। इसका उद्देश्य घरेलू स्वच्छता की आवश्यकता का उल्लेख करना, स्वास्थ्य के साथ इसके संबंधों को रेखांकित करना, ग्रामीण विकास के साथ उभरते संबंधों पर चर्चा करना, टीएससी के दिशा-निर्देशों का वर्णन करना और प्रथम कदम के रूप में ओडीएफ की स्थिति प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देना था। इसके बाद समुदाय के पास पहुँचने के लिए एक प्रभावी संचार साधन कला जत्था (नुक्कड़ नाटक) का आयोजन किया गया।

कला जत्था के साथ अभियान की शुरूआत होने पर एसओ घरेलू दौरा

करना शुरू कर सकते हैं तथा स्वच्छता की पद्धतियों में बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्वैयक्तिक संचार का समर्थन कर सकते हैं। अभियान के आरंभिक दिनों में एसओ प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर टीएससी का एक मात्र संचालक था। धरातल पर कार्यक्रम संबंधी पहलों को सहायता पहुँचाने के लिए विद्यालय शिक्षकों और आईसीडीएस कर्मियों को प्रेरित करने के लिए कार्यशालाओं और लघु प्रशिक्षण सम्मेलनों के माध्यम से प्रयास किया गया था। इस अभियान ने परिणाम प्रदर्शित करना शुरू कर दिया जब अप्रैल, 2006 में गोहर प्रखंड में किलिंग ग्राम पंचायत स्वयं को ओडीएफ घोषित करने वाली प्रथम पंचायत बन गई। अगस्त, 2006 तक इस कार्यक्रम के बाद 15 सदृश घोषणा की गईं।

द्वितीय चरण

अगस्त, 2006 में द्वितीय चरण की शुरूआत उन 251 ग्राम पंचायतों के साथ हुई जिन्होंने टीएससी को कार्यान्वित करने में अभिरूचि दिखाई। प्रथम चरण में सीखे गए सबक के आधार पर, जिला प्रशासन ने अभियान संबंधी कार्यनीति में उपयुक्त परिवर्तन कर दिया जो नीचे वर्णित है:

- **सीएलटीएस प्रक्रियाविधि:** जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएसपी) की सहायता से समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सीएलटीएस) के संबंध में मुख्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ-साथ द्वितीय चरण की शुरूआत हुई। इस प्रक्रियाविधि के अंतर्गत उन संचार साधनों और संदेशों का उपयोग किया गया जो संपूर्ण समुदाय को लक्षित करते हुए व्यवहारगत बदलाव लाने के लिए भावना पैदा करने के लिए अभिप्रेत था।
- **विकेन्द्रीकृत विचार-विमर्श :** क्षेत्र की स्थलाकृतिक स्थिति के अनुसार, ग्राम पंचायत स्तरीय शिविर अथवा कला जत्था संपूर्ण आबादी के पास पहुँचने के लिए

पर्याप्त नहीं थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ग्राम/वार्ड स्तरीय शिविर और कला जत्था को आयोजित किया जाए। इसके अतिरिक्त, नेटवर्किंग एवं बार-बार अंतर्वैयक्तिक संचार के लिए वार्ड स्तरीय समितियां गठित की गईं।

- **सब्सिडी की अपेक्षा को अस्वीकार करना:** यद्यपि जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि लोगों को प्रेरित करने के लिए सब्सिडी का उपयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे स्थायी व्यवहारगत बदलाव नहीं आ सकता है, लोग सब्सिडी की अपेक्षा रखते हैं। पंचायती राज संस्थाएँ और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रत्येक सामुदायिक विमर्श में इस बात पर पुन: जोर दिया कि बीपीएल संबंधी प्रोत्साहन राशि तभी दी जाएगी जब ग्राम पंचायत में सभी परिवार ओडीएफ को अपना लें। बार-बार संचार की कार्यनीति को सफल पाया गया और केवल व्यक्तिगत शौचालय बनाने की बजाय ग्राम पंचायत के अंतर्गत पूर्ण ओडीएफ प्राप्त करने की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाए।
- **वस्तुगत अंशदान को प्रोत्साहित करना:** यह सभी परिवारों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग करने की अनुमति देने के उद्देश्य से निर्माण लागत को कम रखने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार, अभियान के दौरान ही स्वयंसेवकों और कभी-कभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गड्ढे खोदे गए जो शौचालय का स्वयं निर्माण करने के लिए एक प्रेरणा बनी।
- **समन्वय एवं सहयोग:** आरंभिक चरण में, एसओ अभियान का एकमात्र संचालक था। विकास के विभिन्न कारकों से सीमित सहायता से परिणाम प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। प्रशासन ने

विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सहायता सुनिश्चित करके अभियान को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया। एसडीएम को समन्वय की भूमिका सौंपी गई और प्रशासन ने विकास से संबंधित सभी बैठकों में स्वच्छता पर चर्चा करने के लिए इसे प्राथमिकता दी जिससे विकास से संबंधित सभी विभागों में ज्यादा स्वामित्व, समन्वय एवं सहयोग कायम हुआ।

तृतीय चरण

जिला प्रशासन ने शेष सभी 137 पंचायतों को लक्षित करके जून, 2007 में अभियान के अंतिम चरण को आरंभ किया। अंतिम चरण संरचनात्मक ढाँचे के अंतर्गत जारी .....

प्रशासन ने विकास से संबंधित सभी बैठकों में स्वच्छता पर चर्चा करके संपूर्ण स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता दी।

रहा। जो टीएससी कार्यक्रम के पूर्व चरणों के दौरान निर्मित हुआ। जिला प्रशासन ने सकारात्मक बदलाव तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपलब्धियों को सम्मानित करने संबंधी कार्य को प्राथमिकता दी। उत्कृष्ट निष्पादन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित एवं अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए जिनमें उपायुक्त एवं अपर उपायुक्त ने भाग लिया। स्मृति चिह्न प्रस्तुतीकरण, शोध पाठन के माध्यम से वैयक्तिक प्रयासों को सम्मानित किया गया है। कला जत्था कलाकारों, उत्कृष्ट निष्पादन करने वाले कार्यकर्त्ताओं और ओडीएफ प्राप्त पंचायतों के पंचायती राज संस्था सदस्यों को सम्मान प्रमाण पत्र दिए गए। अर्हता प्राप्त करने वाली पंचायतों के लिए ओडीएफ साइन बोर्ड अतिरिक्त रूप से बनाए गए।

डीसी ने एडीसी के साथ मिलकर इस अभियान में अपनी सहभागिता की

आवश्यकता को उल्लेखित करने के उद्देश्य से विभागीय कर्मचारियों की बैठकें एवं कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत पहल की है। डीसी और एसओ ने टीएससी में उनकी सहभागिता को आमंत्रित करके सीबीओ के साथ भी बैठकें की हैं। स्वच्छता के संबंध में छः प्रश्नों वाला इश्तहार स्पष्ट अनुरोध के साथ कि वे प्रत्येक नागरिक जो उनसे विचार-विमर्श करने अथवा किसी सरकारी सहायता के लिए आते हैं उनसे पूछकर सभी सरकारी कर्मचारियों को वितरित किया गया है। ये प्रश्न स्वच्छता संबंधी पद्धतियों के बारे में नागरिकों की जानकारी की जाँच करने और इस मामले के महत्व संबंधी अनुस्मारक देने के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक सरकारी कार्यालय से भी कहा गया है कि वह स्टॉफ सदस्यों द्वारा शौचालयों को माह-वार अपनाए जाने की बारंबारता को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हुए एक चार्ट प्रदर्शित करें।

इस चरण में, इस अभियान के अंतर्गत विगत चरण में चुनी गई ग्राम पंचायतों पर ध्यान संकेन्द्रित करना जारी रखा गया। ओडीएफ की स्थिति हासिल करने के बाद प्रशासन ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ओडीएफ से परे क्रियाकलापों पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। ग्राम पंचायतों को तरल एवं अपघट्य ठोस अपशिष्ट के विकेन्द्रीकृत संग्रहण एवं निपटान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनपघट्य अपशिष्ट के मामले में स्रोत पर ही संग्रहण एवं पृथक्करण को प्रोत्साहित किया गया जिसके बाद अपशिष्ट को पुनः चक्रमण के लिए संग्रहित किया गया। तथापि, यह दृष्टिकोण परिवहन लागत के मद्देनजर दूर-दराज गाँवों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने प्लास्टिक के अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने के लिए अभिनव मॉडल विकसित किया है। ग्राम पंचायत में सभी घरों एवं दुकानों के प्लास्टिक अपशिष्ट को संग्रहित किया जाता है

और उसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले बिट्युमिन में मिलाकर उपयोग किया जाता है। जिला प्रशासन संग्रहण प्रक्रिया की सख्त निगरानी करता है और कई क्विंटल प्लास्टिक अपशिष्टों का प्रति माह संग्रहण किया जा रहा है। बिट्युमिन में प्लास्टिक मिला देने से सड़कों की गुणवत्ता एवं आयु बढ़ जाती है। एक प्रस्ताव यह भी है कि पीडब्ल्यूडी को ग्राम पंचायतों को प्रति किलो ग्राम 4 रूपए देना चाहिए ताकि इस मॉडल को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि

परिणाम हासिल करने की सर्वाधिक निर्णायक कार्यनीति न केवल मंडी जिले में बल्कि संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में व्यक्तिगत परिवारों को प्रोत्साहित करने, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया, की बजाय संपूर्ण ग्राम पंचायत पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की विशिष्ट स्थिति थी। ग्राम पंचायतों पर ध्यान संकेन्द्रण और परिणामों के सामाजिक मानदंडों में समकक्ष दबाव और जैविक बदलाव के माध्यम से स्वच्छता की बड़ी मांग पैदा हुई। इसने परिणामों की देख-रेख करने तथा परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से प्रभावी तंत्र बनाने में भी मदद की जिससे उन परिणामों को प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज करने में मदद मिली। जैसा कि यहाँ बताया गया है मंडी में स्वच्छता संबंधी अपने व्यवहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से समुदायों को प्रेरित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए गए।

राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशिष्ट पुरस्कार योजना शुरू करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक राज्य है। प्रखंड, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तरों पर सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायतों का चयन

करने के लिए महर्षि बाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एमवीएसएसपी) से सबसे साफ समुदाय की स्थिति हासिल करने के लिए प्रयत्नशील समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग कायम हुआ है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार योजना और महिला मंडल प्रोत्साहन योजना ने विभिन्न स्तरों पर स्वच्छता को विकासात्मक मामले के रूप में उच्च प्राथमिकता देकर इन प्रयासों में मदद की।

पश्च-ओडीएफ, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय प्रोत्साहन

टीएससी के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले (बीपीएल परिवारों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। अन्य राज्यों में, प्रोत्साहन राशि सामान्यत: शौचालय बनाने के लिए लाभार्थियों अथवा गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं को दी जाती है। तथापि, मंडी एवं हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में यह कार्यनीतिगत रूप से तय किया गया कि संपूर्ण ग्राम पंचायत के ओडीएफ बनने के बाद ही इन प्रोत्साहन राशियों को वितरित किया जाएगा। इसने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण से सामूहिक रूप से ओडीएफ की स्थिति हासिल करने की ओर ध्यान आकर्षित करने में सफलतापूर्वक मदद की।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

निर्मल ग्राम पुरस्कार संपूर्ण स्वच्छता की स्थिति प्राप्त करने के लिए ओडीएफ के बाद की स्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रेरित करने में भी बहुत प्रभावकारी रहा है।

परिणाम प्राप्त करने की सर्वाधिक निर्णायक कार्यनीति व्यक्तिगत परिवारों को प्रोत्साहित करने, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया, की बजाय संपूर्ण पंचायत पर ध्यान केन्द्रित कर प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की विशिष्ट पद्धति थी।

विकास योजनाओं में प्राथमिकता

जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं को आबंटित करने में ओडीएफ ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देकर अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रस्ताव किया। यह वास्तव में आदर्श स्थिति है, स्वच्छता की स्थिति हासिल करना प्रत्येक समुदाय की जिम्मेदारी है। तथापि, जैसे ही यह जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो सरकार स्वाभाविक रूप से विकास संबंधी अन्य आवश्यकताएं पूरी करने में सफल समुदाय की सहायता करती है।

परिणाम एवं सीख

यद्यपि इस अभियान की योजना की शुरूआत वर्ष 2005 में हुई थी, फिर भी सहायता संगठन ने इस क्षेत्र में फरवरी, 2006 में कार्य करना शुरू किया। अप्रैल, 2006 में मंडी जिले की पहली ओडीएफ ग्राम पंचायत बनी। वर्ष 2010 के अंत तक, सभी 473 ग्राम पंचायतें ओडीएफ घोषित की गईं। वर्ष 2012 तक, जिले ने 283 निर्मल ग्राम पुरस्कार भी प्राप्त किए। यह वास्तव में जिला प्रशासन द्वारा टीएससी के सुदृढ़ अभिकल्पन एवं प्रभावी कार्यान्वयन की वजह से स्वच्छता की स्थिति के एक सिरे से दूसरे सिरे तक त्वरित प्रगति करने वाले जिले में एक सफलता की कहानी है।

इसे सारांश में लिखने के लिए, अभियान की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों को दिया जा सकता है।

यह अभियान विकास संबंधी निर्णय प्रक्रिया की प्रशासनिक सीमाओं को परिलक्षित करने के लिए बनाई गई संस्थागत व्यवस्था से लाभान्वित हुआ है।

आयोजना एवं सुपुर्दगी के लिए संस्थागत संरचना

यह अभियान जिले में विकास संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रशासनिक सीमाओं को परिलक्षित करने के लिए

बनाई गई संस्थागत व्यवस्था से लाभान्वित हुआ है।

चरणबद्ध सुपुर्दगी

जिले में शुरू की गई चरणबद्ध कार्य योजना से सीखने, गलती करने, उसे ठीक करने और अगले परिचालन चक्र में इन सीखों को शामिल करने का अवसर सुलभ हुआ।

स्टेकहोल्डर की बढ़ी हुई भागीदारी

प्रथम चरण में कार्यान्वयन से प्राप्त की गई सीख से जिले ने सभी स्तरों पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों की भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित की।

विभिन्न प्रकार के साधन

जिले ने विभिन्न स्टेकहोल्डर समूहों से विभिन्न प्रकार की कार्यनीतियां अपनाईं। जहाँ स्थानीय आबादी को प्रेरित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पारंपरिक आईईसी एवं सीएलटीएस साधनों का उपयोग किया गया, वहीं घर-घर जाकर दौरों, अन्य परिवारों से समकक्ष दबाव और पंचायत के बुजुर्गों से सलाह-चेतावनी, ज्ञात सरकारी अधिकारियों (बीडीओ) के दौरों आदि के माध्यम से इसमें मदद की गई। ताकि स्वच्छता के सकारात्मक परिणामों के लिए उपयुक्त घरेलू कार्य करने में सहायता की जा सके।

स्वप्रेरक नेतृत्व एवं प्राथमिकता

उपायुक्त एवं डीआरडीए के परियोजना अधिकारी के स्वप्रेरक नेतृत्व से इस अभियान में तेजी आई। यह अभियान एक विकासात्मक प्राथमिकता बन गई है तथा अधिकांश सरकारी बैठकों में कार्यसूची के शीर्ष के रूप में चर्चा की जाती है।

सहायता संगठन

सरकार के साथ सहायता संगठन की दीर्घकालिक संबद्धता के साथ संपूर्ण जिले में निचले स्तर पर इसकी मौजूदगी से अभियान के प्रभावी सुगमीकरण एवं सफलता में सहयोग मिला है।

ऋणात्मक सब्सिडी

सब्सिडी का उपयोग परिवारों को प्रेरित करने के लिए कभी नहीं किया गया बल्कि ध्यान का संकेन्द्रण मर्यादा, सम्मान एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों का उल्लेख करके तथा सामाजिक दबाव डालकर संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से संपूर्ण समुदाय को प्रेरित करने पर किया गया।

अप्रैल, 2006 में मंडी जिले में सबसे पहला ओडीएफ ग्राम पंचायत बना। वर्ष 2010 तक सभी 473 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया।

उचित प्रोत्साहन राशि

परिणाम प्राप्त करने की सर्वाधिक निर्णायक कार्यनीति अलग-अलग परिवारों को प्रोत्साहन राशि देने, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया, की बजाय संपूर्ण ग्राम पंचायत इकाई पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रोत्साहन राशि एवं पुरस्कार का विशिष्ट तरीका था।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मंडी,

दूरभाष सं. : 01905 222191

धनसुरा

साबरकंठा जिला के धनसुरा प्रखंड को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करना

धनसुरा गुजरात के साबरकंठा जिले के तालुकों में से एक तालुका है। इसमें 33 ग्राम पंचायतें हैं जिसकी कुल आबादी 96,389 (50,310 पुरूष और 46079 महिलाएँ) हैं। कृषि एवं पशुपालन धनसुरा की मुख्य आजीविका है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान इस तालुका में वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अपने निदेशक के नेतृत्व में टीएससी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) टीएससी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों एवं समुदायों को तकनीकी एवं निगरानी सहायता उपलब्ध कराते हैं। जुलाई, 2011 में टीएससी के समेकित अपशिष्ट प्रबंधन अभियान के हिस्से के रूप में, प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से धनसुरा को 'प्लास्टिक मुक्त' तालुका में परिवर्तित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अमृतभाई भाम्बी, साबरकंठा जिले में टीएससी के

सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा इस अभियान को आरंभ एवं प्रबंधन किया गया।

उत्तम आदत विकसित करना

परियोजना की आयोजना बैठक

प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत एवं प्रखंड बनाने के लिए कार्यनीति के निर्धारण एवं निर्माण करने के उद्देश्य से टीएससी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह दल साबरकंठा जिले के धनसुरा प्रखंड को प्रायोगिक आधार पर एक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने पर सहमत हुए। इस प्रकिया के दौरान सीखे गए सबक को अन्य ग्राम पंचायतों एवं प्रखंडों में इस कार्यक्रम का विस्तार करते समय अनुप्रयुक्त किया जाएगा।

बहु-स्टेकहोल्डर का अभिमुखीकरण सह कार्ययोजना कार्यशाला

प्लास्टिक अपशिष्ट और पर्यावरण एवं मानव जीवन पर इसके प्रभाव के मामलों के संबंध में सभी मुख्य स्टेकहोल्डरों को जानकारी देने के उद्देश्य से साबरकंठा जिले के डीआरडीए निदेशक के नेतृत्व में धनसुरा प्रखंड में एक कार्यशाला आयोजित की गई। प्रतिभागियों में धनसुरा प्रखंड की सभी 33 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव, जिला एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीडीओ दल, डीआरडीए के निदेशक एवं संबंधित अधिकारी, क्षेत्रीय परामर्शदाता, विभिन्न स्थानीय कचड़ा व्यापारी आदि शामिल थे। कार्यशाला के अंत में धनसुरा को प्लास्टिक मुक्त प्रखंड बनाने के मद्देनजर एक कार्य योजना बनाई गई।

आईईसी क्रियाकलाप

जिले में प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए जागरूकता पैदा करने और पंचायती राज संस्थाओं एवं समुदायों को संगठित करने के लिए जिले के सभी टीएससी समुदाय संगठनकर्त्ता (13 सदस्य) को प्रतिनियुक्त किया गया। प्रत्येक संगठनकर्त्ता को तीन ग्राम पंचायतें सौंपी

गयीं जिनमें विभिन्न आईईसी क्रियाकलाप किए गए। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण जिले के शिक्षक एवं विद्यार्थी को प्लास्टिक अपशिष्ट के मामले के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बाद में अपने-अपने समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली आयोजित कीं एवं घर-घर अभियान चलाया। प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटाने के महत्व के संबंध में ग्राम पंचायत के सदस्यों और समुदायों कों जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की अनेक बैठकें आयोजित की गई। इसके बाद, घरेलू स्तर पर प्लास्टिक संग्रहित करने तथा 3 रूपए प्रति किलो की दर से प्राधिकृत स्थानीय रद्दी विक्रेता के पास उन्हें बेच देने का अनुरोध करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर एवं सड़कों के किनारे प्लास्टिक अपशिष्ट सहित कूड़ा ड़ालने के कार्य को बंद करने के लिए ग्राम सभा में एक संकल्प पारित किया गया।

<u>रद्दी विक्रेता संगठन</u>

ग्राम सभा आयोजित करने से पहले परिवारों द्वारा संग्रहित प्लास्टिक अपशिष्ट की खरीद पर चर्चा करने के लिए सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा सचिव, समुदाय प्रेरक एवं स्थानीय दुकानदारों के बीच बैठक हुई। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्थानीय व्यापारी को निर्धारित किया गया और उनसे कहा गया कि वह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करे यह तय किया गया कि ग्रामीण व्यापारी 3 रूपए प्रति किलो, (विक्रय मूल्य) की दर से प्लास्टिक अपशिष्ट की खरीद करेंगे। यह विक्रेता तालुका के रद्दी विक्रेता से 4 रू. प्रति किलो की दर से कीमत प्राप्त करेगा।

फोटो

<u>उत्कृष्ट आदतों का प्रभाव</u>

प्रत्येक ग्राम पंचायत अब कमोबेश प्लास्टिक अपशिष्ट से मुक्त है और बहुत स्वच्छ दिखाई पड़ता है। इस अभियान से मनुष्यों एवं जानवरों पर

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जन जागरूकता पैदा हुई तथा कुछ हद तक इससे प्लास्टिक की खरीद को कम करने में मदद मिली। प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के मामले में धनसुरा प्रखंड़ के लोगों की जागरूकता एवं प्रतिबद्धता बहुत अधिक है। हाल तक प्लास्टिक को अपशिष्ट सामग्री के रूप में फेंक दिया जाता था, अब यह जागरूक परिवारों के लिए छोटी आय सृजित करता है। कई स्थानीय व्यापारियों और तालुका के रद्दी विक्रेताओं ने प्लास्टिक अपशिष्ट में इस नये व्यापार के परिणामस्वरूप 500 रूपए से लेकर 2000 रूपए प्रतिमाह कें बीच आय सृजन की जानकारी दी। इस अभियान से घरेलू शौचालयों की मांग सृजित हुई।

सफलता के कारक

- वरिष्ठ अधिकारीयों और निर्णयकर्त्ताओं का सक्रिय सहयोग
- जिला एवं प्रखंड टीएससी इकाइयों द्वारा सतत अनुपालन
- सभी विभागों (संगठनकर्ताओं, प्रसार अधिकारियों, गामीण प्रसार कार्यकर्ताओं, निचले स्तर के सरकारी कर्मी, ग्राम पंचायत सचिव और अध्यक्ष आदि) से संसाधनों का संकेन्द्रण।
- स्थानीय व्यापारियों के समुदायों में और स्थानीय व्यापारियों और तालुका के रद्दी विक्रेताओं के बीच सुदृढ़ प्रगामी संपर्क।

सीख

- समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान में अन्तर्निहित मूल्य से तब अवगत हुए जब उन्हें आय सृजित करते हुए देखा।
- यह अभियान सफल एवं स्थायी था क्योंकि सभी स्टेकहोल्डर (अधिकारी, पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि , समुदाय, परामर्शदाता, स्थानीय व्यापारी, तालुका के रद्दी विक्रेता आदि)

को परियोजना चक्र (आयोजना, डिजाइन निर्माण, कार्यान्वयन एवं निगरानी) के सभी चरणों में लगाया गया।

- सभी गाँवों में परिवार प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्याप्त मात्रा में जमा होने पर इसे स्थानीय व्यापारी को बेचने से पहले इसका भंडारण कर रहे हैं। तथापि, व्यापक आईईसी क्रियाकलापों के बावजूद गैर-स्थानीय लोगों (प्रवासी श्रमिकों, यात्रियों, अनिवासी उद्यमियों) द्वारा इस परंपरा का अनुसरण नहीं किया गया। जिला अपने तालुका एवं ग्राम पंचायतों के साथ इस समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियां बना रहे हैं। कुछ प्रस्तावित क्रियाकलापों में सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाना, मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करना, कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि शामिल है।
- कुछ गाँवों में तालुका के रद्दी विक्रेता विभिन्न कारकों की वजह से सहमत दर के बावजूद स्थानीय व्यापारी से प्लास्टिक अपशिष्ट नहीं खरीद रहे हैं। परिणामस्वरूप, कुछ स्थानीय व्यापारी प्लास्टिक अपशिष्ट के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह पाने, दुर्गंध को बर्दाश्त करने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तथापि, जिला एवं तालुका के अधिकारी क्रय प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए स्थानीय विक्रेताओं एवं तालुका के विक्रेताओं के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: सहायक परियोजना अधिकारी, संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रकोष्ठ, हिम्मत नगर, जिला - गुजरात, मोबाइल: 09825718552

पंजाब

तालाब के नवीकरण के माध्यम से तरल अपशिष्ट प्रबंधन

भारत सरकार, पंजाब सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित पंजाब जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना मांग आधारित और उर्ध्वमुखी आयोजना दृष्टिकोण के अनुसार समुदाय की सक्रिय भागीदारी से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का स्वामित्व ग्राम समुदाय के पास है और ग्राम पंचायत जल आपूर्ति एवं स्वच्छता समिति ग्रामीणों से लाभार्थियों के अंश को संग्रहित करती है तथा योजना का परिचालन एवं अनुरक्षण करती है।

तथापि, परिवारों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति एवं निजी सबमर्सिबल पंप सेट की व्यवस्था से अपशिष्ट के निर्माण में कई गुणा वृद्धि हुई है। प्रत्येक गाँव में तालाब हैं जिसका उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन एवं वर्षा जल एकत्रीकरण एवं पुनर्भरण संरचना के रूप में किया गया। अब गाँव में जमा होने वाले गंदा जल को इन पारंपरिक ग्रामीण तालाबों में निष्कासित कर दिया गया है जिससे

वहाँ अस्वच्छता का वातावरण पैदा हो गया है। इस परियोजना के अंतर्गत उनके नवीकरण की मांग के मद्देनजर, स्थानीय स्थितियों के अनुकूल प्रौद्योगिकी नियमावली (भारत सरकार और यूनिसेफ द्वारा जारी ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी तकनीकी नोट) से उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई गई।

सहायता कार्य में तालाब को खाली करना, गाद निकालना और मिट्टी के बांध का उपयोग कर इसे चार उप खंडों में विभाजित करना था। ये उपखंड क्रमानुसार अनॉकसी सह अवसादीकरण तालाब, संकायात्मक तालाब, परिपक्वन तालाब और पोलिशिंग तालाब है। एक टैंक में अधिक पानी होने से वह दूसरे टैंक में चला जाता है और यह क्रम चलता रहता है। सभी ग्रीष्मकाल में कम और जाड़े में अधिक आवश्यक होने के कारण चार उपखंडों के उपयोग में मौसम के अनुसार बदलाव होता है। यह देखा गया कि 3 एकड़ क्षेत्रफल वाले तालाब में 2000 घन मीटर जल जमा हो पाया। लुधियाना जैसा जिला 576 मिलियन घन मीटर जल जमा कर सकता है जो गाँवों में गंदे जल के निष्कासन की समस्या का समाधान करने के अतिरिक्त, भूजल स्तर में त्वरित गिरावट को रोक सकता है। संपूर्ण जिले में इसे कार्यान्वित करने के लिए कुल व्यय 1000 करोड़ रूपए अथवा 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

परियोजना का ब्यौरा

इस परियोजना के अंतर्गत नाला तंत्र के माध्यम से संग्रहित गंदे जल को मौजूदा तालाबों और उपयुक्त स्थल पर उत्खनित तालाबों में समाहित कर दिया जाता है और क्रमानुसार रखा जाता है (नीचे का चित्र देखें)। इन तंत्रों में गंदे जल को रखा जाता है, इसकी रोगजनन क्षमता कम कर दी जाती है तथा पानी को उपयोग के लायक बना दिया जाता है। गंदे जल को शैवाल, जीवाणु एवं प्राकृतिक ऑक्सीकरण के जरिए

प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थिरीकृत कर दिया जाता है। उष्ण जलवायु सौर विकिरण एवं प्रकाश के साथ इसे एक आदर्श क्षेत्र बना देता है जिसमें इस प्रक्रिया को कार्यान्वित किया जाता है।

तालाब के नवीकरण से होने वाले लाभों में मौजूदा तालाबों के उपयोग, कम पूंजीगत लागत, कम एवं किफायती परिचालन एवं अनुरक्षण लागत, इस प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए अकुशल श्रमिक का उपयोग करने की क्षमता तथा सतही जल के प्रदूषण से बचाव शामिल है। तथापि, उन गाँवों में जहाँ पारंपरिक तालाब नहीं है अथवा जहाँ ऐसे तालाब गायब हो गए हैं, वहां इन क्षेत्रों में भूमि की उँची लागत की वजह से नया तालाब बनाने के लिए पर्याप्त जमीन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

अनॉक्सी-सह-अवसादीकरण तालाब

निलंबित ठोस के अवसादीकरण और बीओडी तथा सीओडी को कम करने के लिए अनॉक्सी स्थिति में कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए तालाब में जल की गहराई को 10 फीट पर रखा जाता है। टैंक की सतह का क्षेत्रफल मौजूदा तालाब के क्षेत्रफल का लगभग 15 प्रतिशत होगा और पाँच दिवसीय प्रतिधारण अवधि को सहायता प्रदान करेगा।

संकायात्मक तालाब

इस तालाब में, अनॉक्सी तालाब के अतिप्रवाह को निष्कासित कर दिया जाता है और ऑक्सी स्थिति में बीओडी/सीओडी को कम कर दिया जाता है। जल की गहराई को 1.5 मीटर पर रखा जाता है। टैंक के आउटलेट को इसके तल से 1.5 मीटर पर रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल की गहराई 1.5 मीटर से

अधिक नहीं है। इसका क्षेत्रफल मौजूदा तालाब के क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत है।

परिपक्वन तालाब/पोलिशिंग पोंड (2 संख्या)

इस तालाब में संकायात्मक तालाब के अतिप्रवाह को निष्कासित कर दिया जाता है। इस चरण में रोगजनक क्षमता को कम कर दिया जाएगा। जल की गहराई को 1.5 मीटर पर रखा जाता है। तालाब के आउटलेट को इसके तल से 1.5 मीटर पर रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल की गहराई 1.5 मीटर से अधिक नहीं है। इसका क्षेत्रफल मौजूदा तालाब के क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत होना चाहिए।

बहिर्प्रवाह

सामान्यत: वाष्पीकरण के अतिरिक्त, शोधित जल को तालाब में रखा जाता है। किसानों द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ इसका उपयोग किया जाता है।

स्थिरीकरण तालाब का प्रवाह चित्र

तालाब 1
अनॉक्सी सह अवसादीकरण तालाब आकार - तालाब के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत अथवा 5 दिवसीय अवधि, इनमें से जो भी अधिक हो। तल से आउटलेट की गहराई 3 मीटर

तालाब 2
संकायात्मक प्रतिधारण काल 10 दिन अथवा क्षेत्रफल- जल की गहराई का 25-30 प्रतिशत (अर्थात् तल से 1.5 मीट्रिक टन की दर से प्रवाह ताकि 1.5 मीटर गहराई कायम रखी जा सके।

तालाब 3
परिपक्वन प्रतिधारण समय 10 दिन अर्थात क्षेत्रफल- 30 प्रतिशत जल की गहराई 25-30 प्रतिशत (अर्थात तल से 1.5 मीट्रिकटल की दर से आउटलेट)

सिंचाई के लिए पम्प

गंदा जल	10" व्यास वाला पाइप	वर्षा जल निकासी के लिए अतिप्रवाह पाइप 12" अथवा अधिक व्यास	10" व्यास वाला पाइप	वर्षा जल निकासी के लिए अतिप्रवाह पाइप 12" अथवा अधिक व्यास	10" व्यास वाला पाइप	वर्षा जल निकासी के लिए अतिप्रवाह पाइप 12" अथवा अधिक व्यास	वर्षा जल निकासी के लिए अतिप्रवाह पाइप 12" अथवा अधिक व्यास	**तालब 4** पोलिशिंग तालाब का क्षेत्रफल 25-30 प्रतिशत अथवा प्रतिधारण काल 10 दिन

पंजाब के शहर से सटे गाँवों में सीवरेज प्रबंधन

बड़े गाँवों विशेषकर शहर से सटे गाँवों में मानव अपशिष्ट का प्रबंधन एक चुनौती रहा है। सघन रूप से बसी बसावटों के होने से समुचित रूप से अभिकल्पित सेप्टिक टैंक के लिए जगह खोजना परिवारों के लिए मुश्किल हो गया है; अधिकतर सेप्टिक टैंक खराब तरह से बने हुए हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं क्योंकि उनके आउटलेट खुले नाले की ओर प्रवाहमान हैं। इन परिस्थितियों में एकमात्र उपलब्ध तकनीकी समाधान एक सीवरेज योजना है जो अपशिष्ट का परिवहन करता है तथा कारगर तरीके से इसका शोधन करता है। तथापि, अन्य स्थानों विशेषकर शहरी केन्द्रों में इनके उपयोग करने का अनुभव उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है क्योंकि वे जल निकायों में बहुत सीमित अथवा बिना शोधन किए निपटा दिए जाते हैं।

समुदाय संचालित समाधान की मांग के परिणामस्वरूप पंजाब में विश्व बैंक, भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा समर्थित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना बनी। इसने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज प्रबंधन परियोजना शुरू की है तथा इन गाँवों में स्वच्छता की समस्या का स्थायी रूप में प्रभावी ढंग से समाधान किया है। इस समय इस तरह की दो परियोजनाएं- पहली तरणतारण जिले के खदूर साहिब गाँव में और दूसरी अमृतसर जिले के बाबा बकाला गाँव में संचालित की जा रही हैं तथा अन्य गाँवों में सदृश प्रभावी सीवरेज प्रबंधन परियोजना कार्यान्वित करने का परिसर प्रदान करती हैं।

ये दोनों स्थल धार्मिक महत्व वाले बड़े गाँव हैं, निवासियों के अतिरिक्त, एक बड़ी प्रगतिशील आबादी है जो धार्मिक प्रयोजनों के लिए नियमित दौरा करते हैं। घर भरे हुए हैं।

इस परियोजना में सम्मिलित प्रौद्योगिकी में यूपीवीसी पाइप के

माध्यम से परिवारों के मल का संग्रहण, सीवरेज शोधन संयंत्र तक इसका परिवहन शामिल है, जहाँ इसका शोधन किया जाता है तथा बाद में शुष्ककारी तल में कीचड़ को सुखाया जाता है। अंत में सूखे कीचड़ को उर्वरक के रूप में उपयोग करने के लिए कंपोस्ट में परिणत किया जाता है। इन परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, पंजाब सरकार द्वारा दी गई तकनीकी सहायता से ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी) द्वारा किया जाता है। इन सुविधाओं का परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य का ठेका जीपीडब्ल्यूएससी द्वारा निजी प्रचालकों को दिया गया है। प्रत्येक घर से 60 रूपए का प्रशुल्क संकलित किया जा रहा है तथा इसका उपयोग परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार का भुगतान करने के लिए किया जाता है।

दोनों परियोजनाओं के आधारभूत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

संकेतक	**बाबा बकाला गाँव**	**खदूर साहिब**
परिवारों की संख्या	1,628	1479
आबादी	9,726	12461
सीवर कनेक्शनों की संख्या	1265	850
एसटीपी की क्षमता	850 केएलडी	1400 केएलडी
कीचड़ शुष्ककारक तल	3	4
कंपोस्ट बनाने वाला गड्ढा	3	3
कीचड़ शोधन स्थल	1	1
परियोजना लागत	408 लाख रू.	424 लाख रू.
परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	12.20 लाख रू. 3 वर्ष के लिए	38 लाख रू. 7 वर्षों के लिए

स्रोत : परियोजना प्रलेख

गुजरात

जोशीपुरा गाँव का अभिनव पशु अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र

जोशीपुरा गाँव अहमदाबाद जिले के वीरामगाम तालुका में स्थित है। इसकी कुल आबादी 1400 है और इसमें 175 परिवार रहते हैं। वर्षों से इस गाँव में पशु के गोबर की समस्या है जो यहाँ-वहाँ बिखड़ा पड़ा रहता है जिससे आस-पास का क्षेत्र गंदा बना रहता है।

ग्राम पंचायत ने ग्राम समुदायों के परामर्श से ग्रामीण बंजरभूमि को निर्धारित किया जिसमें पशुओं का गोबर डाला जाने लगा। यहाँ सीमेंट से 77 गड्ढे बनाए गए जिसे बाद में 200 रूपए से लेकर 300 रूपए के वार्षिक किराए पर परिवारों को आबंटित कर दिया गया। मानसून के पहले प्रतिवर्ष इन टैंको को खाली करने पर ध्यान दिया गया।

इस ग्राम पंचायत ने वर्ष 2007-08 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त किया। श्री हरगोविंदभाई पटेल, ग्राम पंचायत प्रधान ने जानकारी दी कि उनका समूह इस सुविधा से लगभग 10,000 रूपए प्रतिवर्ष अर्जित करता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि जब से इस गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है, इस गाँव में स्वच्छता से जुड़ी कोई प्रमुख बीमारी नहीं हुई। जोशीपुरा गांव ने सचमुच में स्वच्छता संबंधी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करने वाले कई भारतीय गाँवों के लिए एक मिशाल पेश की है।

किशोरगढ़ में सुघड़ विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना

किशोरगढ़ साबरकंठा जिले में इदार तालुका का एक गाँव है। इस गाँव में विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। यह सभी

10 वर्ष पहले शुरू हुआ जब किशोरगढ़ के विद्यार्थियों ने साफ-सफाई के बुनियादी तथ्यों के बारे में अपने शिष्यों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अभिनव पहल की शुरूआत की । प्रत्येक दिन वे सर्वाधिक सुघड़ विद्यार्थियों को निर्धारित करते थे और आ जानो सुघड़ विद्यार्थी के रूप में संपूर्ण कक्षा के सामने अपनी उपलब्धि की घोषणा करते थे। इस सम्मान ने उन बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य किया जिन्होंने इस पुरस्कार को पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। धीरे-धीरे सफाई के संदेश उनके परिवारों तक पहुँचने लगे जिससे जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव हुआ। श्री टी.के.रेवासिया, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह रिपोर्ट करते हुए गर्व हो रहा है कि विद्यार्थियों को अब साफ-सफाई की बुनियादी जागरूकता है। वे अपने आस-पास के क्षेत्र को सुन्दर रखने लगे हैं तथा साथ ही, सुन्दर स्कूल गार्डन लगाकर पोषित किया है। साफ-सफाई के बारे में जागरूकता सृजित करने में शिक्षकों एवं बच्चों के अथक प्रयास के फलस्वरूप इस गाँव को वर्ष 2007-08 में निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला।

स्रोत: सीसीडीयू, टीएससी, गुजरात

जल अपशिष्ट वरदान बन गया

वेलोद ग्राम पंचायत गुजरात के तापी जिले में स्थित है। इसने वर्ष 2006-07 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम के प्रथम कदम के रूप में प्रत्येक परिवार को दो कूड़ादान उपलब्ध कराया गया। पहले कूड़ेदान में कार्बनिक अपशिष्ट को और दूसरे कूड़ेदान में अकार्बनिक अपशिष्ट को जमा करने के लिए उपयोग किया गया। स्वसहायता समूह के सदस्यों को प्रत्येक परिवार से ठोस अपशिष्ट संग्रहित करने के लिए 100 रू. प्रतिदिन दिया गया। इस ठोस अपशिष्ट को बाद में शून्य अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र में वैतनिक कामगारों द्वारा कार्बनिक एवं अकार्बनिक श्रेणी में अलग किया गया। कार्बनिक अपशिष्ट का पुन:चक्रण करके

खाद में परिणत कर दिया गया। दो माह की अवधि के भीतर ग्राम पंचायत ने कार्बनिक खाद बेचकर 93000 रूपए अर्जित किया। इन परिणामों से प्रोत्साहित होकर जिला अधिकारियों ने 90 और गांवों में ऐसा ही कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई। प्रथम चरण में, लगभग चार हजार किलोग्राम कंपोस्ट का निर्माण हुआ और उसे 5 रू. प्रति किलो की दर से बेचा गया। विपणन के लिए, जिला प्राधिकारी और जिले के वन कार्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया जिसके अंतर्गत इस परियोजना के माध्यम से निर्मित सभी कंपोस्ट को खरीदने पर सहमति व्यक्त की गई। दीर्घकालिक रूप में अपशिष्ट संग्रहण की लागत की पूर्ति करने के लिए ग्राम पंचायत ने प्रति परिवार 1 रूपए का दैनिक कर, प्रति दुकान 2 रूपए और प्रति कॉरपोरेट/सरकारी कार्यालय 10 रूपए का कर लगाया।

स्रोत: सीसीडीयू, टीएससी, गुजरात

आँध्रप्रदेश का पश्चिमी गोदावरी जिला

ओडीएफ की स्थिति हासिल करने की ओर अग्रसर

पश्चिमी गोदावरी जिला आँध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है जिसका मुख्य पेशा कृषि और मत्स्य पालन है। खुले में शौच से मुक्त स्थिति प्राप्त करने की दिशा में जिले के प्रयास की शुरूआत वर्ष 2003 में सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के निर्माण के साथ हुई। डीडब्ल्यूएसएम समय के सापेक्ष अपने स्टॉफ के साथ कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को इसके दायरे में लाकर बीसीसी के लिए आईईसी को सुदृढ़ कर तथा अपने स्टॉफ तथा साझेदार गैर-सरकारी संगठनों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करके अस्तित्व में आया।

समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सीएलटीएससी)

पश्चिमी गोदावरी जिले को स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में अपने प्रयासों के लिए जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएसपी) से सहायता मिली। इन साधनों से विश्वास वृद्धि करने में दल को मदद मिली और कार्यसूची एवं लक्ष्य के महत्व के बारे में दल के सदस्यों में दृढ़ विश्वास पैदा हुआ।

जिले की विशेषताएं

मुख्यालय	इलूरू
कुल क्षेत्रफल	7742 वर्ग कि.मी.
कुल आबादी (2011)*	39,34,782
पुरूष आबादी (2011)*	1963184
स्त्री आबादी (2011)*	1971598

*स्रोत:

http://www.census2011.co.in/census/district/132 west-godavari.html

प्रशासन	
अनुमंडल	4 (इलूरू, नरसापुर, जंगारेड्डीगुडेम, कोव्वुरू)
मंडल	46
ग्राम पंचायत	888
गाँव	901

*स्रोत: www.westgodavari.org/AboutUs/AboutUs.html

जिले के स्वच्छता संबंधी प्रयासों को तब गति मिली जब जुव्वालापालेम निर्मल ग्राम पुरस्कार पाने वाले जिले से प्रथम ग्राम पंचायत बनी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले 32 संसाधन व्यक्तियों में से आठ व्यक्तियों को जिला संसाधन व्यक्ति के रूप में मंडल स्तर पर रखा गया। उन्हें नोडल समन्वयक और मंडल समन्वयक के रूप में पदनामित किया गया। इस कार्यनीति से अनेक गाँवों तक पहुँचने और मंडल स्तर पर संसाधन व्यक्तियों का समूह तैयार करने में मदद मिली। मंडल समन्वयकों ने प्रत्येक गाँव से ग्राम स्वच्छता प्रेरकों को निर्धारित किया गया और सीएलटीसी के प्रक्रिया एवं लक्ष्यों के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया। अब जिले के पास जिले में सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने वाला ग्राम स्वच्छता प्रेरक है।

इन जिला संसाधन समूहों में प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), ग्राम पंचायत सचिव, ग्रामीण युवा, आंगनवाड़ी शिक्षक आदि सहित विभिन्न प्रकार के व्यक्ति शामिल हैं। ये सदस्य स्वच्छता की कार्यसूची पर कार्य करते हैं और मिशन की सहायता करते हैं। सभी सदस्य स्वैच्छिक आधार पर कार्य करते हैं और मिशन उन्हें पारिश्रमिक नहीं देता है। प्रशिक्षण के अतिरिक्त, वर्ष 2008 में हरियाणा के प्रदर्शन दौरे से दल के सदस्यों को संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत कहीं भी अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों को सीखने में दल को मदद मिली।

पश्चिमी गोदावरी: निर्मल ग्राम पुरस्कार निष्पादन

जिले के स्वच्छता संबंधी प्रयासों में तब तेजी आई जब जुव्वालापालेम वर्ष 2006 में निर्मल ग्राम पुरस्कार पाने वाला जिला में पहली ग्राम पंचायत बना। इसका सचमुच में प्रेरक प्रभाव पड़ा है क्योंकि वर्ष 2006 से निर्मल ग्राम पुरस्कार पाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या में वृद्धि हुई है (चित्र 1 देखें)

चित्र 1 : पश्चिमी गोदावरी जिले में निर्मल ग्राम पुरस्कार पाने वाली ग्राम पंचायतों की वार्षिक संख्या

ग्राफ चित्र

फोटो

वर्ष 2011 तक, जिले में लगभग आधी ग्राम पंचायतों (अर्थात् 49 प्रतिशत ग्राम पंचायतें अथवा 888 में से 435) को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला। यह जिला स्वच्छता सुविधाओं की दृष्टि से राज्य में शीर्ष स्थान पर है।

(चित्र 2)

फोटो

ओडीएफ की ओर+

जिले ने वर्ष 2008 में शुभ्रम पुरस्कार में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार किया और जिले को ओडीएफ की स्थिति में लाने के लिए दृढ़ प्रयास किया।

चित्र 2: आँध्रप्रदेश में जिला-वार निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों की संख्या (2005-2011)

ग्राफ चित्र

इसने अपने 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में एक आदर्श गाँव बनाने की कार्यनीति अपनाई। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य गाँव को आदर्श गाँव बनाने के लिए इसने आवश्यकतानुसार आशोधन के साथ जुव्वालापालेम मॉडल को दोहराया।

जुव्वालापालेम मॉडल

कल्ला मंडल में जुव्वालापालेम ग्राम पंचायत ने स्वच्छता के प्रति एक समेकित एवं समग्र दृष्टिकोण अपनाया। इसने स्वच्छता के निम्नलिखित सभी महत्वपूर्ण मामलों का समाधान किया:

- **शौचालय की व्यवस्था करना (पंचायत ने चंदा के माध्यम से**

व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनवाया)

- **घरेलू प्रयाजनों एवं पेयजल दोनों के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करना।**
- **सीएससी के अनुरक्षण के लिए व्यवस्था करना।**
- **ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की व्यवस्था करना।**
- **घर से लेकर गाँव के मुख्य नाले तक नाला/सोख्ता गड्ढा को जोड़ना।**
- **निगरानी समिति और जुर्माना पद्धति।**
- **निधि जुटान पद्धति विकसित करना।**

सामुदायिक स्वच्छता उद्यान (बाग)

ताडेपल्लीगुडेम मंडल में पेडाटाडेपल्ली ग्राम पंचायत ने सात सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया है। सभी सात परिसरों का उद्यान के रूप में निर्माण किया गया है तथा लोकप्रिय रूप में बाग के रूप में जाना जाता है। स्वच्छता परिसर उद्यान के भीतर स्थित है। परिसर और बाग के बीच में सुव्यवस्थित पक्का रास्ता है। परिसर का बाग वाला क्षेत्र फूल की कलियों, घासों एवं बेंच से सुसज्जित है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर हमेशा खुला रहता है तथा उसमें बिजली का कनेक्शन है तथा स्वीपर द्वारा प्रतिदिन साफ किया जाता है। शौचालय के उपयोग के लिए पानी को टेप से जुड़े सीमेंट निर्मित टेंक में जमा रखा जाता है। सभी सात उद्यानों में पंचायत द्वारा सुबह में दो घंटों के लिए और शाम में एक घंटा के लिए एक साथ पानी छोड़ा जाता है।

शौचालयों की व्यवस्था करना

अलग-अलग स्वच्छता शौचालयों के निर्माण पर जोर दिया जाता है। ग्राम पंचायत ने सब्सिडी और परिवारों से

प्रत्यक्ष अंशदानों के माध्यम से शौचालयों का निर्माण किया है। अलग-अलग शौचालय विहीन परिवारों के लिए ग्राम पंचायत ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया।

सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की विशेषताएं :

- पुरूषों एवं महिलाओं के लिए क्रमश: चार से पाँच शौचालय।
- हर समय जल सुविधा (सीमेंट के खुले टैंकों में संचित जल)।
- अच्छी तरह वातायन एवं प्रकाशयुक्त।
- शौचालय की सफाई के लिए निर्धारित व्यक्ति।

घरेलू प्रयोजनों एवं पेयजल दोनों के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करना।

जिले ने भूजल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए सतही जल आपूर्ति का एकमात्र स्रोत है। 'चेरूवू' (हौज) में सतही जल के संग्रहण के माध्यम से पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। उपर स्थापित टैंक में पंप द्वारा जल को पहुँचाने से पहले संग्रहित जल से गाद निकाल दिया जाता है। उपर स्थित टैंक में जमा पानी को पंप द्वारा पाइप के जरिए घरों एवं सामुदायिक नलों में पहुँचाया जाता है। पेयजल के लिए, बाइराजू और नंदी फाउण्डेशन ने सामुदायिक आरओ एवं यूवी जल शोधन संयंत्र स्थापित किया है। इन यूनिटों से 4 रूपए प्रति 20 लीटर की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के अनुरक्षण की व्यवस्था करना

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने सामुदायिक स्वच्छता परिसर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- निर्धारित स्वीपरों द्वारा सामुदायिक परिसरों की नियमित सफाई की व्यवस्था करना।
- शौचालयों और नल, दरवाजा और बकेट/कंटेनरों जैसी परिसर संरचनाओं की मरम्मत।
- जब कभी अपेक्षित हो, गड्ढों/सेप्टिक टैंक की सफाई।

ग्राम पंचायत	**सीएससी/सीएसएल की संख्या**
जुव्वालापालेम	1
पेडाटाडेपल्ली	7
अटीली	10
थंगेलमुड़ी	1 निर्माणाधीन

*प्रलेखन दल ने चार ग्राम पंचायतों:पेडाटाडेपल्ली, थांगेलमुड़ी, अटीली और जुव्वालापालेम का दौरा किया।

ठोस अपशिष्ट :

अटीली मंडल में ग्राम पंचायत वर्ष 2009 की बाढ़ जिसने आंध्रप्रदेश को बुरी तरह प्रभावित कर दिया, में डूब गई। यह गाँव चार दिनों तक डूबा रहा। बंद नालों से होकर पानी तेजी से नहीं निकल पाया। जिला प्रशासन की सहायता से पंचायत ने वर्ष 1970 से लेकर अब तक पहली बार इसके नालों की सफाई की। चूँकि अधिकतर फ्लोटसम और जेटसम में प्लास्टिक का केरी बैग था, पंचायत ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अब तक घरेलू जल निपटान तंत्र निर्धारित स्थानों में अपशिष्ट को जमा करने की पद्धति से बदलकर स्वीपरों द्वारा घर-घर जाकर संग्रहण करना हो गया।

घर-घर जाकर प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए, पंचायत प्रति परिवार प्रति माह 15 रूपए का प्रभार लगाता है। पंचायत राशन की दुकानों के माध्यम से धनराशि संग्रहित करता है। प्रतिमाह 8 किलोग्राम से अधिक चावल के हकदार परिवारों पर शुल्क लगाया जाता है। तथापि, निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत राशनकार्ड धारकों को घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण के लिए, लिए जाने वाले शुल्क भुगतान करने से छूट प्राप्त है:

- एकल सदस्यीय राशन कार्ड धारक।
- अन्नपूर्णा/अंत्योदय योजना।
- अन्न योजना
- परिवार जिसमें परिवार प्रमुख अपंग हो।

तंत्र

राशन दुकान मालिक अपने क्रय मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक परिवार से 15 रूपए संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। इस आशय की एक अलग रसीद बनाई गई है। घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट संग्रहण पर इस शुल्क के माध्यम से पंचायत प्रतिमाह 60,000 रूपए अर्जित करती है। अपनी सेवा के लिए राशन दुकानदार को इस राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। शेष धनराशि का उपयोग स्वीपरों के वेतन का भुगतान करने के साथ-साथ साइकिल गाड़ी, झाड़ू आदि की खरीद तथा अनुरक्षण के लिए किया जाता है।

ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की व्यवस्था करना

ग्राम पंचायत ने घर-घर जाकर संग्रहण अथवा सार्वजनिक स्थानों में सामुदायिक कूड़ादान की व्यवस्था करके परिवारों से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की व्यवस्था की है। प्रत्येक स्वीपर अपने निर्धारित क्षेत्र से अपशिष्ट संग्रहित करता है और अन्य क्षेत्रों में नहीं जा सकता है।

पंचायत संग्रहण के लिए साइकिल गाड़ी अथवा बैलगाड़ी उपलब्ध कराती है। गाँव के बाहर निर्धारित स्थान पर अपशिष्ट डाल दिया जाता है। इसे प्रत्येक कूड़ा स्थल से कुछ दूरी पर जैव-अपघट्य अपशिष्ट और जैव-अनपघट्य अपशिष्ट को फेंककर अलग-अलग कर दिया जाता है। जैव अनपघट्य अपशिष्ट को पन्द्रह दिन के बाद जला दिया जाता है।

घर से लेकर गाँव के मुख्य नाला तक नाला/सोख्ता गड्ढों को संबद्ध करना

घरों के तरल अपशिष्ट को उन नालों की नहरों के माध्यम से निष्कासित कर दिया जाता है जो घर से लेकर गाँव के

मुख्य नालों तक प्रवाहित होते हैं। उन घरों के लिए जिसमें नाला बनाना संभव नहीं है, सोख्ता गड्ढा बनाया जाता है।

अटीली ग्राम पंचायत प्रति उल्लंघन अपराध के लिए 30 रूपए की दर से प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग के लिए दंडित करके एक वर्ष में 30,000 रूपए अर्जित किया। जुर्माना वापस ले लिया गया और स्थानीय व्यापारी के विरोध के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया।

घर से लेकर मुख्य नाले तक बहने वाला सब्जी के छिलके, प्लास्टिक कवर/कैरी बैग आदि जैसे ठोस अपशिष्ट से मुक्त है। प्रत्येक परिवार घर के सामने के नाले की सफाई, प्रवाहमान बनाए रखने, अवरोध मुक्त करने के लिए जिम्मेदार है।

निगरानी समिति और जुर्माना पद्धति

निगरानी समिति

समुदाय के सदस्यों के बीच व्यवहारगत बदलाव लाने विशेषकर शौचालय के उपयोग की आदत विकसित करने के लिए पंचायतों ने निगरानी समितियां गठित की हैं। निगरानी समिति में पंचायतों स्वसहायता समूहों विद्यालयों/आंगनवाड़ियों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों-तहसीलदार (कुलिस)/अधिवक्ता जैसी ग्रामीण संस्थाओं से लिए गए सदस्य शामिल होते हैं।

जुर्माना पद्धति

पंचायतों ने जुर्माना पद्धति बनाई है। खुले में शौच करने वाले अथवा खुले में कूड़ा फेंकने वाले अर्थात निर्धारित कूड़ास्थल/कूड़ादान में कूड़ा नहीं डालने वाले लोगों पर 50 रूपए का जुर्माना लगाया जाता है। तथापि, जुर्माने की इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से अवरोधक के रूप में किया जाता है। पंचायत ने कभी-कभी राशन दूकानदान को यह निदेश दिया है कि वह शौचालय का उपयोग नहीं करने वाले परिवारों का राशन के वितरण में विलम्ब करें अथवा

उनकी बिजली आपूर्ति को बाधित कर दें।

स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव

अधिकारियों के अनुसार, जिले में गेस्ट्रोइनटेरीटिस से संबंधित मामलों की संख्या में कमी आई है। एएनएम, बाइराजू फाउण्डेशन एवं केयर हॉस्पीटल (हैदराबाद) द्वारा प्रतिबंधित एक स्वास्थ्य केन्द्र ने रिपोर्ट दी है कि वर्षा ऋतु में अतिसार के मामलों की संख्या में प्रतिमाह 1 से 2 मामले की दर से 30 से 40 मामलों की कमी आई है। इसी तरह, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं ने वेक्टर जनित संक्रमणों विशेषकर मलेरिया में बहुत कमी दर्ज की है। सामान्य हित में इस उल्लेखनीय सुधार का श्रेय लोगों में सफाई के स्तरों में सुधार होने को दिया जाता है।

भावी कार्यक्रम

- जिला के अधिकारीगण ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन का एक मॉडल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जिले में ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट संयंत्र लगाने के लिए कॉरपोरेट घरानों से संपर्क किया गया है।
- मौजूदा नालों को पक्का नालों में परिणत करने के लिए व्यवस्था करना।
- वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामुदायिक स्वच्छता परिसर के अनुरक्षण भार को कम करना।
- प्लास्टिक के कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करना।

फोटो

जुव्वालापालेम गाँव : बस सेवा रद्दीकरण

जब बाइराजू फाउण्डेशन और केयर हॉस्पिटल ने वर्ष 2001 में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया तो गेस्ट्रोइनटेरीटिस के मामलों की संख्या

बहुत अधिक थी। प्रत्येक दिन तीन से चार बसों में सवार लोगों को इलूरू स्थित जिला अस्पताल लाया जाता था। आरंभ में इन बसों में सीटों की अग्रिम बुकिंग हुआ करती थी। सामान्य जीवन स्तर में सुधार होने से ऐसे मामलों की संख्या में कमी आई जिससे बस सेवा को रद्द करना पड़ा।

ग्रामीण कुरूक्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन 'कचरे से कमाई'

कुछ दशक पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट पूरी तरह जैविक हुआ करता था और उसे पिछवाड़े में डाल दिया जाता था तथा शेष हिस्से को प्रकृति पर छोड़ दिया जाता था। आज, आसान जीवन शैली सुनिश्चित करने के लिए प्लास्टिक एवं पुन:चक्रण नहीं किए जाने योग्य पदार्थों के बढ़ते उपयोग से अपशिष्ट संघटन की मात्रा एवं जटिलता दोनों में भारी वृद्धि हुई है।

सरकार, जो इस अपशिष्ट को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है, पर्याप्त जनशक्ति तथा संसाधन के अभाव में मुश्किल में है और इसलिए इस जिम्मेदारी का प्रभावपूर्ण ढंग से निर्वहन करने में असमर्थ है। निजी ठेकेदार अपशिष्ट प्रबंधन के सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं की उपेक्षा कर सकते हैं।

तथापि, चुनौतियों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कुछ सिद्धांतों का अनुपालन कर विभिन्न भागीदारीपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक अपनाई जानी चाहिए:

- अपशिष्ट को कम, पुन: उपयोग अथवा पुन:चक्रण किया जाना चाहिए।
- विकेन्द्रीकरण अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रभावी घटक होना चाहिए।

- प्रबंधन प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है।
- अपशिष्ट को साधारणत: कहीं भी नहीं डाला जा सकता है। इसका समुचित रूप से शोधन किया जाना चाहिए। कम्पोस्ट बनाने जैसी विधियों में एक सरल प्रक्रिया समाविष्ट है और भारी निवेश के बिना पूरी की जा सकती है।

अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण का उद्देश्य होगा :

- स्थायी शून्य-अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति प्राप्त करना।
- प्रयोक्ता अनुकूल एवं पर्यावरण हितैषी पुन: उपयोग एवं पुन:चक्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से अपशिष्ट से संसाधन पुन: प्राप्ति को अधिकतम बनाना।
- क्षेत्र को साफ,सुथरा एवं सुंदर रखना ।

कुरूक्षेत्र जिला दिल्ली-चंडीगढ़ रोड पर स्थित है; इसमें पाँच सामुदायिक विकास खंड़, 378 ग्राम पंचायतें हैं।

इस पहल को प्रायोगिक तौर पर शुरू करने की पंचायत की इच्छा के मद्देनजर सनवाला गांव में 'कचरे से कमाई' कार्यक्रम को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया। इस परियोजना को सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्यों और संपूर्ण ग्रामीण समुदाय की भागीदारी से कार्यान्वित किया गया।

जिले में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) को समुदायनीत संपूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) दृष्टिकोण के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए जन भागीदारी से मिशन मोड में शुरू किया गया। इसके फलस्वरूप 250 निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए गए और ग्रामीण कुरूक्षेत्र में लगभग शत प्रतिशत ओडीएफ का लक्ष्य हासिल किया गया। आज मात्र 5 प्रतिशत परिवारों में शौचालय की सुविधा नहीं है। स्वच्छता

अभियान की सफलता के फलस्वरूप और गाँव को स्थायी रूप से साफ एवं अधिक स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से अगला कदम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्या का समाधान करना था ताकि ग्राम पंचायतों की निर्मल ग्राम स्थिति को कायम रखा जा सके।

परियोजनागत दृष्टिकोण

प्रथम चरण के रूप में जिला प्रेरकों को एसडब्ल्यूएम की विभिन्न अच्छी पद्धतियों के बारे में दी जा रही जानकारी के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया गया।

सनवाला गाँव में इस पहल को संचालित करने की पंचायत की इच्छा के मद्देनजर "कचरे से कमाई" परियोजना का शुभारंभ प्रायोगिक आधार पर किया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्यों और संपूर्ण ग्रामीण समुदाय की भागीदारी से इस परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। आरंभ में, गाँव में समुदाय की प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई जिसमें अनेक ग्रामीणों ने भाग लिया; इसके बाद वार्ड स्तर पर बैठक आयोजित की गई। अभिक्रिया के आधार पर घर-घर जाकर अभियान चलाया गया।

आरंभ में, संपूर्ण गाँव को साफ-सुथरा बनाया गया जिससे ग्रामीणों को प्रेरणा मिली जो पहले और बाद के बीच के विरोधाभास को समझ पाए तथा साफ-सफाई बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। परिवारों को प्रत्येक घर में कूड़ादान का उपयोग करने के लाभों के बारे में शिक्षित किया गया। दो अतिरिक्त कामगारों को तैनात किया गया और गलियों एवं नालियों को साफ करने के लिए पंचायत द्वारा नियोजित मौजूदा सफाई कर्मी (सफाई कामगार) के अतिरिक्त घरेलू अपशिष्ट के संग्रहण के लिए तीन चक्के वाली गाड़ी का उपयोग किया गया।

फोटो

फोटो

2000 की आबादी के लिए ग्राम स्तरीय शून्य आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का परियोजना परिव्यय

विवरण	**मात्रा**	लागत (रू. में)
अनावर्ती व्यय		
36'x24' का शेड निर्माण लागत (गैर-एकल निवेश)	1	1.30
साधनों एवं उपकरणों (दस्ताना, मास्क, साबुन, तसला, कस्सी, पानाजिली आदि जैसे सफाई उपकरण) की लागत	2	0.05
तीन पहिए वाली साइकिल रिक्शा	2	0.20
शौचालय	1	0.022
उप-जोड़		1.572
आवर्ती व्यय		
कार्य में सहयोग करने और संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण जैसे ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए (9x9000) माह के लिए 4,500 की दर से कामगारों को भुगतान	2	0.81
5 ग्राम पंचायतों (9x2000) माह के प्रति माह 10,000 रू. की दर से हिस्सेदारी आधार पर पर्यवेक्षण	1	0.18
प्रतिमाह 1000 रूपए की दर से विविध व्यय		0.09
उप-जोड़		1.08
मासिक व्यय		0.12

निर्धारित पूंजीगत निवेश में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए ग्राम पंचायत से प्रतिबद्धता की मांग की गई। प्रमुख खर्च में ठोस अपशिष्ट के भंडारण एवं पृथक्करण के लिए शेष का निर्माण, घर से अपशिष्ट के संग्रहण के लिए तिपहिया की खरीद, दस्ताना, जूता एवं मास्क जैसी अन्य सामग्रियों से कामगारों को सुसिज्जत करना शामिल है। इस अपशिष्ट को संग्रहित करके

पृथक्करण के लिए शेड ले जाया गया। जैव अपघट्य अपशिष्ट को दो श्रेणियों में अलग किया गया। पहली श्रेणी को वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन और दूसरी का उपयोग घरेलू चीजें बनाने में किया गया।

जैव अनपघट्य अपशिष्ट को पुन: विभिन्न श्रेणियों-प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने सामान, पोलीथीन काँच, काँच की बोतल, टेरा-पेक कवर, थर्मोकोल, रद्दी में पृथक किया गया और

कबाड़ी के पास बाजार दर पर बेच दिया गया।

परियोजना से मासिक आय

विवरण	परिमाण	राजस्व
घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण के लिए प्रति परिवार प्रतिदिन न्यूनतम 0.50 रूपए की दर से अर्थात 15 रू.	400 परिवार	6,000.00
अपशिष्ट संग्रहण के लिए प्रति दुकान प्रतिदिन न्यूनतम 2.00 रू. की दर से अर्थात 60.00 रू.	15 दुकान	900.00
शुल्क संकलन के लिए प्रतिदिन प्रति संस्था/विक्रेता सरकारी, गैर-सरकारी, बैंक एवं अन्य के लिए न्यूनतम 3.00 रू. की दर से 90 रू.	2 संस्था	180.00
अपशिष्ट संग्रहण के लिए प्रति निजी दवाखाना प्रतिदिन न्यूनतम 5.00 रू. की दर से	2 दवाखाना	300.00
प्रतिदिन प्रति परिवार 30 दिनों के लिए 0.50 रू. की दर से पुन:चक्रण योग्य/पुन:उपयोग की जाने वाली सामग्री की बिक्री	400 परिवार	6000.00
0-10 रू. प्रतिदिन प्रति परिवार 30 दिनों के लिए 0.10 रू. की दर से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री	400 परिवार	450.00
जोड़		13,830.00 अर्थात 0.138 लाख रू.

नोट: घर-घर जाकर संग्रहण करने से प्राप्त आय एक अनंतिम राशि है और लगभग 6 माह तक प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

फोटो **फोटो**

फोटो

जैव अपघट्य अपशिष्ट को दो श्रेणी में पृथक किया गया, पहली श्रेणी का उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने और दूसरी श्रेणी का उपयोग घरेलू सामान बनाने के लिए किया गया ।

कागज के अपशिष्ट का उपयोग कागजी सामान और बिक्री योग्य उपयोगी एवं सजावट वाला सामान बनाने के लिए किया गया।

यह प्रायोगिक परियोजना सफल हुई और गाँव ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं कूड़े का प्रबंधन किए जाने के साथ साफ-सुथरा है।

मध्य प्रदेश

निर्मल ग्राम आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र

मध्यप्रदेश राज्य वर्ष 2000 से निर्मल भारत अभियान को कार्यान्वित कर रहा है। एनबीए की एमआईएस के अनुसार, 31 जुलाई, 2012 तक राज्य की पारिवारिक शौचालय कवरेज 79.83 प्रतिशत थी। 23,075 ग्राम पंचायतों में से लगभग 2068 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है। अब तक राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों में राज्य प्रायोजित क्षमता निर्माण क्रियाकलापों को संचालित किया गया है, एक तथ्य जिसने इन सम्मेलनों में मुख्य स्टेकहोल्डरों विशेषकर निचले स्तर के कर्मी, निचले स्तर की पंचायती राज संस्थाओं, सामुदायिक नेतृत्वों की भागीदारी को सीमित कर दिया। इसके अतिरिक्त, इन प्रशिक्षणों में क्षेत्र की वास्तविक स्थितियों और शिक्षण को प्रभावित करने वाले अनुभवों को परिलक्षित नहीं किया गया। इस प्रकार, राज्य ने चुनिंदा आदर्श ग्राम प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से क्षमता निर्माण क्रियाकलाप शुरू करने के अभिनव विचार का प्रस्ताव किया। प्रथम चरण में, राज्य ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान

(टीएससी) कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी उपलब्धियों के रूप में अच्छा निष्पादन करने वाले जिलों में से आठ आदर्श ग्राम प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन किया।

आदर्श ग्राम प्रशिक्षण केन्द्रों के चयन के लिए मानदंड

- **निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायत जिसने निर्मल ग्राम की स्थिति बनाए रखी है।**
- **आसान अभिगम्यता के लिए जिला मुख्यालय से समीपता।**
- **प्रशिक्षण शुरू करने के लिए न्यूनतम अवसंरचना (प्रशिक्षण हॉल, स्नानघर एवं शौचालय सुविधा सहित प्रतिभागियों के लिए बैठने की जगह)**
- **इच्छुक एवं सुदृढ़ ग्राम पंचायत निकाय**

नंदिया आदर्श ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र ने प्रत्येक सत्र के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार की और प्रशिक्षण के लिए उत्तम ओडियो तस्वीर सहित विभिन्न प्रकार के वीडियो संसाधन एवं मुद्रित पत्रिका संकलित की।

आदर्श ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के विभिन्न चरण

अवधारणा निर्माण एवं सरकारी-अनुमोदन

इस विचार को वर्ष 2010 में टीएससी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अवधारणा का रूप दिया गया। इसे राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) और जिला स्वच्छता समितियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया तथा उसके बाद एसडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुमोदित किया गया। बाद में इसे अनुवर्ती कार्रवाई को प्रोत्साहित करने वाले परिपत्र के रूप में सभी जिलों को भेजा गया।

आदर्श ग्राम प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्धारण

आरंभ में एसडब्ल्यूएसएम ने निर्धारित मानदंडों के आधार पर विभिन्न जिलों

से संभावित आदर्श ग्राम प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची की मांग की। बाद में, राज्य के दल ने सभी संभावित आदर्श ग्राम स्थलों का त्वरित मूल्यांकन किया। इस मूल्यांकन के आधार पर, कई जिलों से आठ आदर्श ग्राम प्रशिक्षण केन्द्रों (प्रत्येक डिवीजन से एक केन्द्र) को अनुमोदित किया गया और सभी जिलों में इस अंतिम सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

प्रशिक्षण योजनाओं और प्रशिक्षण मोड्यूल का निर्माण

राज्य द्वारा दो सूत्री कार्यनीति अपनाई गई है। जहाँ राज्य सीसीडीयू मानक प्रशिक्षण मोड्यूल बनाने पर सहमत हुए, वहीं जिला एवं ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र ने पुस्तिका एवं प्रशिक्षण उपकरण के साथ प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का प्रस्ताव दिया। कुछ केन्द्रों ने इस संबंध में उत्कृष्ट कार्य किया। उदाहरणस्वरूप्, नंदिया आदर्श ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र ने प्रत्येक सत्र के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार की और प्रशिक्षण के लिए अच्छी ओडियो तस्वीर सहित विभिन्न वीडियो संसाधन एवं मुद्रित पुस्तिका संग्रहित की। इसी तरह, होशंगाबाद जिला और इसके प्रशिक्षण केन्द्र, चिल्लई ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण उपकरण (एक-चार्ट, शौचालय मोड्यूल, आदि) तैयार किए।

संसाधन व्यक्तियों और मुख्य प्रशिक्षकों का समेकन

सभी प्रशिक्षण केन्द्रों ने संबंधित जिलों के परामर्श से प्रत्येक ग्राम पंचायत, आस-पास की ग्राम पंचायत और प्रखंडों से मुख्य संसाधन व्यक्तियों और प्रशिक्षकों को निर्धारित किया। कुछ जिलों ने प्रशिक्षण सत्र संचालित करने के उद्देश्य से संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए जिला एवं प्रखंड समन्वयकों को प्रतिनियुक्त किया है। कुछ केन्द्रों में, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, सचिव, समुदाय नेतृत्व ने प्रशिक्षण सत्र और क्षेत्र दौरा को

सुविधागत बनाने की जिम्मेदारी ली। उदाहरणस्वरूप, श्री शंकर सिंह परियार, पूर्व अध्यक्ष, नंदिया ग्राम पंचायत को नंदिया ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र का निदेशक सह मुख्य प्रशिक्षक नामित किया।

प्रणाली एवं प्रक्रियाविधि निर्माण

सभी केन्द्रों ने प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए नियम एवं विनियम बनाए हैं। प्रत्येक केन्द्र ने इस प्रयोजनार्थ निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग संयुक्त खाता खोला और जीवन-यापन लागत (650 रू. से 1500 रू. के बीच) के आधार पर प्रति भागीदार प्रतिदिन के उपयुक्त प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित किया। उन्होंने सहायक साधन सहित प्रशिक्षण को सुविधागत बनाने के लिए एक अलग समिति भी बनाई। नंदिया प्रशिक्षण केन्द्र ने पूंजीगत निधियां जुटाने एवं अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति भागीदार 10 रू. की दर से ग्राम पंचायत को भुगतान किया।

विभिन्न क्षमता निर्माण क्रियाकलाप आरंभ करना

प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, सभी मुख्य संसाधन व्यक्तियों और मुख्य प्रशिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण विधियों एवं तकनीकों के साथ-साथ पाठ्यक्रम विषय-वस्तु तैयार करने, क्षेत्र दौरा आयोजित करने और राज्य सीसीडीयू के संबंध में निर्देश मिला। इसके अतिरिक्त, जिला एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के परामर्श से राज्य ने प्रथम तीन माह के लिए प्रशिक्षण कैलेन्डर तैयार किया। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, राज्य ने चार केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र के लिए 10 से 12 दो दिवसीय प्रशिक्षण आबंटित किया।

मुख्य उपलब्धियां

- आठ प्रशिक्षण केन्द्रों में से चार केन्द्र चालू हैं। शेष चार केन्द्रों के अगले तीन से छः माह में चालू होने की प्रत्याशा की गई है।

- अधिकतर केन्द्रों ने प्रशिक्षण सामग्री, पुस्तिका और प्रशिक्षण उपकरण बनाए हैं जो निर्मल ग्राम पंचायत बनाने में निचले स्तर के कार्मियों एवं समुदाय नेतृत्व को प्रशिक्षित करने के लिए अपेक्षित हैं।
- निर्मल ग्राम पुरस्कार सृजित करने में चार ग्राम प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा लगभग 1140 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

सभी प्रशिक्षण केन्द्रों से संबंधित जिलों के परामर्श से प्रत्येक ग्राम पंचायत, आस-पास की ग्राम पंचायतों एवं प्रखंडों से लिए गए मुख्य संसाधन व्यक्तियों एवं प्रशिक्षकों को निर्धारित किया।

- कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों ने आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए समूह निधि सृजित करने के उद्देश्य से अन्य क्षेत्रों के प्रशिक्षण को आयोजित करना आरंभ किया।
- परिणामस्वरूप, स्थानीय मुख्य संसाधन व्यक्तियों के बीच कौशल, ज्ञापन एवं संपर्क में बहुत अधिक बेहतरी आई।
- यह कार्यक्रम नियमित रोजगार पैदा कर रहा है और ये केन्द्र उन कुछ स्वसहायता केन्द्रों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बन गए हैं जिन्हें प्रतिभागियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशिक्षण केन्द्रों के सफल संचालन में योगदान करने वाले कारक

- समुदाय अनुकूल सरकारी नीति/आदेश
- क्षेत्र कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिलों एवं प्रखंडों की इच्छा।

- संबंधित जिला स्वच्छता एककों द्वारा समयबद्ध अनुपालन एवं सहायता।
- सक्षम ग्राम पंचायत निकाय एवं उपलब्ध स्थानीय संसाधन व्यक्ति।
- वास्तविक क्षेत्रीय पर्यावरणों का व्यावहारिक प्रदर्शन (एनजीपी ग्राम पंचायत)।
- उपलब्ध वास्तविक अवसंरचना (प्रशिक्षण हॉल, स्थान आदि)।
- अवसंरचना विकास के लिए विदेशी सहायता।

सभी केन्द्रों ने भविष्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समूह निधि सृजित करने के अतिरिक्त प्रशिक्षण खर्च एवं अन्य प्रचालन लागतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिभागियों से प्रशिक्षण शुल्क संग्रहित करना आरंभ कर दिया है।

सीखे गए मुख्य सबक

- संसाधनों तक पहुँच वाले शहरों के आस पास स्थित केन्द्र प्रशिक्षण सत्र को कारगर ढंग से संचालित करने और अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करने में सक्षम हैं।
- केन्द्र, जो ग्राम पंचायत से अथवा आस-पास की ग्राम पंचायतों से संसाधन व्यक्ति को नियोजित करते हैं, कारगर ढंग से कार्य करते हैं।
- स्वच्छता की उपलब्धियों को प्राप्त करने के क्रमबद्ध दृष्टिकोण और प्रक्रिया (ओडीएफ, उपयोग, एनजीपी आदि) अपनाने वाली और निर्मल ग्राम पुरस्कार की स्थिति को कायम रखने वाली ग्राम पंचायत सकारात्मक शैक्षणिक पर्यावरण बनाने और संपूर्ण सत्र के दौरान प्रतिभागियों के बीच उत्साह बनाए रखने में सफल हुई हैं।

इसके अतिरिक्त, वे अनुवर्ती प्रशिक्षण के लिए मांग सृजित कर पाए।

फोटो

- सतत प्रशिक्षण एवं आदर्श प्रशिक्षण पंचायतों के समुदायों के साथ प्रतिभागी विचार-विमर्श से समुदायों एवं ग्राम पंचायतों पर निरंतर दबाव बना है कि वे अपनी एनजीपी स्थिति को बनाए रखें और पर्यावरणीय स्वच्छता में सतत सुधार करें।
- ग्राम पंचायत और स्थानीय संसाधन व्यक्ति द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण केन्द्र अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते प्रतीत होते हैं।
- निचले स्तर के कर्मियों को प्रशिक्षित करने में जिलों एवं प्रखंडों का कार्यबोझ काफी कम कर दिया गया है।

आत्म निर्भरता एवं पुनरावृत्ति

सभी केन्द्रों ने भविष्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समूह निधि बनाने के अतिरिक्त, प्रशिक्षण खर्चों और अन्य प्रचालनात्मक लागतों को पूरा करने के लिए प्रतिभागियों से प्रशिक्षण शुल्क संग्रहित करना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अन्य विभागों से अधिक क्षेत्र और गैर-क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए मांग सृजित करना शुरू कर दिया है। राज्य और संबंधित जिलों ने प्रचालानात्मक लागत को कम करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम को ज्यादा कारगर ढंग से संचालित करने के लिए इन केन्द्रों की स्थानीय क्षमताओं को विकसित करने की योजना बनाई है। कुछ जिले अवसंरचना के विकास के लिए पूंजीगत निधियां उपलब्ध कराने की भी योजना बना रहे हैं जो क्षेत्र एवं गैर-क्षेत्रगत प्रशिक्षण दोनों के लिए मांग सृजित कर सकते हैं।

इन अनुभवों के आधार पर, राज्य, राज्य भर में इस प्रकार का और अधिक

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा प्रति जिला कम से कम एक आदमी ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र बनाने की योजना बना रहा है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
संपूर्ण स्वच्छता अभियान, ग्रामीण विकास विभाग,
विंध्याचल भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
फैक्स: 0755-2551487, दूरभाष: 0755-2550094

केरल

स्कूली बच्चों के लिए 'तेलिमा' स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई शिक्षा संबंधी कार्य पुस्तिका

'तेलिमा' टीएससी के ढांचे जिसका पाठ्यक्रम में उपयोग किया गया, के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई शिक्षा के संबंध में क्रियाकलापोन्मुख कार्य पुस्तिका है। इसे बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्वस्थ समाज निर्माण के लिए विद्यालय स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सुचित्वा मिशन और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), केरल द्वारा आरंभ किया गया। सुचित्वा मिशन और सर्व शिक्षा अभियान, केरल ने संयुक्त रूप से यह कार्य पुस्तिका तैयार की।

'तेलिमा' की विषय-वस्तु कक्षा 5 से 9 के निर्धारित पाठ्यक्रम के विभिन्न अध्यायों के अनुकूल तैयार की गई है तथा इसे शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के दौरान प्रकाशित किया गया। इन अध्यायों के शीर्षक हैं 1. मैं साफ हूँ, 2. जल कीमती है, 3. प्रदूषण-एक बड़ा खतरा, 4. मैं और मेरा दोस्त और 5. हमारी संरक्षा हमारे हाथों में।' विस्तृत चर्चा के साथ पूर्व में उल्लिखित विषयों पर कार्य पुस्तिका केन्द्र का विषयगत प्रस्तुतीकरण, विद्यालयी परियोजनाओं

एवं प्रयोगों के लिए विषय, ज्ञान प्रचार-प्रसार के साथ अभिवृतिगत बदलाव एवं कौशल विकास के लिए क्रियाकलाप। इसका उपयोग शिक्षकों के लिए एक पुस्तिका और विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलापों के कैलेण्डर के रूप में किया जा सकता है।

उद्देश्य

- बच्चों में स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई संबंधी मूल्यों का निर्माण एवं विकास।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में उपलब्धियों के स्थायित्व के लिए वातावरण पैदा करना।
- अभिवृत्तिगत बदलाव को अपनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना।
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं समुचित उपयोग के बारे में बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करना।
- संबंधित विषयों के संबंध में कुछ कौशल प्रदान करना।

शुरूआत

यह कार्यक्रम विद्यालय स्वच्छता के लिए विशिष्ट कार्यनीति की योजना बनाने के लिए जून, 2009 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया। राज्य सरकार के सुचित्वा मिशन ने इस विचार को अवधारणा का रूप दिया और सर्व शिक्षा अभियान और राज्य में उपलब्ध अन्य संसाधनों के संबंध में कार्य पुस्तिका तैयार की।

क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के संबंध में जिला/प्रखंड स्तर पर सभी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य प्रशिक्षकों का समूह तैयार किया गया। प्रशिक्षित शिक्षकों ने विद्यालय स्तर पर क्रियाकलापों को कार्यान्वित किया।

ग्रामीण विकास विभाग सर्व शिक्षा अभियान के संकायों, सामुदायिक

चिकित्सा विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टीपीपीएम तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए विषय-वस्तु तैयार करना एक सहयोगात्मक प्रयास था। स्थानीय स्वशासन विभाग (ग्रामीण विकास) और शिक्षा विभाग ने इस पहल का समर्थन किया।

इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कदम हैं :

- सुचित्वा मिशन में विचार निर्माण।
- सर्व शिक्षा अभियान के साथ प्रारंभिक परामर्श।
- स्थानीय स्वशासन विभाग मंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच चर्चा और ऐसे कार्य समूह बनाने के उद्देश्य से सहयोगात्मक प्रयास के लिए नीतिगत करार।
- सरकारी निर्णय एवं अनुमोदन।
- ग्रामीण विकास विभाग, सर्व शिक्षा अभियान के संकायों, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टीवीपीएम, और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारियों को सम्मिलित करके मुख्य समूह का निर्माण।
- विषयगत निर्धारण संबंधी कार्यशाला।
- मुख्य समूह के निर्णयों के आधार पर कार्य पुस्तिका तैयार करने के लिए मुख्य संकायों का निर्धारण।
- कार्य पुस्तिका निर्माण कार्यशाला।
- सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य प्रशिक्षकों के लिए प्रचार-प्रसार कार्यशाला।
- विषय-वस्तु का अंतिम अनुमोदन।

- कार्य पुस्तिका का मुद्रण और सरकारी विद्यालयों में परिचालित करना।
- कक्षा 5 से 9 के शिक्षक एवं विद्यार्थी पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप के हिस्से के रूप में कार्य पुस्तिका का उपयोग करें।

सर्व शिक्षा अभियान एवं सीसीडीयू के नेतृत्व में शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया। केरल सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए कक्षा 5-6 के सभी बच्चों के लिए कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई। जिला/प्रखंड स्तर पर सभी विद्यालयों के शिक्षकों को क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार किया गया। प्रशिक्षित शिक्षकों ने विद्यालय स्तर पर इस क्रियाकलाप को कार्यान्वित किया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर स्टेण्डर्ड 5-9 के स्कूली विद्यार्थियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। शिक्षकों को इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षक एवं विद्यार्थी सहित सुचित्व सेना बनाई गई। इस कार्यक्रम से मुख्य रूप से विद्यार्थियों को लाभ मिलता है लेकिन संपूर्ण समाज इस प्रक्रिया से लाभान्वित होता है।

इस पहल का स्थायित्व

विगत दो वर्षों से विद्यालय में "तेलिमा" कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसकी नियमित निगरानी की जा रही है।

क्रियाकलापों का स्तर

इस कार्यक्रम को राज्य के सभी विद्यालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम में इस पुस्तिका को शामिल करना शुरू कर दिया है। अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों की मांग को ध्यान में रखते हुए कार्य का सदृश अंग्रेजी रूपांतरण

तैयार करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न स्थानीय भाषाओं में देश भर में उपयोग के लिए ऐसी कार्य पुस्तिकाएं तैयार करने की गुंजाइश है। नई पीढ़ी में स्वास्थ्य, साफ-सफाई एवं स्वच्छता के क्षेत्रों में अच्छी आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए "तेलिमा" को विद्यालय पाठ्यक्रम में समेकित कर दिया गया है। चूँकि "तेलिमा" कार्य पुस्तिका को सरकारी अनुमोदन प्राप्त है, इसलिए इसका कार्यान्वयन और इसकी मुख्य विषय-वस्तु के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोक्ताओं की ओर से किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार यह क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक मूल्य संवर्द्धित प्रयास है।

इस उत्तम आदतों के पीछे मुख्य कारक

- दो विभागों द्वारा सहयोगात्मक प्रयास के लिए राजनीतिक निर्णय।
- प्रभावी परामर्श।
- अधिकारियों, संकायों के दल और इस क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा संयुक्त बौद्धिक योगदान।
- कार्यान्वयन विभाग (शिक्षा) द्वारा स्वामित्व।
- विषयवस्तु विद्यार्थियों को समेकित रूप में सहबद्ध करने तथा सोचने की अनुमति देते हुए पाठ्य पुस्तकों में संबंधित विषयों से आबद्ध करता है।

सीखे गए सबक

- विद्यालय स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई शिखा तभी सफल होगी जब उनहें पाठ्यक्रम में समेकित कर दिया जाता है।
- कार्यक्रम की सहायता करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आवश्यकता होती है।
- प्रभावी समन्वयन और तालमेल से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।

अन्य पहलू

पुस्तकों के अतिरिक्त, सामग्रियों की सॉफ्ट प्रतियां सभी विद्यालयों एवं मुख्य प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराई गईं जो प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण प्रयोजनों के लिए बहुत उपयोगी पाई गई। केरल सरकार ने संपूर्ण पहल के प्रभाव एवं लाभदायकता का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अध्ययन करवाया है।

कार्य पुस्तिका का अंग्रेजी एवं मलयालम रूपांतरण एसएसए केरल की सरकारी वैबसाइट http://ssamis.com/web/or www.keralassa.org पर उपलब्ध है।

लखनऊ

कचरा लाओ, बायो गैस ले जाओ

कचरा हमारे चारों ओर है। यह घरों, रसोईघरों, बाजारों, पशुओं, खेतों, आदि से प्राप्त होता है। कचरे का उत्पादक उपभोग करने की नितांत आवश्यकता है। भारत में 485 मिलियन पशुओं से उत्सर्जित होने वाले कचरे से अत्यधिक पोषक, रोगजनक जीवाणु, कार्बनिक पदार्थ, ठोस एवं गंधयुक्त यौगिक पर्यावरण में मिश्रित होता है (कृषि मंत्रालय 2006)। इस प्रकार, स्वच्छता से संबंधित अन्य मामलों के साथ-साथ पशु अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान से संबंधित क्रियाकलाप शुरू करने के लिए इसके बजट का 10 प्रतिशत हिस्सा आबंटित किया गया है। यह निर्धारित किया गया है कि कार्बनिक अपशिष्ट के अनॉक्सी (बिना ऑक्सीजन का) अपघटन से मिथेन गैस बनती है और मिथेन गैस एक उपयोगी ईंधन है। इसीलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर और अन्य कार्बनिक अपशिष्ट की वृहत पैमाने पर उपलब्धता का उपयोग संगठित रूप में मिथेन गैस बनाने के लिए किया जा सकता है। अनुमान है कि पशुओं की मौजूदा संख्या के मद्देनजर, भारत रसोई बनाने में एलपीजी और किरोसिन को संपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिथेन गैस बना सकता है तथा परिवहन गाड़ियों में पैट्रोल के विकल्प के रूप में इसका उपयोग कर सकता है। उष्मीय मान के रूप में, 1 किलोग्राम मिथेन गैस, 1 किलोग्राम पेट्रोल, एलपीजी, किरोसिन और डीजल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा के बराबर है।

इसके अतिरिक्त, इसके उपोत्पाद मँहगे रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता को निप्रभावी करते हुए उत्कृष्ट जैविक खाद के रूप में कार्य कर सकता है जिसके लिए कच्चे माल के रूप में पुन: एलपीजी की आवश्यकता होती है।

उत्तम पद्धतियों का विवरण

लखनऊ स्थित योजना विभाग के जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ ने यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2008 में ठोस अपशिष्ट आधारित बायो गैस प्रणली विकसित की जो ठोस अपशिष्टों को प्रबंधित करने की समस्या का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। प्रयोक्ता अनुकूल प्रचालन एवं अनुरक्षण विशेषतायुक्त इस सरल प्रौद्योगिकी इसके वृहत स्तरीय अधिग्रहण के इच्छुक ग्रामीण एवं शहरी लोगों को आकर्षित कर रही है। अभिनव जैव-ऊर्जा मिशन मॉडल में जैव अपशिष्टों (खाद एवं सब्जी सामग्री) को डाइजेस्टर नामक विसंवाहित वायुरूद्ध पात्र में रखकर प्राकृतिक अनॉक्सी प्रक्रिया को तेज करना संभव है।

स्वच्छता से जुड़े अन्य मामलों के साथ-साथ पशु अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। टीएससी के अंतर्गत ठोस एवं द्रव अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान से संबंधित क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए अपने बजट का 10 प्रतिशत हिस्सा आबंटित किया गया है।

सभी प्रकार के कृषि एवं अन्य जैविक घरेलू अपशिष्ट को संग्रहित करके बायो-डाइजेस्टर में डाला जाता है। इस मॉडल में 10 डाइजेस्टर होते हैं। प्रत्येक डाइजेस्टर की क्षमता प्रति सप्ताह 200 कि.ग्रा. की होती है जिसका तात्पर्य है कि प्रति सप्ताह 2000

कि.ग्रा.कच्चे माल को इन डाइजेस्टरों में डाला जा सकता है। अपेक्षित मात्रा डालने के बाद बायो-डाइजेस्टर को निष्क्रिय सामग्री के पूर्व-अभिकल्पित गुबंद के साथ मुहरबंद कर दिया जाता है। आरंभ में चार अथवा पांच दिनों के बाद अनॉक्सी स्थितियों में गैस बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस गैस में 65 से 68 प्रतिशत तक मिथेन गैस रहती है और नाम मात्र अमोनिया के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड (एच2एस) एवं आद्रता (1 से 2 प्रतिशत) के साथ-साथ 31 से 33 प्रतिशत कार्बन डाई-ऑक्साइड गैस रहती है। तथापि, इस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अलग करने के लिए चूना जल से होकर निकालकर शोधित किया जाता है, इसके बाद इसका उपयोग किए जाने से पहले हाइड्रोजन सल्फाइड को अलग करने के लिए लौह कतरन से होकर प्रवाहित किया जाता है। प्राकृतिक गैस के समरूप इस मिथेन गैस का उपयोग उष्मन, प्रकाश, भावी उपयोग के लिए भंडारण के लिए किया जाता है, उष्मा चालित इंजन को चालित करने के लिए संपीड़ित की जाती है। डाली जाने वाली सामग्री का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा (गैसीकरण के बाद) संयंत्र के आउटलेट में संग्रहित किया जाता है। इसे बायो गैस स्लरी कहते हैं। यह एक अच्छा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में है। इस प्रकार के संयंत्र यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से जैव-ऊर्जा मिशन प्रकोष्ठ, योजना विभाग,उत्तर प्रदेश के तकनीकी समन्वयन में प्रायोगिक आधार पर वर्ष 2008 में बलिया जिले के मिश्रावालिया गाँव (2 यूनिट) और वर्ष 2009 में लखनऊ जिले में मुल्लाहीखेड़ा (एक यूनिट) गाँव में स्थापित किए गए। दोनों संयंत्र कार्यात्मक हैं और प्रयोक्ता समूहों द्वारा इनका प्रचालन एवं अनुरक्षण किया जाता है।

अन्य मॉडलों की तुलना में लाभ

जैव-ऊर्जा मिशन मॉडल	अन्य मौजूदा बायो गैस मॉडल
अनुरक्षण एवं सफाई करने में आसान	अनुरक्षण एवं सफाई करना मुश्किल
प्रत्याशित जीवन लगभग 20 वर्ष है।	जीवन प्रत्याशा मात्र तीन से चार वर्ष है।
कोई रिसाव नहीं क्योंकि गुंबद एफआरपी का बना हुआ है।	रिसाई पाया गया है क्योंकि गुंबद लोहे का बना है।
बायो गैस उत्पादन एक समान है और मौसमी अभाव से प्रभावित नहीं हुआ है।	मौसम के सापेक्ष बदलता है (ग्रीष्मकाल में अत्यधिक और जाड़े में कम उत्पादन होता है।
दुर्गंध नहीं निकलता है क्योंकि केवल 20 प्रतिशत गाय के गोबर की आवश्यकता होती है।	तीक्ष्ण गंध
साप्ताहिक भरण के साथ प्रतिदिन 80 किलोग्राम गैस उत्पादित	उत्पादित गैस काफी कम है।
अनॉक्सी अपघटन से 75-80 से.मी. जल स्तर दाब सृजित हुआ।	ऑक्सी अपघटन से 4 से 5 से.मी. जल स्तर दाब सृजित हुआ।
बर्नर पर कोई आद्रता नहीं	बर्नर पर प्राय: आद्रता आ जाती है।
हाइड्रोलिक प्रतिधारण-प्रवाह काल (एचआरटी) मात्र 48 से 72 घंटा है।	हाइड्रोलिक प्रतिधारण-प्रवाह काल (एचआरटी) लगभग 45 दिन है।
इंटर-डाइजेस्टर संपर्क संभव है।	इंटर डाइजेस्टर संपर्क संभव नहीं है।

बायो गैस संयंत्र के लाभ

- पशु एवं अन्य कृषि/जैविक अपशिष्टों के समुचित प्रबंधन से गाँव साफ होगा जिससे स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई बेहतर होगी।
- जैविक अपशिष्ट का मिथेन गैस में रूपांतरण और ईंधन के रूप में इसके उपयोग से ऊर्जा सुरक्षा पैदा होगी क्योंकि जीवाश्म ईंधन 30 या 40 वर्षों से अधिक टिकाऊ नहीं रह सकता है।
- तड़ित संचालन के लिए बिजली पर निर्भरता में काफी कमी लाई जा सकती है।
- सामान्यत: जैविक अपशिष्ट के ऑक्सी अपघटन से कार्बन डाई ऑक्साइड अथवा कार्बन मोनो-ऑक्साइड जैसी हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस उत्सर्जित होती है। मिथेनीकरण की प्रक्रिया हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस के उत्सर्जन में कमी आती है और ओजोन परत के क्षरण को रोकने में मदद मिलती है। इससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होने की प्रत्याशा है।
- इन प्रकार के संयंत्रों को ग्राम स्तर पर आसानी से स्थापित एवं परिचालित किया जा सकता है तथा इन्हें महिला स्व-सहायता समूह अथवा स्थानीय उद्यमियों द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। चूँकि इस उपकरण का आकर्षक बाजार है, इसलिए इस संयंत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए तथा यह अनेक लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है।

जैव-ऊर्जा मिशन मॉडल की लागत

भूमि	**सामुदायिक अंशदान**
शेड की लागत	60,000 रू.
उपकरणों की लागत	6,60,000 रू.
गैस स्टोव एवं बत्ती	60,000 रू.
विविध खर्च	20,000 रू.
मासिक आवर्ती खर्च	15,750 रू.
कुल	**815,750** रू.

सामुदायिक भागीदारी

समुदाय परियोजना की आयोजना बनाने के समय से ही शामिल किए जाते हैं। प्रत्येक 100 कम बायोगैस संयंत्रों में लगभग 15 से 40 परिवार शामिल किए गए। कुल 90 परिवार जैव-ऊर्जा प्रकोष्ठ द्वारा संचालित तीन सामुदायिक बायो गैस संयंत्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक संयंत्र के लिए अपेक्षित भूमि समुदाय द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त, समुदाय ने नकद, श्रम और सामग्री के रूप में संयंत्र की पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत हिस्से का अंशदान किया था। प्रत्येक प्रयोक्ता समुदाय को सोसायटी के रूप में संगठित एवं पंजीकृत किया गया था। बाद में इन संयंत्रों को संबंधित सोसायटियों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रत्येक परिवार ने बायो गैस के अनुकूलतम उत्पादन के लिए प्रति दिन 20 कि.ग्रा. सामग्री का अंशदान किया अथवा प्रति माह 250 रूपए का भुगतान किया।

फोटो

स्थायित्व

जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ ने बायो-गैस संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण में चुनिंदा लोगों को प्रशिक्षित किया था। इसके

अतिरिक्त, इसने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं बैंकों के साथ सुदृढ़ संभावित संपर्क स्थापित करने में प्रत्येक सोसायटी को सुविधा प्रदान की थी। इसने सोसायटी को विभिन्न आय सृजन कार्यक्रमों (पशुधन की खरीद, वर्मी कंपोस्ट बनाने, आदि) के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में समर्थ बनाया। तीन सामुदायिक बायो गैस संयंत्रों में से दो संयंत्र समुदाय द्वारा सुप्रबंधित किए गए हैं। तीसरा संयंत्र बायो डाइजेस्टर की अनियमित आपूर्ति की वजह से अनुकूलतम बायो गैस का उत्पादन नहीं कर रहा है। तथापि, जैव-ऊर्जा प्रकोष्ठ विभिन्न साधनों के माध्यम से सामुदायिक कार्यों और स्वामित्व को सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है।

दुहराव

अनेक अधिकारी, समुदाय एवं गैर-सरकारी संगठन ने इन प्रयोगिक संयंत्रों का दौरा करना शुरू कर दिए हैं एवं उनके परिणामों से पूर्णत: आश्वस्त हैं। इसके अतिरिक्त, जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ ने प्रति यूनिट 31500 रू. की लागत से एक सदृश मॉडल को अभिकल्पित किया। टीएससी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरप्रदेश ने इन दोनों मॉडलों (समुदाय एवं परिवार अनुकूल मॉडल) को अनुमोदित किया था और टीएससी कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार के संयंत्र बनाने के लिए सरकारी आदेश जारी किया। कुछ राज्यों (त्रिपुरा, मेघालय, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी आदि) ने इस मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया है।

इस उत्तम पद्धति की सफलता के पीछे मुख्य कारक

- तकनीकी एजेंसी, जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश का सक्रिय समर्थन
- यूनिसेफ से वित्तीय सहायता
- प्रयोक्ताओं द्वारा प्रचालन एवं अनुरक्षण

- विविध लाभ

चुनौतियां एवं सीख

- सामुदायिक बायो गैस संयंत्र के लिए पूंजीगत लागत (प्रति सामुदायिक संयंत्र 8 से 10 लाख) कैसे जुटाएं, सबसे बड़ी चुनौती है। 20 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान जुटाना भी ज्यादा मुश्किल है।

- बायो गैस डाइजेस्टर की नियमित परिपूर्ति, मरम्मती लागत को पूरा करने आदि के लिए कच्चे माल के संग्रहण के रूप में सामुदायिक संयंत्रों का प्रचालन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना दूसरी चुनौती है।

- यद्यपि यह संयंत्र 20 प्रतिशत गाय गोबर और 80 प्रतिशत कृषि अपशिष्ट से चल सकता है, फिर भी परिवार जिनके पास पशुधन नहीं है, नियमित आधार पर 20 प्रतिशत गाय गोबर भी संग्रहित नहीं कर पाते हैं। जिससे अंतत: बायो गैस संयंत्र की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है।

- सामुदायिक बायो गैस संयंत्र उन मामलों में सुप्रबंधित होते हैं जहाँ प्रयोक्ता समुदाय ने सुदृढ़ संभावित संपर्क कायम किया।

- जब सामुदायिक संयंत्र के बायो गैस को लंबी पाइप लाइनों के माध्यम से रसोई बनाने के कार्य हेतु परिवारों को आपूर्ति की जाती है तो पाइपलाइन के रखरखाव से संबंधित कठिनाइयों के अतिरिक्त लागत की पूर्ति करनी होती है। वैकल्पिक तौर पर, जब तार के माध्यम से प्रकाश उत्पत्ति के लिए आपूर्ति की जाती है तो संयंत्र कम प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत के साथ कुशलतापूर्वक कार्य करता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

राज्य समन्वयक, जैव ऊर्जा मिशन प्रकोष्ठ, योजना विभाग, उत्तरप्रदेश सरकार, लखनऊ226001,

दूरभाष सं. 0522-2215698 मोबाइल : 9415004917,

वेबसाइट: http://jetropha.up.nic.in

मेल्लीदारा पेयोंग

ग्राम पंचायत यूनिट सिक्किम

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

मेल्लीदारा ग्राम पंचायत यूनिट (जीपीयू) दक्षिण सिक्किम जिला के मल्ली प्रखंड में स्थित है और यह सिक्किम राज्य के 165 ग्राम पंचायत यूनिटों में से एक यूनिट है। वर्ष 2006 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, इसका क्षेत्रफल 13.5 वर्ग कि.मी. और आबादी 6,333 है। इस जीपीयू में 1240 परिवार हैं जिनमें से 258 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं। इस जीपीयू को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था। प्रत्येक परिवार के पास शौचालय की सुविधा होने और इसका उपयोग करने के फलस्वरूप यह जीपीयू क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र है। मेल्लीदारा के पास अनेक दुकानों एवं प्रतिष्ठनों वाला बाजार क्षेत्र है तथा अपिशष्ट प्रबंधन प्रत्येक जगह में ठोस अपशिष्ट सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण एक मामला बन गया। यह गाँवों में अनेक स्थानों पर अपशिष्ट को अंधाधुंध डाले जाने के कारण एक प्रमुख पर्यावरणीय मामला बन गया।

फोटो

चूँकि मेल्ली बाजार एक छोटा शहर है और जमा कूड़े की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, इसलिए प्रतिदिन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह, सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार कूड़े को संग्रहित किया जाता है।

आरंभ

निर्मल ग्राम की स्थिति प्राप्त करने के बाद, ग्राम पंचायत ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता को दृढ़ता से महसूस किया। मेल्ली बाजार ग्राम पंचायत के बाजार वाला क्षेत्र के कूड़े को प्रबंधित करना एक चुनौती बन गई। इसके पहले, कूड़ा संग्रहण की जिम्मेदारी शहरी विकास एवं आवास विभाग, सिक्किम सरकार के पास थी। वर्ष 2009 में ग्राम पंचायत ने इस जिम्मेदारी को लेने का निर्णय किया। जीपीयू ने निवास स्थान अथवा उद्यम के प्रकार के आधार पर मासिक कूड़ा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। कूड़े के परिवहन के लिए सार्वजनिक सेवा वाहन प्रयोजित करके भारत-स्विटरजरलैण्ड परियोजना, सिक्किम और ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को इस कार्य में सहायता की गई।

फोटो

अपशिष्ट का संग्रहण

चूँकि मेल्ली बाजार एक छोटा शहर है और जमा कूड़े की मात्रा अधिक नहीं है, इसलिए बड़े शहरों की तरह प्रतिदिन संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह, सप्ताह में तीन दिन अर्थात, सोमवार, बुधवार और शनिवार को कूड़े का संग्रहण किया जाता है। घर-घर जाकर कूड़े को संग्रहित किया जाता है। ग्राम पंचायत ने शहरी क्षेत्रों और गाँवों

दोनों में कार्यस्थल पर कूड़े के पृथक्करण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया के बारे में लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया है। कार्यस्थल पर पृथक्करण के प्रयोजनार्थ, ग्राम पंचायत ने वर्ष 2011 तक जीपीयू को 'ठोस अपशिष्ट मुक्त' बनाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया। इस मिशन के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर निम्न पायोंग वार्ड का चयन किया गया। पृथक्करण के लिए प्रत्येक परिवार को दो कचरा संग्रहण कूड़ेदान वितरित किए गए। मिशन की शुरूआत में, क्षेत्रीय विधान सभा सदस्या श्रीमती तुलशी डी.राय ने वार्ड की महिलाओं से अनुरोध किया कि वे कूड़ा प्रबंधन के महत्व के बारे में अपने बच्चों को शिक्षित करें। परिणाम संतोषजनक रहा क्योंकि लोगों ने कार्य स्थल पर ही पृथक्करण की आदत अपनाना शुरू कर दिया है जिससे प्रबंधन यूनिट में इस पृथक करने के लिए निहित लागत को कम करने में मदद मिलती है। संग्रहित अपशिष्ट को निम्न पायोंग स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट में भेज दिया जाता है जो मेल्ली बाजार से तीन किलोमीटर दूर है। परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वाहन का उपयोग अपशिष्ट के परिवहन में किया जाता है।

अपशिष्ट का शोधन

ग्राम पंचायत ने वर्ष 2009 में मेपेल ऑर्गटेक इंडिया लिमिटेड, एक निजी कंपनी के परामर्श से निम्न पायोंग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट स्थापित की। इस यूनिट की स्थापना दो प्रयोजनों के मद्देनजर की गई है:

- अपशिष्ट का पुन:चक्रण करें और इससे कुछ उपयोगी वस्तु बनाएं।
- इससे राजस्व अर्जित करें।

फोटो

विलगित अपशिष्ट के जैव-अनपघट्य हिस्से को एसडब्ल्यूएम यूनिट में अलग-अलग रखा जाता है और जब बिक्री योग्य मात्रा में जमा हो जाती है, तब इसे बेच दिया जाता है। एसडब्ल्यूएम यूनिट में कामगार द्वारा अपशिष्ट को पुन: विलगित किया जाता है। विलगित अपशिष्ट के जैव-अनपघट्य हिस्से को इस यूनिट में अलग-अलग रखा जाता है। बिक्री योग्य मात्रा में जमा हो जाने पर इसे बेच दिया जाता है। धातु, काँच, कागज, प्लास्टिक आदि के क्रेता हैं। कभी-कभी प्लास्टिक के सामान, धातु के टुकड़े और खाली बोतलें जैसी विलगित जैव-अनपघट्य वस्तुएं अनुवर्ती प्रसंस्करण और पुन:चक्रण के लिए सिलीगुड़ी भेज दी जाती हैं।

फोटो

जैव अपघट्य अपशिष्ट को कार्यस्थल पर, ढेर में मिलाकर तथा निवेश द्रव्य डालकर कंपोस्ट बनाया जाता है। ऑक्सी कंपोस्ट निर्माण विधि में अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित करने में लगभग 45 दिन लगते हैं और आद्रता बनाए रखने के लिए इस पर नियमित रूप से पानी डाला जाता है। अन्य पदार्थों से खाद को अलग करने के लिए कंपोस्ट बनी सामग्री की श्रमिक द्वारा सिलाई की जाती है। तैयार खाद को 30 कि.ग्राम वाले थैले में रखा जाता है और किसानों एवं अन्य ग्राहकों को बेचा जाता है।

ऑक्सी कंपोस्ट निर्माण विधि में अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित करने में लगभग 45 दिन लगता है तथा आद्रता बनाए रखने के लिए इस पर नियमित रूप से पानी डाला जाता है।

फोटो

फोटो

इस समय, मैल्ली बाजार क्षेत्र के ठोस अपशिष्ट को अच्छी तरह प्रबंधित किया जाता है जो बाजार क्षेत्र की साफ गलियों से प्रमाणित होती है। निवासी यह दावा करते हैं कि जहाँ तक कूड़ा प्रबंधन का संबंध है, यह अब सर्वाधिक सुप्रबंधित बाजारों में से एक बाजार है।

अनुमान है कि इस एसडब्ल्यूएम यूनिट में प्रतिमाह लगभग 13 टन अपशिष्ट संग्रहित किया जाता है जिसमें से लगभग 1.5 टन कंपोस्ट खाद बनता है। कंपोस्ट खाद का विक्रय मूल्य प्रति किलो 6 रू. से लेकर 10 रू. तक है। कंपोस्ट की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सलाहकारी सहायता के लिए जीपीयू आईसीएआर के संपर्क में है। प्रत्याशा है कि सिक्किम सरकार का कृषि विभाग उनके बगीचों के लिए कंपोस्ट का नियमित ग्राहक बनेगा।

कंपोस्ट बनाने के बाद कूड़े/निष्क्रिय अपशिष्ट को महीने में एक बार गाँव के बाहर कूड़ा स्थल पर भेज दिया जाता है।

वित्तपोषण

जीपीयू दक्षिणी जिला, जिला पंचायत, निर्मल ग्राम पुरस्कार की पुरस्कार धन राशि और भारत-स्विट्जरलैंड परियोजना, सिक्किम (कूड़ा संग्रहण के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया) की वित्तीय सहायता से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट का निर्माण कर पाई है। परियोजना को चालू रखने तथा सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के उद्देश्य से जीपीयू ने निवासियों से कूड़ा शुल्क के रूप में नाममात्र प्रभार संकलन करना आरंभ किया है। किसी उपक्रम और परिवार से प्रति माह क्रमश: 50 रू. और 30 रू. शुल्क लिया जाता है। कंपोस्ट की बिक्री से प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त होता है। जैसा कि जीपीयू

अध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट दी गई है, एसडब्ल्यूएम यूनिट का मासिक व्यय लगभग 25000 रूपए है।

स्टॉफ संघटन

जीपीयू द्वारा प्रतिमाह 3000 रू. की मजदूरी के साथ एक पर्यवेक्षक और दो सहायकों को एसडब्ल्यूएम यूनिट का प्रबंधन कार्य सौंपा गया है। जीपीयू के अध्यक्ष और कर्मचारी कार्यक्रम के संचालन की गहन रूप से निगरानी करते हैं। श्री गणेश कुमार राय, वर्तमान ग्राम पंचायत अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व के फलस्वरूप ही इस यूनिट का सफल संचालन हो रहा है।

निष्कर्ष

इस समय, मेल्ली बाजार क्षेत्र के ठोस अपशिष्ट का अत्यंत कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाता है जो बाजार क्षेत्र की साफ गलियों से परिलक्षित होता है। निवासी यह दावा करते हैं कि जहाँ तक कूड़ा प्रबंधन का संबंध है यह अब सर्वाधिक सुप्रबंधित बाजारों में से एक बाजार है। इसके अतिरिक्त, लोग अपने घर के पास जमा ठोस अपशिष्ट और इसके समुचित निपटान से जागरूक एवं सजग हो गए हैं। जीपीयू की योजना ग्राम पंचायत के अन्य गाँवों से कूड़े का संग्रहण एवं परिवहन कर और संयंत्र स्थल को कॉफी की दुकान के साथ बगीचे के रूप में परिणत करके इस यूनिट का विस्तार करने की है।

होशंगाबाद जिला, मध्यप्रदेश

शौचालयों एवं अन्य उपयोगों के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में हैंडपंप में बल द्वारा चालित लिफ्टपंप को निर्धारित करना

अनेक अध्ययनों एवं मूल्यांकनों से यह संकेत मिलता है कि इस जिले भर में विद्यालयों में मुख्य रूप से सतत जल आपूर्ति के अभाव में शौचालयों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया गया है अथवा खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है। यद्यपि इनमें से अधिकांश विद्यालयों में हैंडपंपयुक्त बोरवेल हैं जहां पंप से शौचालय में पानी पहुंचाना अधिकतर स्कूली बच्चों के लिए मुश्किल साबित हुआ है। परिणामस्वरूप, विद्यालय शौचालय एवं मूत्रालय प्राय: गंदे रहते हैं। होशंगाबाद जिले में मध्यप्रदेश के समुदाय ने नल के माध्यम से पर्याप्त

एवं निरंतर पेयजल उपलब्ध कराने शौचालय में जल बहाव करने एवं हस्त प्रक्षालन कराने के प्रयास में विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में फोर्स लिफ्ट पंप संस्थापित करने का अभिनव विचार व्यक्त किया। अंत में, इस सुधार से बच्चे साफ-सफाई की अच्छी आदतें अपनाने तथा अपनी सुविधाओं को साफ एवं स्वच्छ रखने में भागीदारी करने में समर्थ हुए।

फोर्स लिफ्ट पंप हैण्डपंप युक्त एक साधारण उपकरण है जिसे प्रचालित करने पर टैंक का उपरी हिस्सा भर जाता है, और इसे 11 से 15 फीट की उँचाई पर संस्थापित किया जाता है। यंत्र के लिए न तो बिजली और न अतिरिक्त शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होती है। एक फोर्स लिफ्ट पंप की लागत लगभग 12000 रूपए से लेकर 13000 रू. तक है। यह पानी को 8 मीटर की उँचाई तक उठा सकता है अथवा पानी को 150 और 200 मीटर के बीच की क्षैतिज दूरी तक ले जा सकता है। इन पंपों को संस्थापित करने के लिए एक एजेंसी की सेवा ली गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत को संस्थापन प्रक्रिया की देख-रेख करने और 12वें या 13वें वित्त आयोग के बजट से भुगतान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। होशंगाबाद जिले के सफल अनुभव के आधार पर, राज्य सरकार ने राज्य में सभी 50 जिलों को शामिल करने के लिए इस परियोजना का विस्तार किया। 30 जून, 2012 की स्थिति के अनुसार, 9925 विद्यालयों एवं 400 आंगनवाड़ियों के अधिकतर हैण्डपंपों में लगभग 10325 फोर्स लिफ्ट पंप संस्थापित किए गए।

संचालन

जनवरी, 2011 में जिले ने दो हैण्डपंपों में दो फोर्स लिफ्ट पंप लगाए। इन पंपों की दो से तीन महीने तक निगरानी की गई और उसका निष्पादन संतोषजनक था। इस प्रायोगिक कार्य के अनुभव के आधार पर, जिले ने संपूर्ण जिले में इस कार्य के विस्तार की योजना बनाई।

त्वरित मूल्यांकन

विस्तार करने के पहले, जिले ने यह अनुमानित करने के लिए कि हैण्डपंप कितनी अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं तथा जिले के सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में वर्ष भर भूजल की उपलब्धता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन कराया। एक अनुवर्ती अध्ययन के अंतर्गत फोर्स लिफ्ट पंपों को प्रबंधित करने में शिक्षकों एवं समुदायों के हितों का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में हैण्डपंपों की संरक्षा का मूल्यांकन कराया गया। इन आँकड़ों के आधार पर, जिला ने कुल 850 विद्यालयों और 250 आंगनवाड़ियों में परियोजना के प्रथम चरण के दौरान अधिकतर हैण्डपंपों में लगभग 1100 फोर्स लिफ्ट पंप लगाने का निर्णय लिया।

अभिमुखीकरण अथवा जागरूकता सृजन कार्यक्रम

जिले में शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आंगनवाड़ी केन्द्रों और संबद्ध ग्राम पंचायतों के विभिन्न क्षेत्र कर्मियों को फोर्स लिफ्ट पंप के प्रचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम एवं समारोह आयोजित किए गए।

वृहत स्तर पर फोर्स लिफ्ट पंप चालू करना

त्वरित मूल्यांकन के निष्कर्षों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों के कर्मचारी के ऐच्छिक सहयोग और ग्राम पंचायत निधियों की उपलब्धता के आधार पर, 470 विद्यालयों और 73 आंगनवाड़ियों में कार्य के लिए लगाई गई एजेंसी के माध्यम से अधिकतर हैण्डपंपों में 543 फोर्स लिफ्ट पंप संस्थापित किए गए। बाद में इन यूनिटों के नियमित अनुरक्षण एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी

संबंधित विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों को दी गई।

फोटो

फोर्स लिफ्ट पंप के सफल संचालन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक

- सरल, प्रयोक्ता अनुकूल एवं किफायती प्रौद्योगिकी
- जिले के अधिकांश हिस्से में साल भर भूजल की उपलब्धता
- जिला के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वप्रेरित सहयोग
- शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का सहयोग
- समय पर भुगतान करने और फोर्स लिफ्ट पंपों के संस्थापन एवं कार्यकरण की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने की ग्राम पंचायतों की प्रतिबद्धता ।

मुख्य उपलब्धियाँ एवं प्रभाव

- सभी विद्यालयों में शौचालय के उपयोग एवं अनुरक्षण में काफी सुधार हुआ है।
- स्कूली बच्चों की व्यक्तिगत साफ-सफाई की आदतों (शौच क्रिया के बाद हस्त प्रक्षालन) में सुधार।
- विद्यालयों में बच्चों को हैण्डपंप के स्थान से शौचालय तक पानी ले जाने की कठिनाइयों से मुक्ति हुई।
- होशंगाबाद में 28 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों को फोर्स लिफ्ट पंप कार्यक्रम के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, आने वाले वर्षों में सभी व्यवहार्य स्थलों को कवर करने की योजनाएं हैं।
- अनेक विद्यालयों में, शौचालय को साफ करने के लिए दिहाड़ी मजदूर को कार्य पर रखने की

बारंबारता में काफी कमी आई है। फोर्स लिफ्ट पंप संस्थापित करने के पहले, विद्यालयों को महीने में कम से कम एक बार सफाई मजदूर को कार्य पर रखना पड़ता था। अब उन्हें ऐसे कार्यों के लिए पाँच से छः माह में केवल एक बार सफाई मजदूर को कार्य पर रखने की आवश्यकता पड़ती है जिससे विद्यालयों को प्रतिमाह 450 रू. से लेकर 600 रू. तक की बचत होती है।

- जल की बर्बादी कम हो गई है।
- हैण्डपंप के पास नाले में काफी सुधार हुआ है।

होशंगाबाद में 28 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों को फोर्स लिफ्ट पंप कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर कर लिया गया है। आने वाले वर्ष में भी कार्यक्षम स्थलों को कवर लिए जाने की योजनाएं हैं।

फोटो

मुख्य शिक्षण

- विद्यालयों और आंगनवाड़ियों के हैण्डपंपों में संस्थापित फोर्स लिफ्ट पंप जिन्हें संरक्षित किया जाता है (चारदीवार की वजह से) को सही तरह से कार्य करते पाया गया क्योंकि अपराधियों को इन पंपों को चुरा लिए जाने अथवा क्षतिग्रस्त करने की बहुत कम संभावना है।
- हैण्डपंपों में संस्थापित फोर्स लिफ्ट पंप जिसके उपर समुदाय पेयजल के लिए निर्भर नहीं है, को सही तरह चालू पाया गया। अन्य मामलों में, अनेक स्थानों में फोर्स लिफ्ट पंप को जल प्रवाह की मात्रा (विशेषकर कम कार्य वाले मौसम के दौरान) संबंधी आशंका की वजह

से हटा दिया गया अथवा क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

- हैण्डपंप के मैकेनिक को फोर्स लिफ्ट पंप के बारे में गलत जानकारी दी गई कि इनमें से अधिकतर को इस आशंका से कि वे हैण्डपंप को क्षतिग्रस्त कर देंगे, हटा दिया गया।
- जहां भी भूजल वर्ष भर उपलब्ध रहता है, फोर्स लिफ्ट पंप अच्छी तरह कार्य कर रहा है।
- यद्यपि फोर्स लिफ्ट पंप को प्रचालित करना सरल और आसान है, फिर भी इनके कल पुर्जे (उपकरण) बाजार में सहज सुलभ नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में इसकी कम सुलभता की वजह से फोर्स लिफ्ट पंप चालू नहीं हैं। इस तरह इन पुर्जों की बिक्री करने के लिए निजी बाजार को संगठित करने की आवश्यकता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

जिला समन्वयक, संपूर्ण स्वच्छता अभियान,
जिला पंचायत, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
दूरभाष- 07574–250360
मोबाइल 09425475464
ई-मेल- avirawat@yahoo.com

इसमें अभिव्यक्त निष्कर्ष, निर्वचन और सारांश पूर्ण रूप से लेखकों के है और इसका श्रेय विश्व बैंक या इसके अंगीभूत संगठन अथवा विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल के सदस्यों अथवा इन सरकारों जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, को नहीं दिया जाना चाहिए। विश्व बैंक इस कार्य में उल्लिखित आंकड़ों की यथार्थता की गारंटी नहीं देता है। इस कार्य में किसी मानचित्र पर दर्शायी गई सीमा, रंग, पहचान अथवा अन्य जानकारी किसी क्षेत्र की वैधानिक स्थिति के संबंध में विश्व बैंक समूह की ओर से किसी राय अथवा सीमाओं की स्वीकृति अथवा अनुमोदन को परिलक्षित नहीं करती है। इस प्रकाशन की सामग्री सुरक्षित है। इसके हिस्से में संशोधन की अनुमति संबंधी अनुरोध wsp@worldbank.org पर भेजा जाए। डब्ल्यूएसपी अपने कार्य के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करता है और सामान्यत: जल्द अनुमति प्रदान करेंगे। अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.wsp.org देखें।

©2014 अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं विकास बैंक/विश्व बैंक

जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम

विश्व बैंक

55 लोधी एस्टेट

नई दिल्ली-110003, भारत

दूरभाष: (91-11) 41479477, 41479301

फैक्स: (91-11) 24628250

ई-मेल : wspsa@worldbank.org

वैबसाईट : www.wsp.org

लोगो

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

9वाँ तल, पर्यावरण भवन,

सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003, भारत

दूरभाष : (91-11) 24362705

फैक्स : (91-11) 24361062

ई मेल: js.tsc@nic.in

वैबसाईट : www.ddws.nic.in/